विधान प्रबोधनी

अंक – 03

त्रैमासिक पत्रिका

बिहार विधान सभा सचिवालय
पटना

बिहार विधान सभा के मुख्य भवन के 100 वर्ष पूरे होने
के उपलक्ष्य में निर्मित शताब्दी स्तम्भ

विधान प्रबोधनी

त्रैमासिक पत्रिका — अंक - 03

संरक्षक :
नन्द किशोर यादव
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

सह संरक्षक :
नरेन्द्र नारायण यादव
उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा

मुख्य सम्पादक :
ख्याति सिंह
(बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा

सम्पादक :
राजीव कुमार
निदेशक, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा
पटना

विधान प्रबोधनी

प्रकाशक :
पुस्तकालय शाखा
बिहार विधान सभा, पटना

© **प्रकाशक**

सह सम्पादक :
आलोक कुमार सिंह, अवर सचिव
प्रज्ञाग्नि, प्रशाखा पदाधिकारी
नेहा भारती, प्रशाखा पदाधिकारी
प्रभात कुमार, जनसम्पर्क पदाधिकारी
राजीव रंजन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी
रागिनी सिंह, पुस्तकालय सहायक
धनंजय कुमार, शोध/संदर्भ सहायक

मुद्रक :
संजय प्रिंटिंग वर्क्स
गुरहट्टा, पटना सिटी, पटना – 8

आमुख

विधान सभा की इस पत्रिका का प्रकाशन हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पत्रिका विधान सभा के कार्यों और उपलब्धियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज होगी तथा यह संसदीय कार्यों की जटिलता को सहजता से प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। इससे जनता और जन प्रतिनिधियों के बीच संवाद स्थापित होगा।

आज के इस डिजिटल युग में, सूचनाओं का प्रवाह जितना तेज हुआ है, उतनी ही आवश्यकता है कि सूचनाओं का विश्वसनीय और प्रामाणिक स्रोत उपलब्ध हो। इस पत्रिका का उद्देश्य यही है कि यह सटीक, प्रामाणिक और समयानुसार जानकारी को समाहित कर आम जनता तक पहुंचाए। इसके माध्यम से जनता न केवल विधान सभा में होने वाले वाद–विवाद, चर्चाओं और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करेगी, बल्कि विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की भी जानकारी प्राप्त करेगी।

मैं इस पत्रिका के संपादक मंडल और समस्त टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका हमारे विधायी निकाय को पारदर्शी, समावेशी और मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

(नन्द किशोर यादव)
अध्यक्ष
बिहार विधान सभा

सम्पादकीय

विधान सभा की यह पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो विधायकों और नागरिकों को विधायी कार्यों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह पत्रिका विधान सभा की कार्यवाही का विवरण, विधेयकों का विश्लेषण और विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों के दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है।

यह पत्रिका नागरिकों को विधायी प्रक्रिया से अवगत कराने का एक ज्ञानवर्धक दस्तावेज है एवं यह विधायकों को भी अपने कार्यों के बारे में जानकारी देती है और उन्हें नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करती है। इस पत्रिका में विविध तथ्यों को समाहित किया गया है, जिसमें विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार प्रमुख है, जो सदन की गरिमा, अधिकार और सम्मान को बनाये रखने हेतु महत्त्वपूर्ण है। इस अंक में सदन में शून्यकाल की महत्ता एवं ध्यानाकर्षण सूचना के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण आलेख है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए लिफ्ट एवं एस्केलेटर से संबंधित एक जन उपयोगी विधेयक के मूल अवयवों को उभारा गया है तथा दल–बदल विरोधी कानून की चुनौतियों का वर्णन किया गया है जो वर्तमान सन्दर्भ में प्रासंगिक है। ज्ञान की भूमि नालंदा का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो नालंदा के स्वर्णिम अतीत एवं वर्तमान के आधुनिक ज्ञान का परिचायक है और इसी प्रकार अन्य जिलों के संबंध में यह क्रम आगे भी जारी रहेगा ।

विधान सभा की यह पत्रिका सारगर्भित सूचनाओं का संग्रह है, जो विधायकों और संसदीय प्रणाली में रूचि रखने वाले पाठकों को विधायी कार्यों और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी। इसका अभीष्ट यही है कि यह आम जनता को विधायिका और सरकार की गतिविधियों और निर्णयों से परिचित कराती है। इसमें प्रकाशित होने वाले लेख, उद्‌बोधन और प्रतिवेदन जनता के लिए सूचनाप्रद हैं और उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि उनके विधायकों द्वारा किए गए कार्य अत्यंत प्रभावी और लोकहितकारी हैं। यह पत्रिका लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता और उनके प्रतिनिधियों के मध्य एक संवाद स्थापित होता है।

इस पत्रिका में विधायकों द्वारा दिए गए उद्‌बोधनों, प्रस्तुत किये गये विधेयकों पर परिचर्चा के अंशों को भी स्थान दिया जा रहा है। इससे जनता को यह जानने का अवसर मिलेगा कि उनके प्रतिनिधि किस प्रकार के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और उनके विचार और प्रयास क्या हैं। इसके अतिरिक्त इसमें विधायकों के व्यक्तिगत योगदानों और उनके क्षेत्रों में किये गये कार्यों का विवरण भी हैं।

इस पत्रिका में विभिन्न विषयों पर विशेष सामग्री प्रकाशित की जाती रहेगी। यह पत्रिका जनता के समक्ष विधायिका एवं विधायकों के नीति नियामक चरित्र को उभारने में प्रयासरत रहेगी। यह न केवल विधायिका की कार्यप्रणाली का दस्तावेज है, बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों को जीवंत रखने का भी एक माध्यम है। प्रस्तुत पत्रिका में हमने सही, स्पष्ट एवं निष्पक्ष तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह पत्रिका निरंतर प्रकाशित होने वाला दस्तावेज बनने की प्रक्रिया में है, इसलिए आप सभी के बहुमूल्य सुझाव अपेक्षित हैं ताकि भविष्य में और भी सारगर्भित सामग्री आप सभी तक पहुंचाना सुलभ हो सके ।

Khyati Singh

(ख्याति सिंह)
(बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	संकलनकर्त्ता / रचनाकार	पृष्ठ संख्या
	आमुख संपादकीय	माननीय अध्यक्ष प्रभारी सचिव	iii iv
1.	बिहार विधान सभा के अध्यक्ष : वर्तमान सन्दर्भ में	राजीव कुमार, निदेशक प्रभात कुमार, जनसम्पर्क पदा.	01
2.	सत्र समीक्षा	रागिनी सिंह, पल्लवी गुप्ता, पुस्त. सहायक	10
3.	विधायी विमर्श : बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024	प्रज्ञाग्नि, प्रशाखा पदा. नेहा भारती, प्रशाखा पदा.	19
4.	ध्यानाकर्षण सूचना : अति लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना	राजीव कुमार, निदेशक आलोक कुमार, पुस्त. सहायक	22
5.	**बिहार विधान सभा में आयोजित कार्यक्रम**		
	• नेत्रदान : एक जीवनदायिनी सेवा	अजमतुन निशा, पुस्त. सहायक	27
	• डिजिटल क्रांति का नया अध्याय : नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन	धनंजय कुमार, शोध/संदर्भ सहायक	28
	• विधान सभा अध्यक्ष द्वारा दिव्यांगजनों की सेवा में समर्पित 'डॉ० शिव शंकर झा' का सम्मान	मिथिलेश कुमार, शोध/संदर्भ सहायक	29
	• पुस्तक लोकार्पण : "विकास के प्रतिमान"	भरत कु. भारती, शोध/संदर्भ सहायक कुंदन कुमार, शोध/संदर्भ सहायक	30
	• 17वीं बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य : क्षेत्रवार नक्शे में	राजीव कुमार, निदेशक नीलेश कुमार, कम्प्यूटर संचालक	31
	• युवाओं का सशक्तीकरण : India's International Movement to Unite Nations	धनंजय कुमार, शोध/संदर्भ सहायक भावना कुमारी, पुस्त. सहायक	35
6.	**आलेख**		
	• सदन में शून्यकाल की महत्ता	डॉ. संतोष कुमार सुमन, मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	36
	• दल बदल विरोधी कानून की चुनौतियां एवं अध्यक्ष की भूमिका	वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सदस्य, बि.वि.स.	38
	• संसदीय व्यवस्था में विशेषाधिकार एवं प्रोटोकाल में अंतर	ए.पी. सिंह, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा	41
	• कविता : जागो, उठो, बढ़े चलो	ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव, बि.वि.स.	45
	• राजनीति का अपराधीकरण : समस्या व समाधान	प्रो. (डॉ.) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सदस्य, बिहार विधान परिषद्	46
7.	जिला विशेष : नालंदा	राजीव रंजन, शोध/संदर्भ सहायक सीमा कुमारी, शोध/संदर्भ सहायक	49
8.	विधान सभा सत्र के दौरान स्कूली छात्रों की शैक्षिक यात्रा	गार्गी मिश्रा, पुस्त. सहायक कुमारी चंचला, शोध/संदर्भ सहायक	56
9.	श्रद्धांजलि : स्व. सुशील कुमार मोदी	राजीव कुमार, निदेशक पंकज कुमार, शोध/संदर्भ सहायक रागिनी सिंह, पुस्त. सहायक	58
10.	परिशिष्ट	विनोद कुमार प्रभाकर, सहा.प्र.पदा.	65
11.	फोटो गैलरी	मनीष कुमार, पुस्त. सहायक रौशन कुमार, पुस्त. सहायक	66

बिहार विधान सभा अध्यक्ष : वर्तमान सन्दर्भ में

राजीव कुमार
निदेशक, बिहार विधान सभा

बिहार विधान सभा के इतिहास में 17वीं विधान सभा कई मायनों में खास रही है। नवम्बर 2020 में सम्पन्न विधान सभा चुनाव के पश्चात गठित इस विधान सभा ने अपने अब तक के सफर में कई उतार–चढ़ाव देखे हैं एवं राज्य के भीतर कई परिवर्तनों का वाहक बना है। राजनैतिक घटनाक्रम का असर यह हुआ कि महज ढाई वर्षों में ही इस विधान सभा में तीन–तीन अध्यक्ष पीठासीन हुए।

17वीं बिहार विधान सभा का गठन

17वीं विधान सभा हेतु आम चुनाव नवम्बर 2020 में सम्पन्न हुआ। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–73 के तहत 17वीं बिहार विधान सभा के गठन की अधिसूचना 11 नवम्बर, 2020 ई. को जारी हुई। 17वीं विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 23 नवम्बर, 2020 से प्रारंभ हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद–180 के खंड (1) के अंतर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा 23 से 24 नवम्बर, 2020 तक के लिए बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर (कार्यकारी अध्यक्ष) के रूप में नियुक्त किया गया। श्री मांझी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में सभी सदस्यों को शपथ दिलायी। दिनांक 25 नवम्बर, 2020 को श्री विजय कुमार सिन्हा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए तथा वे दिनांक 24.08.2022 तक बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। दिनांक 26.08.2022 को श्री अवध विहारी चौधरी बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए तथा वे दिनांक 12.02.2024 तक बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। तत्पश्चात् दिनांक 15.02.2024 को निर्वाचित होने के बाद से अब तक श्री नन्द किशोर यादव बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं।

श्री नन्द किशोर यादव को अध्यक्षीय आसन पर बैठाते हुए
माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष

बिहार विधान सभा अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष का निर्वाचन (बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम–9)

(1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे।

(2) इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य (सदन के) अध्यक्ष चुने जायें। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्य का नाम प्रस्तावित हो, उनका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं, परन्तु कोई सदस्य न तो अपना नाम प्रस्थापित करेंगे, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्थापना या अनुमोदन करेंगे ।

(3) जिन सदस्य के नाम पर कार्य सूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे, परन्तु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे।

(4) इस प्रकार किये गये और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किये गए हों, उसी क्रम से एक–एक कर के मत के लिए रखे जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो, विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव रखे बिना, घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गये।

व्यवहार में देखें तो वर्ष 1952 के पश्चात अब तक हुए बिहार विधान सभा चुनावों के फलस्वरूप गठित विधान सभा में अध्यक्ष का निर्वाचन या तो 'मत विभाजन' या 'सर्वसम्मति से' हुआ है।

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प
(बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम–110)

(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का संकल्प, जिसकी सूचना संविधान के अनुच्छेद 179 के प्रथम परंतुक की अपेक्षानुसार 14 दिन पहले किसी सदस्य ने दी हो, अध्यासी व्यक्ति सभा को पढ़ सुनायेंगे। तब वे उन सदस्यों से, जो संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देने के पक्ष में हों, अनुरोध करेंगे कि वे अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जायें। यदि कम से कम 38 सदस्य तदनुसार खड़े हो जायेंगे, तो अध्यासी व्यक्ति संकल्प प्रस्तावित करने की अनुमति देंगे। यदि 38 से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यासी सदस्य संकल्प प्रस्तावित करने के इच्छुक सदस्य को बतायेंगे कि उन्हें संकल्प प्रस्तावित करने के लिए सभा की अनुमति नहीं मिली।

(2) जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार हो रहा हो तब वे (यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष) अध्यक्षता न करेंगे।

श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय अध्यक्ष
[25 नवंबर 2020 — 24 अगस्त 2022]

विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 178 के अधीन होता है। अब तक 1969 के बाद यह पहला मौका था जब बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव मत विभाजन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न हुआ। 1969 के पूर्व तीन बार ऐसा हो चुका है जब अध्यक्ष का चुनाव मत विभाजन प्रक्रिया द्वारा किया गया। इस समय कार्यकारी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) श्री जीतन राम मांझी थे। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिए कुल दो उम्मीदवार थे—श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री अवध विहारी चौधरी। श्री विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में कुल 11 प्रस्ताव श्री नितिन नवीन, श्री संजय सरावगी, श्री विद्या सागर केशरी, श्री रामप्रवेश राय, श्री विनोद नारायण झा, श्री राणा रणधीर, श्री विजय कुमार मंडल, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्रीमती स्वर्णा सिंह, श्री श्रवण कुमार एवं श्री अनिल कुमार के प्राप्त हुए तथा इनके अनुमोदनकर्ता क्रमशः श्रीमती अरुणा देवी, श्री जय प्रकाश यादव, श्रीमती भागीरथी देवी, श्री राम सिंह, श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती कविता देवी, श्रीमती निशा सिंह, श्री पवन कुमार यादव, श्री मुसाफिर पासवान, श्री रत्नेश सदा एवं श्री नरेन्द्र नारायण यादव थे। श्री अवध विहारी चौधरी के पक्ष में कुल 5 प्रस्ताव श्री अजीत शर्मा, श्री राम रतन सिंह, श्री अनिल कुमार सहनी, श्री अख्तरुल ईमान एवं श्री कुमार सर्वजीत के प्राप्त हुए तथा इनके अनुमोदनकर्ता क्रमशः श्री महबूब आलम, श्री अजय कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्रीमती अनिता देवी थे।

कार्यकारी अध्यक्ष ने सभी प्रस्तावों को नियमानुकूल मानते हुए श्री नितिन नवीन से प्राप्त प्रथम प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए कहा कि 'दोनों तरफ (पक्ष और विपक्ष) से प्रस्ताव आये हैं, समर्थन भी आये हैं, इसलिए सर्वसम्मत चुनाव हो जाय तो ज्यादा अच्छा है।' उन्होंने निर्विरोध चुनाव का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वाइस वोट के तहत 'हां' या 'ना' में जवाब देने के लिए सदस्यों से अपील की लेकिन विपक्ष के मत विभाजन का आग्रह करने पर कार्यकारी अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से खड़े होकर 'हां' या 'ना' में जवाब देने के लिए मतदान कराने का फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष ने 'मत विभाजन' का प्रस्ताव रखा जिस पर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि यह विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में यह अधिवेशन सेंट्रल हॉल में हो रहा है इस वजह से विभक्त होकर वोट देने में दिक्कत है। अंततः खड़े होकर वोट देने की प्रक्रिया शुरू हुई। कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि श्री विजय कुमार सिन्हा विधान सभा के अध्यक्ष चुने जायें। उन्होंने क्रमशः ''हां'' एवं ''ना'' के पक्ष में खड़े होकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। गिनती के फलस्वरूप "हां" के पक्ष में पड़े 126 मतों एवं "ना" के पक्ष में पड़े 114 मतों से सदन को अवगत कराते हुए उन्होंने घोषणा की कि श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स०, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस प्रकार श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० मत विभाजन की प्रक्रिया द्वारा 17वीं बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

यहां यह उल्लेखनीय है कि बिहार विधान सभा में माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन के इतिहास में अब तक कुल चार बार मत विभाजन की प्रक्रिया अपनायी गयी है। पहली बार वर्ष 1952 में प्रथम बिहार विधान सभा अध्यक्ष के रूप में

श्री बिन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा मत विभाजन की प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित हुए, जिसमें उनके पक्ष में 208 एवं विपक्ष में 74 मत पड़े थे। दूसरी एवं तीसरी बार मत विभाजन प्रक्रिया द्वारा अध्यक्ष का चुनाव क्रमशः वर्ष 1967 एवं वर्ष 1969 में हुआ। 1967 में चतुर्थ बिहार विधान सभा के गठन के पश्चात जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो सदस्यों द्वारा विभक्त होकर मतदान किया गया। मत विभाजन प्रक्रिया के फलस्वरूप श्री धनिक लाल मंडल विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जिनमें श्री धनिक लाल मंडल ने 171 मत प्राप्त किये और श्री हरिहर प्रसाद सिंह ने 126 मत प्राप्त किये। इसी प्रकार पांचवे बिहार विधान सभा के आम चुनाव वर्ष 1969 के परिणामस्वरूप पंचम विधान सभा अध्यक्ष पद हेतु दो उम्मीदवारों के बीच मत विभाजन की प्रक्रिया अपनायी गयी थी जिसमें श्री राम नारायण मंडल के पक्ष में 155 मत पड़े तथा श्री धनिक लाल मंडल के पक्ष में 149 मत पड़े और श्री राम नारायण मंडल मत विभाजन प्रक्रिया द्वारा पांचवे विधान सभा अध्यक्ष चुने गये। इस तरह बिहार विधान सभा के इतिहास में वर्ष 1969 के पश्चात् वर्ष 2020 में यह चौथा मौका था जब बिहार विधान सभा के अध्यक्ष का निर्वाचन मत विभाजन प्रणाली द्वारा संपन्न हुआ। सप्तदश बिहार विधान सभा अध्यक्ष पद हेतु दो सदस्यों श्री विजय कुमार सिन्हा एवं श्री अवध विहारी चौधरी के बीच मत विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप श्री विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में राज्य की नई सरकार के गठन के उपरांत दिनांक 24.08.2022 को आहूत विधान सभा की बैठक में प्रारंभिक संबोधन के बाद श्री विजय कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पूर्व अध्यक्ष ने सभा सचिवालय को अध्यक्ष के खिलाफ कुल नौ माननीय सदस्यों से प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव में से आठ माननीय सदस्यों का प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं करार देते हुए केवल एक माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव से प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें यह वर्णित था कि अध्यक्ष विश्वास मत खो चुके हैं, को मान्य करार दिया। चूंकि श्री विजय कुमार सिन्हा ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी।

हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर का संदर्भ

'स्पीकर' शब्द में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है क्योंकि सभा का वही एक ऐसा सदस्य है जो पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के सिवाय सभा में वाद–विवाद में भाग नहीं लेता, किन्तु ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स के पीठासीन अधिकारियों का मूल कार्य वाद–विवाद के अंत में दोनों पक्षों के विचारों का सारांश प्रस्तुत करना और क्राउन के साथ विवाद की स्थिति में सभा (हाउस) के विचारों को 'वाणी' देना था।

संदर्भ : माइकेल मेकडोना : दी बुक ऑफ पार्लियामेंट, लंदन, 1897, पृ. 115; फिलिप लांडी : दि ऑफिस ऑफ द स्पीकर इन दि पार्लियामेंट्स ऑफ द कामनवेल्थ, लंदन, 1984, पृ. 11–57

श्री अवध विहारी चौधरी, माननीय अध्यक्ष

[26 अगस्त 2022 – 12 फरवरी 2024]

नई सरकार के गठन के उपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–9 (1) के तहत माननीय राज्यपाल द्वारा विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु 26 अगस्त, 2022 की तिथि निर्धारित की गई। इस मौके पर आसन से कार्यवाही का संचालन माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी कर रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने सभा को अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराया। तत्पश्चात अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस मौके पर उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल पांच प्रस्तावों के संबंध में सूचना दी गई। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी के संबंध में प्राप्त हुए थे। श्री अवध विहारी चौधरी के पक्ष में कुल पांच प्रस्ताव श्री जीतन राम मांझी, श्री प्रहलाद यादव, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री महबूब आलम एवं श्री अख्तरुल ईमान से प्राप्त हुए थे तथा इनके अनुमोदनकर्ता क्रमशः श्री अजीत शर्मा, श्रीमती अनिता देवी, श्री अजय कुमार, श्री श्रवण कुमार एवं श्री राम रतन सिंह थे। माननीय उपाध्यक्ष ने सभी प्रस्तावों को नियमानुकूल बताते हुए माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और श्री अवध विहारी चौधरी सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

पुनः बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में राज्य की नई सरकार के गठन के उपरांत दिनांक 12.02.2024 को सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र (बजट सत्र) आरम्भ हुआ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खण्ड (1) के तहत बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल, पटना में महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। इसके पश्चात सभा वेश्म में कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी द्वारा अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के पद से उन्हें हटाये जाने की प्राप्त सूचना से सभा को अवगत कराया गया। माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव, श्री जीतन राम मांझी एवं अन्य सात माननीय सदस्यों से प्राप्त अध्यक्ष के हटाये जाने के संकल्प की सूचना नियमानुसार 14 दिन पूर्व प्राप्त होने के कारण अध्यक्ष द्वारा नियमानुकूल पाते हुए सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। अध्यक्ष की अनुमति से माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव द्वारा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया। इस प्रस्ताव के समर्थन में नियमानुसार 38 माननीय सदस्यों से ज्यादा पाये जाने के उपरांत अध्यक्ष द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पद से हटाये जाने का प्रावधान) के आलोक में उन्हें हटाये जाने वाले संकल्प पर चर्चा के दौरान माननीय उपाध्यक्ष को सदन संचालन हेतु आमंत्रित किया गया। माननीय उपाध्यक्ष द्वारा आसन ग्रहण करने के उपरांत बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–110 के तहत माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाने पर सभा की सहमति से संबंधित प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। ध्वनि मत से निर्णय न हो पाने के कारण मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें अध्यक्ष को हटाये जाने संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में 125 मत पड़े एवं प्रस्ताव के विपक्ष में 112 मत पड़े। इस प्रकार यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ एवं उपस्थित सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतः श्री अवध विहारी चौधरी, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाये जाने के प्रस्ताव पर सभा की सहमति हुई। गौरतलब है कि बिहार विधान सभा के इतिहास में यह पहला मौका था जब बिहार विधान सभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प सभा द्वारा पारित हुआ ।

श्री नन्द किशोर यादव, माननीय अध्यक्ष

[15 फरवरी 2024 – अब तक]

बिहार विधान सभा में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत माननीय उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा था। इसके आलोक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–9 (1) के तहत माननीय राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु 15.02.2024 की तिथि निर्धारित की गई।

नामांकन- नियमानुसार अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व श्री नन्द किशोर यादव, माननीय सदस्य के द्वारा नामांकन किया गया।

विधान सभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते श्री नन्द किशोर यादव

निर्वाचन- निर्वाचन के लिए निर्धारित तिथि को सदन की कार्यवाही का संचालन माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी कर रहे थे। सर्वप्रथम उन्होंने सभा को अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराया। तत्पश्चात अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस मौके पर उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल पन्द्रह प्रस्तावों के संबंध में सूचना दी गई। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव के संबंध में प्राप्त हुए थे।

श्री नन्द किशोर यादव के पक्ष में कुल पन्द्रह प्रस्ताव आए जो क्रमशः श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री जनक सिंह, श्री रामप्रीत पासवान, श्री विनोद नारायण झा, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, श्री प्रमोद कुमार, श्री संजय सरावगी, श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, श्री अनिल कुमार, श्री सुनील मणि तिवारी, श्री संजीव चौरसिया, श्री सुमित कुमार सिंह, श्री प्रफुल्ल मांझी एवं श्री प्रेम कुमार से प्राप्त हुए तथा इनके अनुमोदनकर्ता क्रमशः श्री श्रवण कुमार, श्री हरिभूषण ठाकुर बचोल, श्री पवन कुमार जायसवाल, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राणा रणधीर, श्री पवन कुमार यादव, श्री राम सिंह, श्री अरूण शंकर यादव, श्री जय प्रकाश यादव, श्री प्रणव कुमार, श्री कृष्णनंदन पासवान, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री राम सूरत कुमार, श्री राम चन्द्र प्रसाद एवं श्री राम नारायण मंडल की ओर से थे। माननीय उपाध्यक्ष ने सभी प्रस्तावों को नियमानुकूल बताते हुए माननीय सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और श्री नन्द किशोर यादव सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ।

श्री नन्द किशोर यादव को विधान सभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री विजय कुमार चौधरी

इस घोषणा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष परंपरानुसार उन्हें सदन में उनके स्थान से उठाकर अध्यक्षीय आसन तक ले आए और आसन पर बिठाया।

श्री नन्द किशोर यादव, अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे०पी० नड्डा के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव तथा सभी दलों के माननीय नेतागण एवं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने सभा को संबोधित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि लोकतंत्र सामूहिक न्याय निर्णय की एक पद्धति है। विधान सभा यानी विधायी निकाय उस पद्धति के नियामक हैं। संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष, विधान सभा इस संस्था के स्वामी नहीं होते हैं बल्कि वे सदस्यों के संरक्षक होते हैं। विधान सभा का पूरा कार्य बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत संपन्न किया जाता है। कालक्रम में इस नियमावली में कई संशोधन हुए और आज संविधान के दायरे में इसी नियमावली के आधार पर अध्यक्ष इस आसन पर बैठकर सभा का संचालन करते हैं। यह नियमावली हम सबके लिए गीता के समान है। मुझे या इस आसन पर बैठने वाले किसी भी सदस्य को इस नियमावली के अनुकूल ही अपने को सीमित रखना अनिवार्य होता है। अध्यक्ष के आसन पर बैठा व्यक्ति दल से या दलीय राजनीति से ऊपर उठकर पूरी निष्पक्षता और निष्ठा से सदन के संचालन के कार्यों का निष्पादन करता है। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस नियमावली के तहत कार्य करूंगा और संसदीय परंपराओं का निर्वहन भी करूंगा। साथ ही, माननीय सदस्यों के विशेषाधिकारों और उनकी मान–मर्यादा का भी ध्यान रखूंगा। उन्होंने दो पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया :

'कल हम न होंगे, न मेला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो लम्हे हैं, चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा।'

श्री नन्द किशोर यादव, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

संक्षिप्त जीवन परिचय

पिता	:	स्व० पन्ना लाल यादव
जन्म तिथि	:	26 अगस्त, 1953
जन्म स्थान	:	पटना सिटी. पटना, बिहार
शैक्षणिक योग्यता	:	अंडर ग्रेजुएट
निजी व्यवसाय	:	समाज सेवा
पत्नी	:	स्व० किरण देवी
संतान	:	दो पुत्र एवं दो पुत्री
राजनीति में प्रवेश	:	1969

राजनैतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि

- लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के आन्दोलन में लगभग डेढ़ वर्ष मीसा एवं डी०आई०आर० में बिहार के तीन जेलों (बक्सर, फुलवारी एवं भागलपुर) में बंद रहे तथा आपातकाल के दौरान घर की कुर्की जब्ती हुई, फिर भी आंदोलन के अंडरग्राउंड वर्किंग में सक्रिय भागीदारी रही।

बिहार विधान सभा की सदस्यता की अवधि

- मार्च, 1995 से लगातार (कुल 7 बार) एक ही विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित। (वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र–पटना साहिब)
- सम्प्रति दिनांक 15 फरवरी, 2024 से बिहार विधान सभा के अध्यक्ष।

अन्य महत्त्वपूर्ण पद

- 1978 : पटना नगर निगम पार्षद।
- 1982 : पटना नगर निगम का उप महापौर।
- 1990 : भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष।
- 1995 : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री।
- 1998–2003 : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष।
- 2005–2008 : बिहार सरकार में पथ निर्माण एवं पर्यटन मंत्री।
- 2008–2010 : स्वास्थ्य मंत्री।
- 2010–2013 : पथ निर्माण मंत्री।
- 2013–2015 : नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान सभा।
- 2015–2017 : सभापति, लोक लेखा समिति, बिहार विधान सभा ।
- 2017–2020 : पथ निर्माण मंत्री।
- 2020 : सभापति, प्राक्कलन समिति, बिहार विधान सभा।
- 2022 : सभापति, आतंरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति, बिहार विधान सभा ।
- 2024 : अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ।

विदेश यात्रा

- अमेरिका, इंग्लैंड– 2003 में जय प्रकाश नारायण जी के जन्म शताब्दी वर्ष में अमेरिका में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु ।
- जापान–2006 में पर्यटन मंत्री के रूप में जापान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।
- जर्मनी–2007 में पर्यटन मंत्री के रूप में जर्मनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।
- पुनः जापान–2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पथ निर्माण मंत्री के रूप में नवीनतम तकनीक से पथों के निर्माण की विशेष जानकारी हेतु आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनायें : राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के विभिन्न पदों पर काम करते हुए लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 1974 के आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी, आपातकाल में लोकवाणी नामक न्यूज बुलेटिन का प्रकाशन।

विशेष अभिरुचि : किताब पढ़ना, भ्रमण करना तथा आम लोगों से मिलना।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री द्वय

– राजीव कुमार, निदेशक एवं प्रभात कुमार, जनसम्पर्क पदाधिकारी

* * *

सत्र समीक्षा

सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र

बिहार विधान सभा का यह सत्र संसदीय और विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए काफी महत्त्वपूर्ण रहा। वर्ष 2024 का प्रथम सत्र होने के कारण माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र की शुरुआत हुई।

विधान सभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने का संकल्प पारित हुआ। नए अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, फिर राज्य सरकार ने विश्वास मत प्राप्त किया। उपाध्यक्ष के द्वारा अपने पद का त्याग किया गया, फिर नए उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी हुआ। इसके अलावा अन्य कई विधायी कार्य हुए जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

सप्तदश बिहार विधान सभा का एकादश सत्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 12 फरवरी, 2024 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 01 मार्च, 2024 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में निर्धारित कार्यक्रमानुसार कुल बारह बैठकें संपन्न हुई ।

राज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के आरम्भ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अनुसरण में बिहार के माननीय राज्यपाल, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा एक साथ समवेत बैठक में दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बिहार विधान मंडल के सेन्ट्रल हॉल में दिनांक 12 फरवरी, 2024 को सम्बोधित किया गया । श्री संजय सरावगी, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा श्री रामविलास कामत, सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा उसका अनुमोदन किया गया । धन्यवाद के प्रस्ताव पर दिनांक 13 फरवरी, 2024 को वाद–विवाद हुआ तथा यह प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया ।

दिनांक 12.02.2024 को माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का सेंट्रल हॉल में अभिभाषण

अनुमत विधेयक

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित छः (06) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :–

(1) बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

(2) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2023

(3) बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

(4) बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2023

(5) बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

(6) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2023

अध्यक्ष को हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव

दिनांक 12 फरवरी, 2024 को माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव द्वारा तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाने संबंधी संकल्प की सूचना को सदन में रखा गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 38 से अधिक माननीय सदस्यों ने खड़े होकर समर्थन किया फलस्वरूप प्रस्ताव पर विमर्श किये जाने की अनुमति सभा द्वारा दी गई । निवर्त्तमान अध्यक्ष ने आसन का परित्याग किया। इस अवसर पर विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी ने सदन का संचालन किया। तदोपरान्त अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को पद से हटाये जाने के संकल्प पर विमर्श हुआ। विमर्शोपरान्त इस संकल्प का निपटारा मत विभाजन से हुआ। संकल्प के पक्ष में 125 मत तथा विपक्ष में 112 मत प्राप्त हुए।

निवर्त्तमान माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके पद से हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

विश्वास प्रस्ताव

इसके उपरांत माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आसन से माननीय मुख्यमंत्री से सदन में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि "यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है।"

इस प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल सहित विभिन्न दलों के नेता ने अपने–अपने विचार रखे। सरकार की ओर से भी पक्ष रखा गया। अन्ततः खड़े होकर मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई।

प्रस्ताव के पक्ष में 129 एवं प्रस्ताव के विपक्ष में 0 (शून्य) मत से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

सदन के नए अध्यक्ष का निर्वाचन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (1) के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 15 फरवरी, 2024 की तिथि नियत की गई। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 15 (पंद्रह) प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नन्द किशोर यादव को बिहार विधान सभा का अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में था। दिनांक 15 फरवरी, 2024 की बैठक में माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी के प्रस्ताव पर सम्पूर्ण सदन की सहमति से श्री नन्द किशोर यादव, स०वि०स० को सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । निर्वाचनोपरान्त सभी दलों के नेताओं द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए अपना विचार सदन के समक्ष रखा गया।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार

उपाध्यक्ष द्वारा पद का त्याग

सप्तदश बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी ने दिनांक 21 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न में अपने उपाध्यक्ष पद का त्याग किया । इसकी सूचना से सदन को अवगत कराया गया । उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2024 की तिथि नियत की गई।

निवर्त्तमान उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी
(कार्यकाल फरवरी 2021-23 फरवरी 2024)

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए कुल 11 (ग्यारह) प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र नारायण यादव को बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष चुने जाने के संबंध में थे। दिनांक 23 फरवरी, 2024 की बैठक में सभा द्वारा श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स०वि०स० को सर्वसम्मति से बिहार विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष
श्री नरेन्द्र नारायण यादव

वित्तीय वर्ष 2024–25 का बजट प्रस्ताव

दिनांक 13 फरवरी, 2024 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक विवरण को सदन में उपस्थापित करते हुए बजट पेश किया गया। साथ ही, विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन तथा बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सभा मेज पर रखे गये जो निम्नवत हैं –

सदन में बजट भाषण देते हुए माननीय वित्त मंत्री (उप मुख्यमंत्री) श्री सम्राट चौधरी

1. शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रति।
2. पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक प्रतिवेदनों की प्रति।
3. बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद् के वित्तीय वर्ष 2023–24 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति।
4. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष 2022–23 का प्रतिवेदन 'वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)' तथा 'विनियोग लेखे'।
5. वित्तीय वर्ष 2024–25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेन्डर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक–एक प्रति।
6. बिहार विधान सभा की वित्तीय समितियों में सदस्यों के मनोनयन का दायित्व सदन द्वारा अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को सौंपा गया।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल–2467 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 1931 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 1931 प्रश्नों में कुल–41 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 38 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए। कुल– 1506 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 1282 के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 384 प्रश्न अतरांकित रूप में लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग में प्रेषित किया गया।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 168 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिनमें से 20 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 146 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 02 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुईं ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 320 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 315 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 05 निवेदन अस्वीकृत हुए। स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात् संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

याचिका

इस सत्र में कुल 157 याचिकायें प्राप्त हुई जिनमें से 146 याचिकायें स्वीकृत हुईं तथा 11 याचिकायें अस्वीकृत हुईं।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 106 गैर सरकारी संकल्प की सूचनायें प्राप्त हुई। स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 70 सूचनायें सदन में वापस ली गई, 07 सूचनायें सदन द्वारा स्वीकृत हुई, 03 सूचनायें सदन द्वारा अस्वीकृत की गई तथा 26 सूचनायें अपृष्ठ हुई।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र

बिहार विधान सभा का यह सत्र भी संसदीय और विधायी कार्यों के निष्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा जिसमें लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिया गया एवं उप–निर्वाचन से निर्वाचित सदस्य का शपथ–ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य कई विधायी कार्य हुए, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वादश सत्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 22 जुलाई, 2024 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 26 जुलाई, 2024 को समाप्त हुआ। इस सत्र में निर्धारित कार्यक्रमानुसार कुल पांच बैठकें संपन्न हुईं :–

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल–1109 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 870 प्रश्न स्वीकृत हुए। इन स्वीकृत 870 प्रश्नों में कुल– 17 अल्पसूचित प्रश्न थे, जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए। कुल–744 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें 672 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए साथ ही 109 प्रश्न अतारांकित रूप में लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित किया गया।

ध्यानाकर्षण सूचना

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदस्यों द्वारा कुल 106 ध्यानाकर्षण सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई तथा 95 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 03 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य की गयी ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 180 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 178 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए। स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात् संबंधित विभागों को भेज दिया गया।

याचिका

इस सत्र में कुल 145 याचिकायें प्राप्त हुए जिनमें से 135 याचिकायें स्वीकृत हुए तथा 10 अस्वीकृत हुई।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 124 गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में चर्चा हुई।

इस सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के कतिपय मामले उठाये गए एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये।

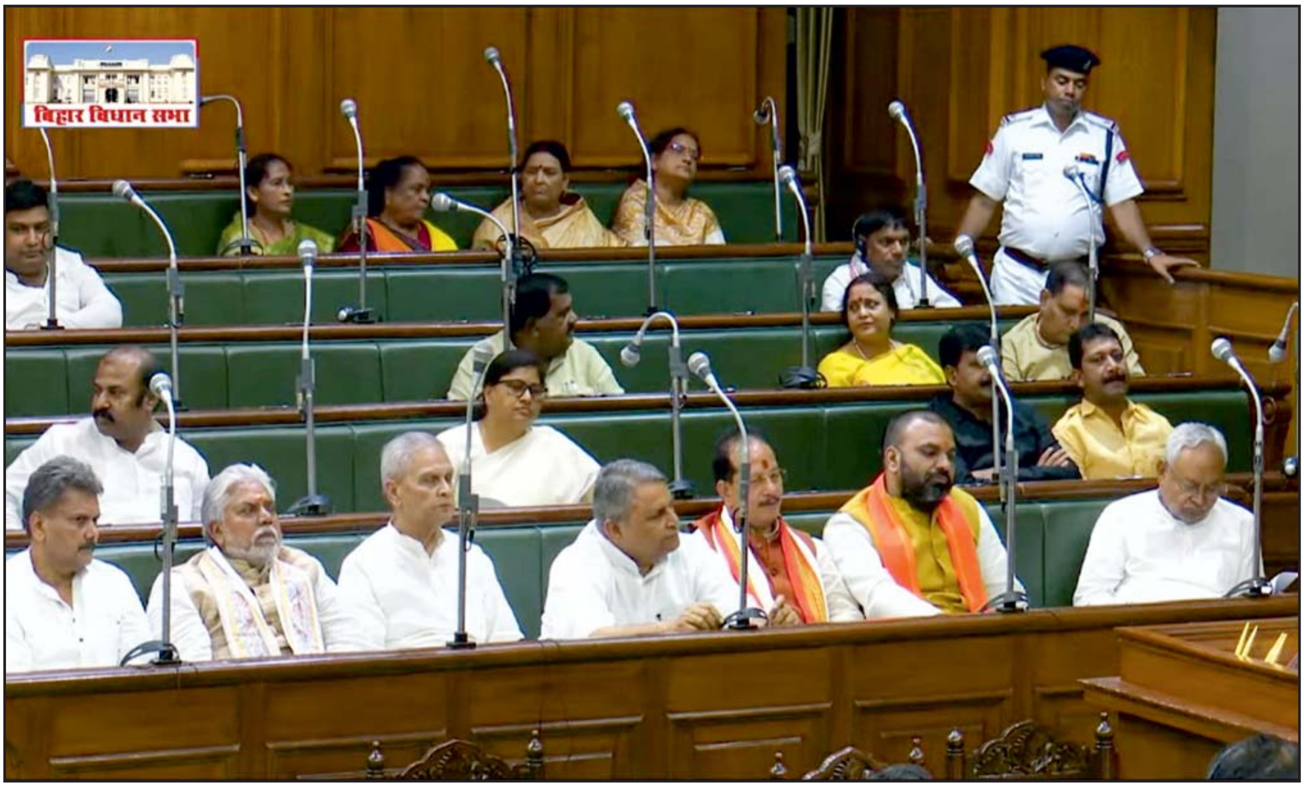

सभा वेश्म में ट्रेजरी बेंच

हाउस ऑफ कॉमन्स के माननीय अध्यक्ष आदरणीय लैंथल महोदय ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के समक्ष अध्यक्ष के प्रथम कर्त्तव्य को निम्न रूप में अभिव्यक्त किया था – 'महामहिम, यहां मेरे पास न तो देखने हेतु नेत्र हैं, न बोलने हेतु जिह्वा, परन्तु सभा ने जिसका मैं सेवक हूं मुझे निदेश दिया है और मैं महामहिम से विनम्र क्षमा चाहता हूं कि मैं इस उत्तर के अतिरिक्त और कोई अन्य उत्तर नहीं दे सकता जो महामहिम ने मुझसे मांगा है।'

[सन्दर्भ : फिलिप लौन्डी : द ऑफिस ऑफ स्पीकर, लन्दन,1964, पृ० 211]

सप्तदश बिहार विधान सभा के एकादश एवं द्वादश सत्र में पुरःस्थापित एवं पारित विधेयक

क्रम सं.	विधेयक	बिल नं.	अधिनियम सं.	पारित होने की तिथि
एकादश सत्र				
1.	बिहार विनियोग विधेयक, 2024	1/2024	01/2024	05.03.2024
2.	बिहार विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 2024	2/2024	02/2024	06.03.2024
3.	बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	3/2024	10/2024	14.03.2024
4.	बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024	4/2024	12/2024	14.03.2024
5.	बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्त्तन विधेयक, 2024	5/2024	11/2024	14.03.2024
6.	बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024	6/2024	04/2024	14.03.2024
7.	बिहार मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2024	7/2024	03/2024	14.03.2024
8.	बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	8/2024	07/2024	14.03.2024
9.	बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024	9/2024	09/2024	14.03.2024
10.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2024	10/2024	08/2024	14.03.2024
11.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	11/2024	06/2024	14.03.2024
12.	बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	12/2024	05/2024	14.03.2024
द्वादश सत्र				
13.	बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	13/2024	19/2024	07.08.2024
14.	बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024	14/2024	17/2024	06.08.2024
15.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक, 2024	15/2024	18/2024	07.08.2024
16.	बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024	16/2024	16/2024	06.08.2024
17.	बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	17/2024	15/2024	06.08.2024
18.	बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024	18/2024	14/2024	06.08.2024
19.	बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2024	19/2024	13/2024	06.08.2024

शोक-प्रकाश

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के एकादश एवं द्वादश सत्र में निम्नलिखित जननायकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई :—

सदस्य का नाम	निधन तिथि
स्व. गोवर्धन नायक (पूर्व स.वि.स.)	16 नवम्बर, 2023
स्व. शिव पूजन सिंह (पूर्व स.वि.स.)	30 नवम्बर, 2023
स्व. रामचन्द्र राय (पूर्व स.वि.स.)	23 दिसम्बर, 2023
स्व. रामनाथ गुप्ता (पूर्व स.वि.स.)	13 जनवरी, 2024
स्व. रमेश प्रसाद सिंह (पूर्व स.वि.स.)	14 जनवरी, 2024
स्व. तारा गुप्ता (पूर्व स.वि.स.)	17 जनवरी, 2024
स्व. सूर्य नारायण सिंह यादव (पूर्व स.वि.स.)	24 जनवरी, 2024
स्व. गुणानंद झा (पूर्व स.वि.स.)	29 जनवरी, 2024
स्व. ब्रह्मानंद मंडल (पूर्व स.वि.स.)	30 जनवरी, 2024
स्व. सरयुग मंडल (पूर्व स.वि.स.)	31 जनवरी, 2024
स्व. रघुनाथ गुप्ता (पूर्व स.वि.स.)	19 मार्च, 2024
स्व. शिवाधार पासवान (पूर्व स.वि.स.)	19 अप्रील, 2024
स्व. वानेश्वर प्रसाद सिंह (पूर्व स.वि.स.)	20 अप्रील, 2024
स्व. अनुसूया देवी (पूर्व स.वि.स.)	1 मई, 2024
स्व. सुशील कुमार मोदी (पूर्व स. राज्य सभा)	13 मई, 2024
स्व. प्रभाकर चौधरी (पूर्व स.वि.स.)	7 जून, 2024
स्व. रामाश्रय सिंह (पूर्व स.वि.स.)	8 जून, 2024
स्व. शांति देवी (पूर्व स.वि.स.)	10 जून, 2024
स्व. बाबूलाल मधुकर (पूर्व स.वि.स.)	14 जुलाई, 2024
स्व. महेन्द्र नारायण यादव (पूर्व स.वि.स.)	20 जुलाई, 2024

उल्लेखनीय घटनाएं

- बिहार विधान सभा के किसी एक कार्यकाल में सबसे अधिक अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड 17वीं विधान सभा के नाम दर्ज हुआ। 17वीं विधान सभा में अब तक कुल 3 अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
  1. सप्तदश बिहार विधान सभा के गठन के बाद 25 नवम्बर, 2020 को विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल 24 अगस्त, 2022 तक रहा।
  2. 26 अगस्त, 2022 को अवध विहारी चौधरी अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल 12 फरवरी, 2024 तक रहा।
  3. 15 फरवरी, 2024 को नन्द किशोर यादव बिहार विधान सभा के अध्यक्ष बने।
- बिहार विधान सभा के इतिहास में पहली बार निवर्त्तमान अध्यक्ष अवध विहारी चौधरी को आसन से हटाये जाने का प्रस्ताव सदन से पारित हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 वोट पड़े। इससे पूर्व बिहार विधान सभा के 4 अध्यक्षों को आसन से हटाये जाने संबंधी संकल्प का प्रस्ताव लाया गया था, जिसके निर्णायक मोड़ पर पहुंचने से पूर्व ही इन सभी के द्वारा अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया गया।
- दिनांक 22 फरवरी, 2024 को श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०, अगिआंव के विरूद्ध दोष सिद्धि एवं दंडादेश के परिणाम स्वरूप दिनांक 13.02.2024 के प्रभाव से उनके बिहार विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित होने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया।

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के वैसे माननीय सदस्य जो वर्ष 2024 में लोकसभा की सदस्यता के लिए चुने गए :–

श्री जीतन राम मांझी
लोकसभा क्षेत्र – गया (सु०)

श्री सुदामा प्रसाद
लोकसभा क्षेत्र – आरा

श्री सुधाकर सिंह
लोकसभा क्षेत्र – बक्सर

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव
लोकसभा क्षेत्र – जहानाबाद

– रागिनी सिंह एवं पल्लवी गुप्ता, **पुस्तकालय सहायक**

* * *

विधायी विमर्श

बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024

लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों ही आधुनिक भवनों का अभिन्न हिस्सा हैं और लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। इनका उपयोग न केवल समय की बचत करता है, बल्कि भवनों में सुगम आवागमन को भी बढ़ावा देता है। लिफ्ट इमारतों में ऊर्जा से परिचालित ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने के लिए लोहे का पिंजरानुमा यंत्र प्रणाली है जो सवारी या सामग्री दोनों को ढ़ोने के लिए होता है। एस्केलेटर लोगों को ऊपर या नीचे ले जाने या ले आने वाली बिजली पर चलने वाली सीढ़ी है। सुविधा की दृष्टि से तो यह बहुत उपयोगी है परन्तु इनमें यदा–कदा दुर्घटना की सम्भावना भी बनी रहती है। इनके प्रबंधन एवं रख–रखाव में आने वाली कमियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इसके प्रबंधन को कानून के दायरे में लाने के लिए बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक को सदन में लाया, जो अब कानून बन चुका है ।

लिफ्ट

इस कानून को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नवत है:–

बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने तथा भूमि की उपलब्धता सीमित होने के फलस्वरूप, हाल के वर्षों में बहुमंजिली इमारतों/अपार्टमेंट्स/व्यावसायिक भवनों/अस्पतालों/विभिन्न कार्यालयों/सरकारी भवनों आदि का निर्माण तीव्र गति से हुआ है, जिससे वर्तमान समय में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के उपयोग में कई गुणा वृद्धि हुई है ।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर के संचालन के क्रम में देश के विभिन्न स्थानों में घटित/संभावित दुर्घटनाओं को देखते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को निरूपित किए जाने हेतु राज्यों से अपेक्षा की गई है । देश के कई राज्यों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर के सभी वर्गों एवं उससे संबंधित मशीनरी तथा उपकरणों के निर्माण, अधिष्ठापन एवं रख–रखाव के निरापद कार्य प्रणाली को विनियमित करने हेतु लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम तथा इससे संबंधित नियमावली निरूपित किये गये हैं। लिफ्ट एवं एस्केलेटर के लगातार बढ़ते उपयोग और इस पर निर्भरता को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसके निरापद संचालन के लिए इसे विनियमित किये जाने की आवश्यकता है।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर की आवश्यकता को देखते हुए लिफ्ट और एस्केलेटर के उपयोग में कानूनी और सुरक्षा पहलुओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कानूनी तौर पर, लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना तथा संचालन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इनका नियमित निरीक्षण और रखरखाव भी जरूरी है।

जहां तक सुरक्षा उपायों का प्रश्न है, इसमें लिफ्ट के लिए स्वचालित दरवाजे, ओवरलोड सेंसर, और इमरजेंसी अलार्म प्रमुख हैं। यदि किसी भी आपात स्थिति में लिफ्ट बंद हो जाए, तो अंदर फंसे व्यक्तियों के लिए संचार की व्यवस्था होती है। इसके अलावा,

परिसर का अर्थ है– कोई संरचना चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी और जहां लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित किया गया है।

लिफ्ट में एक आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो दुर्घटना की स्थिति में काम आता है। एस्केलेटर में भी सुरक्षा के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉप बटन, रबर हैण्डरेल्स, और सुरक्षा गार्ड्स। बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष चेतावनी और सावधानियों के संकेत लगाए जाते हैं ताकि उनका सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

इसके अलावा उपयोगकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कई युक्तियां महत्त्वपूर्ण हैं जो निम्नवत हैं–

- लिफ्ट के सभी उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुसार हों ।
- इन उपकरणों की नियमित जांच हो ।
- इनका नियमित रख–रखाव हो ।
- इनके संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मी हों ।
- आपातकालीन सुविधायें सुनिश्चित हों ।
- उपयोगकर्त्ता के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर संचालन से सम्बंधित दिशा–निर्देश, सुरक्षा चेतावनी और आपातकालीन फोन नंबर प्रदर्शित करना आवश्यक हो।

मालिक का अर्थ है–सोसाईटी या संगम्य किरायेदार जो, सम्पूर्ण परिसर या उसके किसी भाग के मालिक या अधिभोगी या अभिधारी जिसने निबंधन के लिए आवेदन किया है।

बिहार लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम, 2024 में उपर्युक्त वर्णित लगभग सभी तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। अधिनियम की प्रमुख बातें निम्नवत हैं–

- यह अधिनियम दिनांक 6 अगस्त, 2024 से बिहार राज्य में लागू हुआ।
- इसके तहत राज्य सरकार इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान को लागू करने के लिए एक मुख्य विद्युत निरीक्षक और आवश्यक निरीक्षक सहित अन्य पद धारियों को नियुक्त करेगी । ऐसे सभी परिसरों में जहां लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापित है उन्हें विहित शुल्क के साथ निबंधन कराना अनिवार्य होगा । इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के अन्दर निश्चित तौर पर निबंधन के लिए आवेदन देना होगा ।
- परिसर के मालिक को लिफ्ट या एस्केलेटर के वार्षिक रख–रखाव के लिए जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है उसकी प्रति प्रत्येक वर्ष निरीक्षक को देनी होगी ।
- लिफ्ट या एस्केलेटर के प्रत्येक मालिक को विहित फॉर्म में वार्षिक लिफ्ट के वार्षिक सुरक्षा का प्रमाण–पत्र देना होगा ।
- लिफ्ट या एस्केलेटर में आपातकालीन बचाव यंत्र और स्वचालित बचाव यंत्र का अधिष्ठापन करना होगा ।
- प्रत्येक लिफ्ट या एस्केलेटर का निरीक्षण निरीक्षक के द्वारा तीन वर्ष में एक बार निश्चित तौर पर किया जायेगा ।
- किसी परिसर में लिफ्ट या एस्केलेटर के निरीक्षण के लिए निरीक्षक कार्यस्थल पर प्रवेश कर सकते हैं । परिसर के मालिक को इसकी अनुमति देनी होगी।
- निरीक्षक के द्वारा किसी परिसर में यदि निरीक्षण के समय ऐसा प्रतीत हो कि कोई लिफ्ट या एस्केलेटर असुरक्षित अवस्था में है तो वह मालिक को विनिर्दिष्ट समय के भीतर लिफ्ट की मरम्मति कराने अथवा उस लिफ्ट को रोक देने का निदेश दे सकता है।

निरीक्षक का अर्थ है–विद्युत् अधिनियम, 2003 (केंद्रीय अधिनियम, 2003 का 36) की धारा–162 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वह मुख्य विद्युत निरीक्षक, जिसमें विद्युत निरीक्षक भी शामिल है, जिसकी अधिकारिता में यह लिफ्ट या एस्केलेटर अधिष्ठापन स्थल आता है।

एस्केलेटर

- किसी लिफ्ट या एस्केलेटर के संबंध में निरीक्षक को ऐसा लगे कि उसके परिचालन के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश का अनुपालन नहीं हुआ है तो वह उसको सील करने का आदेश दे सकता है ।
- सभी लिफ्ट या एस्केलेटर के मालिक को थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस सुनिश्चित कराना बाध्यकारी होगा ।
- लिफ्ट या एस्केलेटर का परिचालन सही तरीके से नहीं करने के कारण अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए रख–रखाव करने वाली कंपनी पर अभियोजन चलाया जा सकता है।
- परिसरों में अधिष्ठापित लिफ्ट या एस्केलेटर की आयु सीमा अधिष्ठापन के 20 वर्षों तक होगी। इसके बाद परिसर के मालिक को इसे बदलना होगा।

सदन में पुनःस्थापित लिफ्ट एवं एस्केलेटर विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर **ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव का वक्तव्य** – ''बिहार राज्य में उपयोग में लाये जा रहे लिफ्ट एवं एस्केलेटर पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसके सुरक्षात्मक उपायों के लिये अब तक कोई प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं था, जिससे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इन मशीनरी एवं उपकरणों के सही संचालन के लिये प्रभावी निगरानी रखी जा सके तथा सुरक्षात्मक चूक की संभावना नहीं रहे एवं किसी आपात स्थिति में तय मानक के अनुसार स्वचालित बचाव उपकरण (Automatic Rescue Device) एवं आपातकालीन बचाव उपकरण (Emergency Rescue Device) की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।''

महोदय, इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात राज्य के सभी भवनों एवं प्रतिष्ठानों में अधिष्ठापित एवं भविष्य में लगने वाले लिफ्ट एवं एस्केलेटर का विद्युत निरीक्षणालय से पंजीकरण किया जाना अनिवार्य हो जायेगा । पूर्व से अधिष्ठापित लिफ्ट एवं एस्केलेटर का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से 6 माह के अंदर कराया जाना होगा । तीन वर्ष में कम से कम एक बार इसका आवधिक निरीक्षण (Periodical Inspection) / जांच आवश्यक होगा । निरीक्षण कार्य विद्युत निरीक्षणालय अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकर्ता द्वारा किया जा सकेगा ।

लिफ्ट एवं एस्केलेटर मालिकों द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरुद्ध दण्ड का भी प्रावधान किया गया है । दोष सिद्ध होने पर तीन माह तक का कारावास या 50,000/–(पचास हजार) रुपये का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा ।

इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद के अलावा कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

इन दिनों बिहार राज्य में अधिष्ठापित लिफ्ट/एस्केलेटर की अनुमानित संख्या 10,000 (दस हजार) के लगभग है। निरूपित किये जाने वाले नियमावली से लिफ्ट एवं एस्केलेटर का प्रति अधिष्ठापन पंजीयन शुल्क के रूप में 2000/–(दो हजार) रुपये एवं आवधिक निरीक्षण शुल्क के रूप में 1875/–(एक हजार आठ सौ पचहत्तर) रूपये प्राप्त होगा।

मोटर वाहन की तरह आमजन की सुरक्षा के लिये लिफ्ट अथवा एस्केलेटर के उपयोग के क्रम में किसी दुर्घटना से हुई क्षति की भरपाई हेतु तृतीय पक्ष बीमा (Third Party Insurance) का प्रावधान किया जाना होगा। किसी प्रकार के दुर्घटना, चोट अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा के नियमों के तहत पीड़ित व्यक्तियों का समुचित ईलाज अथवा आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। किसी भी लिफ्ट अथवा एस्केलेटर का जीवनकाल अधिकतम 20 वर्ष का होगा। 20 वर्ष की अवधि के पश्चात इसे बदलना होगा। इस कानून को लागू करना सरकार के लिए एक चुनौती है, लेकिन राज्य की वर्त्तमान सरकार इस सूबे की जनता के हितों को साधने के लिए संकल्पित है।

– प्रज्ञाग्नि एवं नेहा भारती, प्रशाखा पदाधिकारी

* * *

ध्यानाकर्षण सूचना : अति लोक महत्त्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना

ध्यानाकर्षण सूचना के द्वारा सरकार का ध्यान लोकहित से जुड़े किसी महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके द्वारा कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की पूर्वानुमति से, सदन में किसी अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। जिन सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत होती हैं वो निर्धारित तिथि को उसे सदन में पढ़ते हैं जिसके पश्चात मंत्री द्वारा उस विषय पर सरकार का आधिकारिक वक्तव्य दिया जाता है। मंत्री के वक्तव्य पर वाद–विवाद नहीं होता परन्तु ध्यानाकर्षण सूचना देने वाले सदस्य स्पष्टीकरण के लिए पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना की अवधारणा मूलतः लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारत की एक अनमोल देन है। इसकी शुरुआत भारतीय संसद में सन् 1954 में की गयी एवं विगत सत्तर वर्षों में इस लोकतान्त्रिक उपकरण का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधियों ने देशहित एवं राज्यहित के कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को वक्तव्य देने एवं सकारात्मक कदम उठाने पर विवश किया है। ध्यानाकर्षण सूचना प्रायः शून्य काल के बाद शुरू होती है तथा लंच ब्रेक से पहले समाप्त हो जाती है।

ध्यानाकर्षण सूचना को संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत लाया जाता है तथा इसमें संशोधन किया जाता है। बिहार विधानमंडल में नियम 104 के तहत ध्यानाकर्षण सूचना लायी जाती है।

ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा प्रक्रिया की कार्य संचालन नियमावली के नियम 104 के तहत एक विहित रीति से दी जाती है, जो निम्नवत है –

ध्यानाकर्षण सूचना

सेवा में,
सचिव, बिहार विधान सभा पटना।

बिहार विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमवाली के नियम–104 के तहत लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना देता हूं।

भवदीय
(सदस्य हस्ताक्षर)
स० वि० स०

विषय (200 शब्दों में)

____

____

____

स० वि० स०

ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान सदन में सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया जा सकता है अगर एक से अधिक मुद्दे उठाए जाते हैं तो अध्यक्ष तय करते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण है या कौन नही, महत्वपूर्ण सूचना को पहले उठाना चाहिए। इस प्रकार इस सूचना पर मंत्री या तो इसी दिन उत्तर देते हैं या बाद में वक्तव्य देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना के लिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमवाली के नियम के तहत निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है –

- सदस्य अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी एक विषय पर मंत्री का ध्यान अध्यक्ष की अनुमति से आकृष्ट कर सकेंगे, परंतु कोई एक सदस्य एक दिन में एक से अधिक ऐसी सूचनाएं नहीं दे सकते हैं।
- सदस्य को सभा की बैठक प्रारंभ होने के 1 घंटे के अंदर ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने की सूचना सचिव को देनी होती है।
- ध्यानाकर्षण सूचना लाने वाले सदस्य को 200 शब्दों में संक्षिप्त विवरण के साथ सचिव को सूचना प्राप्त कराना होता है।
- सूचना की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर किन्हीं 2 ध्यानाकर्षण सूचनाओं की मान्यता अध्यक्ष अपने स्वविवेक पर करते हैं।
- सूचना स्वीकृत होने पर अध्यक्ष, संबंधित मंत्री के वक्तव्य (उत्तर) देने की तिथि निश्चित कर देते हैं, जो एक सप्ताह से अधिक का नहीं होगा।
- सूचना की प्रति अध्यक्ष के आदेश सहित संबंधित विभागों को भेज दी जाती है तथा सदस्यों के बीच परिचालित कर दी जाती है।
- प्रस्थापित विषय सदन के उपवेशन के दौरान प्रश्नों के बाद और भोजनावकाश के पहले लिया जाता है।
- जिन सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत हुई है वे सदस्य सदन में ध्यानाकर्षण सूचना के समय अपनी सूचना पढ़ते हैं, उसके पश्चात मंत्री का उस पर वक्तव्य होता है एवं संबंधित मंत्री के वक्तव्य पर सूचनाकर्ता के द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।
- जिन सदस्यों की सूचनाएं स्वीकृत हुई है अगर वे सदस्य सदन में ध्यानाकर्षण की सूचना नहीं पढ़ते हो तो उनके प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है।
- जिस सदस्यों ने मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया है, केवल वही पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।
- किसी तिथि पर दो या दो से अधिक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त होने पर सिर्फ दो सूचनाओं को अध्यक्ष, मंत्री के सदन में वक्तव्य के लिए स्वीकृत करते हैं शेष प्रश्नों को संबंधित विभागों को उसके उत्तर के लिए अग्रसारित कर दिया जाता है एवं उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित सदस्य को भेज दिया जाता है।
- अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ध्यानाकर्षण की सूचना जो कि उसी तिथि को दी गई है, को अंत में ले सकते हैं यदि अध्यक्ष उस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझे कि उस पर मंत्री का वक्तव्य उसी तिथि को दिया जाए।

उपर्युक्त प्रक्रिया का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बैठक के लिए ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त की ही जाएगी क्योंकि ध्यानाकर्षण सूचनाओं का चयन नियमों के निबन्धनों के अधीन होती है तथा अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करती है कि विषय कितना महत्वपूर्ण है कि उसे मंत्री के वक्तव्य हेतु सदन में लाया जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना के द्वारा हाल के समय में सदन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे लाये गए, जिसमें सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए गये हैं। उदाहरण स्वरुप कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत हैं –

(1) "श्री विजय कुमार खेमका" स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना, जिसमें पूर्णिया सहित सीमांत जिलों के आदिवासी समाज के लोग पूर्णिया में प्रत्येक वर्ष सरहुल महोत्सव मनाते हैं जिसमें आस–पास के जिलों से हजारों की संख्याओं में श्रद्धालु शरीक होते हैं। पूर्णिया में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले सरहुल महोत्सव आमजनों की भागीदारी से मनाई जाती है, जिसमें संसाधन के अभाव में श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्यक्रम की भव्यता एवं जनजाति समाज की भागीदारी को देखते हुए सरहुल महोत्सव को सरकारी स्तर पर

अन्य महोत्सव की तरह पूर्णिया में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने की आवश्यकता है । अतः आदिवासी समाज के लोगों की भावना के अनुरूप कार्यक्रम को भव्यता एवं हजारों लोगों की भागीदारी को देखते हुए सरहुल महोत्सव को पूर्णिया में राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया था।

उस पर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / कला संस्कृति एवं युवा विभाग) की ओर से वक्तव्य दिया गया है कि सरहुल महोत्सव के आयोजन के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–628, दिनांक 13.02.2024 द्वारा पूर्णियां जिलांतर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–628, दिनांक 13.02.2024 द्वारा पूर्णियां जिलांतर्गत सरहुल महोत्सव के आयोजन हेतु 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही सरकार ने इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा देने का निर्णय किया।

(2) अन्य एक उदाहरण सदस्य "श्री सुदामा प्रसाद" के द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना में देखा गया कि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण से संबंधित सभी में 1.35 लाख कैडरों और 10.65 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1.20 करोड़ जीविका दीदियों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18000, सकल स्तर पर 15000, ग्राम संगठन स्तर पर 13000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने तथा पांच साल पुराने सभी जीविका दीदियों का कर्ज माफ करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट किया गया।

इस ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य दिया गया जिसमें विस्तृत रूप में जीविका दीदियों के वस्तुस्थिति का स्पष्ट खंडन कर बताया गया है कि जीविका द्वारा बिहार में कुल 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं। जिसकी कुल संख्या 1 करोड़ 30 लाख है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर आधारित है। सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को कार्यान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता संस्था द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है जो कि अंशकालिक है। एकनामा पत्र, पहचान पत्र संबंधी समुदाय संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है तथा निर्धारित ड्रेस प्रदान करना सामुदायिक संगठन के वित्तीय संसाधन एवं स्थायित्व पर निर्भर है और साथ–ही–साथ उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण हैं।

कैडर मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन के आर्थिक संसाधन एवं स्थायित्व बढ़ावा हेतु मानदेय में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। ज्ञातव्य हो कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम केवल कुछ ही कैडर के मानदेय में लागू है। जैसे जीविका मित्र, ग्राम संगठन, लेखापाल, सी०एल०एफ० लेखापाल, कलस्टर फैसिलिटेटर तथा शेष कैडर के मानदेय भुगतान में जीविका द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। मानदेय का भुगतान सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने संसाधन से अर्जित आय से किया जाता है। मानदेय का भुगतान संबंधित कैडर के बैंक खाते में ही सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है। कैडर के कार्यों की समीक्षा संबंधित सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। कार्यों में लापरवाही, असंतोषजनक प्रदर्शन, व्यवहार इत्यादि पर सामुदायिक संगठन द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है और सामुदायिक संगठनों द्वारा विभिन्न

स्तर के कैडरों का मानदेय निर्धारण कार्य की प्रकृति सामुदायिक संगठनों के स्वयं के हित, स्थायित्व एवं उपलब्ध संसाधनों से अर्जित आय के आधार पर किया जाता है तथा कार्य समीक्षा के बाद मानदेय का भुगतान किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका कैडर मानदेय हेतु सामुदायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि आर्थिक स्थायित्व को सशक्त बनाया जा सके। चूंकि सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक स्वावलंबन हेतु सहयोग करना है। स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराये गये ऋण का उद्देश्य मुख्यतः जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहन करना और निर्धारित किस्त के अनुसार वापस किया जाना आवश्यक होता है जिससे अन्य सदस्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध हो सके ।

ज्ञातव्य हो कि सदस्यों को दिये गये ऋण पर प्राप्त ब्याज समुदाय आधारित संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है। ससमय ऋण वापसी से सदस्यों में आपसी विश्वास और पारस्परिक सहयोग को बल मिलता है तथा समूह स्थायी बना रहता है।

जीविका दीदियों से संबंधित उनके कार्यशैली, कैडर, नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र, कंट्रीब्यूशन सिस्टम आदि के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सदन को स्पष्ट उत्तर प्राप्त हुए।

(3) एक अन्य ध्यानाकर्षण सूचना के अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए, आइए बिहार विधान सभा के 01 दिसम्बर, 2021 के शीतकालीन सत्र की एक घटना पर विचार करें। श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना राज्य में 17वीं विधान सभा चुनाव, 2020 के बाद चुने गये जनप्रतिनिधियों के विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) एवं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) के तहत किये गये नव चयनित सड़क, नवनिर्मित सड़क अथवा अधूरे पड़े योजनाओं के संबंध में सड़कों की सूची उपलब्ध कराना ग्रामीण कार्य प्रमंडल का प्रमुख कर्तव्य है ताकि जनप्रतिनिधियों को यह जानकारी प्राप्त हो कि ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण देना भी ग्रामीण कार्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। अक्सर देखा गया है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ग्रामीण कार्य विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इस ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (श्री जयंत राज, मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत पथों का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित दिशा–निर्देश के आलोक में संबंधित जिला परिषद् से पारित डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान के पात्र पथों के लिए माननीय सांसद की अनुशंसा से अनुशंसित पथों का किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 42 अन्तर्गत पथों का शिलान्यास एवं उद्घाटन ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के परिपत्र सं०रू–P–170252/2/2014RC दिनांक–20.04.2017 के निर्धारित निर्देश के आलोक में किया जाता है।

सभी चुने हुए क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद, लोकसभा के द्वारा योजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाता है। राज्य की 17वीं विधान सभा चुनाव, 2020 के पश्चात् चुने गए जनप्रतिनिधियों के विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत किये गये नवीन पथों का चयन नहीं किया गया है। अधूरे पड़े योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदन के अनुपालन में सड़क की सूची माननीय विधान मंडल सदस्य/जनप्रतिनिधियों को विभाग एवं कार्यप्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। माननीय विधान मंडल सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सड़क शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सूचना देने की जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार के द्वारा विधान सभा चुनाव, 2020 के पूर्व वर्चुअल माध्यम से राज्य

की सभी स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन राज्यस्तरीय कार्यक्रम में समेकित रूप से की गई थी। भविष्य में सभी कार्य प्रमण्डल को शिलान्यास एवं उद्घाटन के कार्यक्रम की सूचना माननीय सांसद एवं विधान मंडल के सदस्यों के साथ–साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण देने संबंधी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से सदन को स्पष्ट उत्तर प्राप्त हुए जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के समारोहों, शिलान्यास समारोहों और उद्घाटन कार्यक्रमों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करना अनिवार्य है। यह घटना इस बात का व्यावहारिक उदाहरण है।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के अन्तर्गत पूछे गये सभी ध्यानाकर्षण सूचना को मंत्री के वक्तव्य के लिए स्वीकृत नहीं हो पाता है, शेष अस्वीकृत सूचना को अध्यक्ष के अनुमोदन से संबंधित विभाग को उत्तर के लिए भेज दिया जाता है। संबंधित विभाग के मंत्री से प्राप्त उत्तर को अध्यक्ष अवलोकन करते हैं, इसके बाद उत्तर को सदस्य के पास भेज दिया जाता है। लेकिन जब राज्य सरकार द्वारा दिये गये प्रश्न या ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर असंतोषजनक हो या राज्य सरकार ने पर्याप्त समय देने पर भी उत्तर नहीं दिया हो तब अध्यक्ष उसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को विषय की विस्तृत जांच हेतु सौंप देते हैं।

अध्यक्ष के द्वारा बिहार विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का गठन होता है, जिसमें सभापति सहित अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। समिति का कार्यकाल एक वर्ष के लिए या नयी समिति के गठन के पूर्व तक होता है। सदन में उठाये गये अत्यन्त लोक–महत्व के विषय के संबंध में यदि अध्यक्ष को महसूस हो जाये कि उसकी जांच समिति द्वारा आवश्यक है तो जांच के लिए आदेश दे सकते हैं। ध्यानाकर्षण सूचना तथा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति दोनों इस संसदीय प्रणाली में माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इनसे वे जनता के प्रतिनिधि के रूप में राज्य की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार को सदन के प्रति अपनी जवाबदेही निर्वाह करने को बाध्य करते हैं।

– **राजीव कुमार,** निदेशक एवं **आलोक कुमार,** पुस्त. सहायक

* * *

'ध्यानाकर्षण सूचनाओं' की अवधारणा मूलतः भारतीय है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया में नयी पद्धति है। इसमें उत्तर हेतु प्रश्न पूछने के साथ–साथ अनुपूरक प्रश्न पूछने और संक्षेप में टिप्पणी करना भी शामिल है जिसमें सभी विचार सही रखे जाते हैं और सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता है। कभी–कभी इसके माध्यम से सदस्यों को किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार की परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आलोचना करने और किसी महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार की असफलता या अपर्याप्त कार्यवाही को उजागर करने का अवसर प्राप्त होता है।

(कौल एवं शकधर की पुस्तक 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' से साभार ।)

बिहार विधान सभा में आयोजित कार्यक्रम

नेत्रदान : एक जीवनदायिनी सेवा

नेत्रदान–किसी के अन्धकारमय जीवन में रोशनी लाने के लिए अपनी आंखों को अपनी मृत्यु के बाद दान दे देने की घोषणा करना। यह दान न केवल किसी के जीवन को बदलता है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने एवं मानवता की सेवा करने का अनुपम उदाहरण है।

बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव जी का अपनी आंखों को किसी जरूरतमंद के लिए दान किए जाने का संकल्प प्रेरणादायी है।

उनके इस प्रण के लिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस की पूर्व संध्या पर दधीचि देहदान समिति द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2024 को बिहार विधान सभा के मुख्य भवन स्थित वाचनालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर दधीचि देहदान समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी के नेतृत्व में समिति के सभी सदस्यों ने श्री नन्द किशोर यादव को शॉल एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस समारोह के आयोजन का उद्देश्य बिहार के लोगों के बीच 'मृत्यु' के पश्चात भी अमरत्व पाने के उपक्रम 'नेत्रदान' के संदेश का प्रसार करना था। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने अंगदान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "अंगदान महादान" है और वे कॉलेज के समय से रक्तदान करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है बल्कि इससे असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को मदद मिलती है।

श्री यादव ने यह भी कहा कि इस स्वैच्छिक नेत्रदान का संकल्प उन्होंने पूरे परिवार की सहमति के उपरांत लिया है और उनका यह प्रयास, समाज से जो प्राप्त हुआ है, उसे चुकाने की कोशिश है। इस दिशा में दधीचि देहदान समिति का कार्य सराहनीय है।

इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। किसी के मृत शरीर के विसर्जन के पूर्व अंगों से किसी को जीवनदान मिल सके तो उनका जीवन सार्थक होगा। समिति के महामंत्री एवं पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी श्री बिमल जैन ने बिहार की जनता से अनुरोध किया कि मृत्यु को जीवन का अंत न बनाएं एवं अंगदान करें।

दधीची देहदान समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद जी के नेतृत्व में समिति के सदस्य श्री नन्द किशोर यादव को सम्मानित करते हुए

इस अवसर पर अंगदानियों की स्मृति में विधान सभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव, पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद एवं पद्मश्री श्री बिमल जैन के कर कमलों द्वारा विधान सभा परिसर में पांच फलदार वृक्षों का रोपण किया गया।

– **अजमतुन निशा,** पुस्तकालय सहायक

* * *

डिजिटल क्रांति का नया अध्याय : नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन

संसदीय लोकतंत्र की महक अब डिजिटल आंगन में भी गूंज उठी है। 'नेशनल ई–विधान एप्लीकेशन' (NeVA) नामक नवीनतम तकनीकी औजार, भारतीय विधायिका के पारंपरिक स्वरूप को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। यह एप्लीकेशन न केवल विधायिका के कार्यों को सुगम बनाता है, बल्कि संविधान की संजीवनी शक्ति को भी आधुनिक तकनीक की ऊर्जा प्रदान करता है।

नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन को देखते हुए बिहार विधान सभा अध्यक्ष

भारतीय संविधान, जिसे 1950 में अपनाया गया था, उसके आदर्शों और विधायिका के कामकाज की पारंपरिक प्रक्रिया को आज के डिजिटल युग के अनुरूप ढालने का प्रयास है NeVA। यह एप्लीकेशन विधायिका की विभिन्न गतिविधियों को एक ही मंच पर लाकर न केवल पारदर्शिता बढ़ाता है बल्कि कार्यक्षमता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाता है।

NeVA, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, विधायकों, सांसदों और आम नागरिकों के बीच संवाद को सहज और सुविधाजनक बनाता है। इसकी सहायता से विधायिका के सत्रों, बहसों, और निर्णयों को ऑनलाइन देखा जा सकता है, जिससे न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि नागरिकों को भी सरकार की गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

NeVA केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह डिजिटल लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एप्लीकेशन भारत के विविध राज्यों की विधानसभाओं को एक मंच पर लाकर एकता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है। विधायिका की प्रक्रियाओं को एक समान डिजिटल ढांचे में ढालना, पूरे देश में एक समानता और मानक की ओर अग्रसर करता है।

दिनांक 01.08.2024 को बिहार विधान सभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय कक्ष में बिहार विधान सभा के डिजिटाइजेशन एवं कंप्यूटरीकरण हेतु भारत सरकार के डिजिटल इंडिया परियोजना के तहत नेशनल ई–विधान एप्लीकेशन अर्थात् NeVA मॉड्यूल के पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन को देखा ।

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस NeVA तकनीक से बिहार विधान सभा की कार्यवाही और विधान सभा सचिवालय की कार्य पद्धति की गुणात्मकता में काफी वृद्धि होगी। समय की मांग के साथ सभा सचिवालय पेपरलेस होगा और यह लोकसभा सचिवालय सहित सभी राज्यों के विधायी निकायों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेगा।

वर्तमान विधान सभा के 12वें सत्र में NeVA के प्रश्नोत्तर संबंधित मोड्यूल का परीक्षण किया गया था। इसमें आवश्यक सुधार हेतु अंतिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही, विभिन्न शाखाओं द्वारा NeVA के विभिन्न मोड्यूल्स का परीक्षण किया जा रहा है।

इसी क्रम में NeVA तकनीक की अवसंरचना का अध्ययन करने हेतु बिहार विधान सभा एवं भवन निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अगस्त माह में गुजरात विधान सभा का दौरा भी किया गया है। इस संयुक्त टीम द्वारा तैयार प्रतिवेदन के आधार पर इसके क्रियान्वयन की अंतिम रुपरेखा तैयार होगी।

NeVA की पहल न केवल वर्तमान विधायिका की कार्यप्रणाली को सुधारने में सहायक है, बल्कि यह भविष्य की विधायिका के लिए एक आदर्श ढांचा प्रस्तुत करती है। यह एप्लीकेशन आने वाली पीढ़ियों को एक आधुनिक और पारदर्शी विधायिका की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक प्रभावशाली बनेगा।

– **धनंजय कुमार,** शोध/संदर्भ सहायक

* * *

बिहार विधान सभा अध्यक्ष द्वारा दिव्यांगजनों की सेवा में समर्पित 'डॉ० शिव शंकर झा' का सम्मान

परोपकार एक ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने लाभ के बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। यह आत्मसमर्पण, दया और सहायता की भावना पर आधारित है। निर्धन, लाचार दिव्यांगजनों की सेवा को समर्पित व्यक्तित्व का वर्णन करते समय हम उन व्यक्तियों की बात करते हैं जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए अपनी पूरी जिंदगी और ऊर्जा समर्पित करते हैं। ऐसे लोग समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि वे अपनी सेवा और सहायता से जरूरतमंदों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व के धनी हैं गत 50 वर्षों से निर्धन, लाचार दिव्यांगजनों की सेवा को समर्पित 'डॉ० शिव शंकर झा'।

विधान सभा अध्यक्ष के साथ 'भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल सह रिसर्च सेंटर, पटना के चिकित्सक एवं अन्य कर्मी

बिहार विधान सभा के विस्तारित भवन स्थित बेसमेंट हॉल में दिनांक 10.07.2024 को विधान सभा अध्यक्ष ने ''भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल सह रिसर्च सेंटर, पटना'' के मानद मुख्य सलाहकार एवं मुख्य आर्थोपेडिक शल्य चिकित्सक 'डॉ० शिव शंकर झा' को पीड़ित मानवता की अनुपम सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री नन्द किशोर यादव ने कहा कि विधायिका जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और विधान सभा अध्यक्ष के रूप में समाज सेवा के लिए निःस्वार्थ भाव से जुटे लोगों को सम्मानित करने की पहल की पहली कड़ी में वे आज डॉ० झा को सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डॉ० झा द्वारा भारत एवं नेपाल में शिविरों के माध्यम से निःशुल्क प्रदान की जा रही पोलियो एवं करेक्टिव शल्य चिकित्सा से अब तक 35 हजार से ज्यादा दिव्यांगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

डॉ. शिव शंकर झा को सम्मानित करते हुए श्री नन्द किशोर यादव

श्री यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में इनका संकल्प "21 वीं सदी का बिहार : दिव्यांगता मुक्त बिहार" एक अहम भूमिका अदा कर रहा है और विधायिका के माध्यम से इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए वे भरपूर प्रयास करेंगे। वे विधायकों को पत्र लिखकर इस संस्थान के सहयोग से उनके क्षेत्र में दिव्यांगता की मुक्ति के लिए पहल करेंगे।

डॉ० झा यह सम्मान पाकर अभिभूत थे। उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष के हाथों से सम्मानित होना उनके लिए गर्व की बात है।

भारत विकास न्यास के महासचिव डॉ० विमल जैन ने अपने संबोधन में 'भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल सह रिसर्च सेंटर, पटना' के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस कार्य में अध्यक्ष महोदय के निरंतर सहयोग की अपेक्षा की।

— **मिथिलेश कुमार,** शोध/संदर्भ सहायक

* * *

पुस्तक लोकार्पण : ''विकास के प्रतिमान''

बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव की द्वितीय पुस्तक "विकास के प्रतिमान" का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा दिनांक 11.08.2024 को विधान सभा के विस्तारित भवन स्थित ऑडिटोरियम में किया गया।

बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव की पुस्तक "विकास के प्रतिमान" का लोकार्पण

इस पुस्तक के संपादक श्री राकेश प्रवीर हैं एवं इसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री नन्द किशोर यादव ने कहा कि यह पुस्तक उनकी राजनैतिक यात्रा की एक झलक है, जिसमें मंत्री रहने के दौरान उनके द्वारा बिहार विधान सभा के अंदर दिए गए वक्तव्यों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि असल में बिहार के विकास का प्रतिमान कहलाने के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी हैं, वर्ष 2005 में एनडीए सरकार गठन के बाद जिनके नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। श्री यादव ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने फार्मेसी में डिग्री की पढ़ाई आरंभ कराई एवं बिहार के प्रथम दो नर्सिंग कॉलेज आईजीआईएमएस एवं कुर्जी में स्थापित करवाया।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय अध्यक्ष ने अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में कई अहम पदों पर रहते हुए सराहनीय कार्य किया है। पथ निर्माण मंत्री रहते हुए इन्होंने जिस विकास की आधारशिला रखी थी, आज उसे आगे बढ़ाने का कार्य और तेजी से हो रहा है।

माननीय जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि श्री यादव के व्यक्तित्व की सरलता, सहजता और सुदृढ़ता अनुकरणीय है।

– **भरत कु. भारती एवं कुंदन कुमार,** शोध/संदर्भ सहायक

* * *

17वीं बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के क्षेत्रवार नाम (04.12.2024 की स्थिति)

	क्षेत्र का नाम		माननीय सदस्य का नाम
1.	वाल्मीकिनगर	–	धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह
2.	रामनगर (अ०जा०)	–	भागीरथी देवी
3.	नरकटियागंज	–	रश्मि वर्मा
4.	बगहा	–	राम सिंह
5.	लौरिया	–	विनय बिहारी
6.	नौतन	–	नारायण प्रसाद
7.	चनपटिया	–	उमाकांत सिंह
8.	बेतिया	–	रेणु देवी
9.	सिकटा	–	वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता
10.	रक्सौल	–	प्रमोद कुमार सिन्हा
11.	सुगौली	–	ई० शशि भूषण सिंह
12.	नरकटिया	–	शमीम अहमद
13.	हरसिद्धि (अ०जा०)	–	कृष्णनंदन पासवान
14.	गोविन्दगंज	–	सुनील मणि तिवारी
15.	केसरिया	–	शालिनी मिश्रा
16.	कल्याणपुर	–	मनोज कुमार यादव
17.	पिपरा	–	श्यामबाबू प्रसाद यादव
18.	मधुबन	–	राणा रणधीर
19.	मोतिहारी	–	प्रमोद कुमार
20.	चिरैया	–	लाल बाबू प्रसाद गुप्ता
21.	ढाका	–	पवन कुमार जायसवाल
22.	शिवहर	–	चेतन आनंद
23.	रीगा	–	मोती लाल प्रसाद
24.	बथनाहा (अ०जा०)	–	अनिल कुमार
25.	परिहार	–	गायत्री देवी
26.	सुरसंड	–	दिलीप राय
27.	बाजपट्टी	–	मुकेश कुमार यादव
28.	सीतामढ़ी	–	मिथिलेश कुमार
29.	रुन्नीसैदपुर	–	पंकज कुमार मिश्र
30.	बेलसंड	–	संजय कुमार गुप्ता
31.	हरलाखी	–	सुधांशु शेखर
32.	बेनीपट्टी	–	विनोद नारायण झा
33.	खजौली	–	अरूण शंकर प्रसाद
34.	बाबूबरही	–	मीना कुमारी
35.	बिस्फी	–	हरीभूषण ठाकुर "बचोल"
36.	मधुबनी	–	समीर कुमार महासेठ
37.	राजनगर (अ०जा०)	–	डा० रामप्रीत पासवान
38.	झंझारपुर	–	नीतीश मिश्रा
39.	फुलपरास	–	शीला कुमारी
40.	लौकहा	–	भारत भूषण मंडल
41.	निर्मली	–	अनिरूद्ध प्रसाद यादव
42.	पिपरा	–	रामविलास कामत
43.	सुपौल	–	बिजेन्द्र प्रसाद यादव
44.	त्रिवेणीगंज (अ०जा०)	–	वीणा भारती
45.	छातापुर	–	नीरज कुमार सिंह
46.	नरपतगंज	–	जय प्रकाश यादव
47.	रानीगंज (अ०जा०)	–	अचमित ऋषिदेव
48.	फारबिसगंज	–	विद्या सागर केशरी
49.	अररिया	–	आबिदुर रहमान
50.	जोकीहाट	–	शाहनवाज
51.	सिकटी	–	विजय कुमार मंडल
52.	बहादुरगंज	–	मोहम्मद अनजार नईमी
53.	ठाकुरगंज	–	सउद आलम
54.	किशनगंज	–	इजहारूल हुसैन
55.	कोचाधामन	–	मुहम्मद इजहार असफी
56.	अमौर	–	अखतरूल ईमान
57.	बायसी	–	सैयद रुकनुद्दीन अहमद
58.	कसबा	–	मो० आफाक आलम
59.	बनमनखी (अ०जा०)	–	कृष्ण कुमार ऋषि
60.	रूपौली	–	शंकर सिंह
61.	धमदाहा	–	लेशी सिंह
62.	पूर्णियाँ	–	विजय कुमार खेमका
63.	कटिहार	–	तारकिशोर प्रसाद
64.	कदवा	–	शकील अहमद खाँ
65.	बलरामपुर	–	महबूब आलम
66.	प्राणपुर	–	निशा सिंह
67.	मनिहारी (अ०ज०जा०)	–	मनोहर प्रसाद सिंह
68.	बरारी	–	बिजय सिंह
69.	कोढ़ा (अ०जा०)	–	कविता देवी
70.	आलमनगर	–	नरेन्द्र नारायण यादव
71.	बिहारीगंज	–	निरंजन कुमार मेहता
72.	सिंहेश्वर (अ०जा०)	–	चन्द्रहास चौपाल
73.	मधेपुरा	–	चन्द्र शेखर
74.	सोनवर्षा (अ०जा०)	–	रत्नेश सादा
75.	सहरसा	–	आलोक रंजन
76.	सिमरी बख्तियारपुर	–	युसुफ सलाहउद्दीन
77.	महिषी	–	गुंजेश्वर साह
78.	कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)	–	अमन भूषण हजारी
79.	गौड़ाबौराम	–	स्वर्णा सिंह
80.	बेनीपुर	–	विनय कुमार चौधरी
81.	अलीनगर	–	मिश्री लाल यादव
82.	दरभंगा ग्रामीण	–	ललित कुमार यादव
83.	दरभंगा	–	संजय सरावगी
84.	हायाघाट	–	राम चन्द्र प्रसाद
85.	बहादुरपुर	–	मदन सहनी
86.	केवटी	–	मुरारी मोहन झा
87.	जाले	–	जिवेश कुमार
88.	गायघाट	–	निरंजन राय
89.	औराई	–	राम सूरत कुमार
90.	मीनापुर	–	राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव
91.	बोचहाँ (अ०जा०)	–	अमर कुमार पासवान
92.	सकरा (अ०जा०)	–	अशोक कुमार चौधरी
93.	कुढ़नी	–	केदार प्रसाद गुप्ता
94.	मुजफ्फरपुर	–	विजेन्द्र चौधरी
95.	काँटी	–	मोहम्मद इसराईल मंसूरी
96.	बरूराज	–	अरूण कुमार सिंह
97.	पारू	–	अशोक कुमार सिंह
98.	साहेबगंज	–	राजू कुमार सिंह
99.	बैकुण्ठपुर	–	प्रेम शंकर प्रसाद
100.	बरौली	–	रामप्रवेश राय
101.	गोपालगंज	–	कुसुम देवी
102.	कुचायकोट	–	अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय
103.	भोरे (अ०जा०)	–	सुनील कुमार
104.	हथुआ	–	राजेश कुमार सिंह
105.	सिवान	–	अवध बिहारी चौधरी
106.	जीरादेई	–	अमरजीत कुशवाहा
107.	दरौली (अ०जा०)	–	सत्यदेव राम
108.	रघुनाथपुर	–	हरिशंकर यादव
109.	दरौंदा	–	कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह
110.	बड़हरिया	–	बच्चा पाण्डेय
111.	गोरेयाकोठी	–	देवेश कान्त सिंह
112.	महाराजगंज	–	विजय शंकर दूबे
113.	एकमा	–	श्रीकान्त यादव
114.	मांझी	–	डॉ. सत्येन्द्र यादव
115.	बनियापुर	–	केदार नाथ सिंह
116.	तरैया	–	जनक सिंह
117.	मढ़ौरा	–	जितेन्द्र कुमार राय
118.	छपरा	–	डा० सी०एन० गुप्ता
119.	गरखा (अ०जा०)	–	सुरेन्द्र राम
120.	अमनौर	–	कृष्ण कुमार मंटू

17वीं बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य

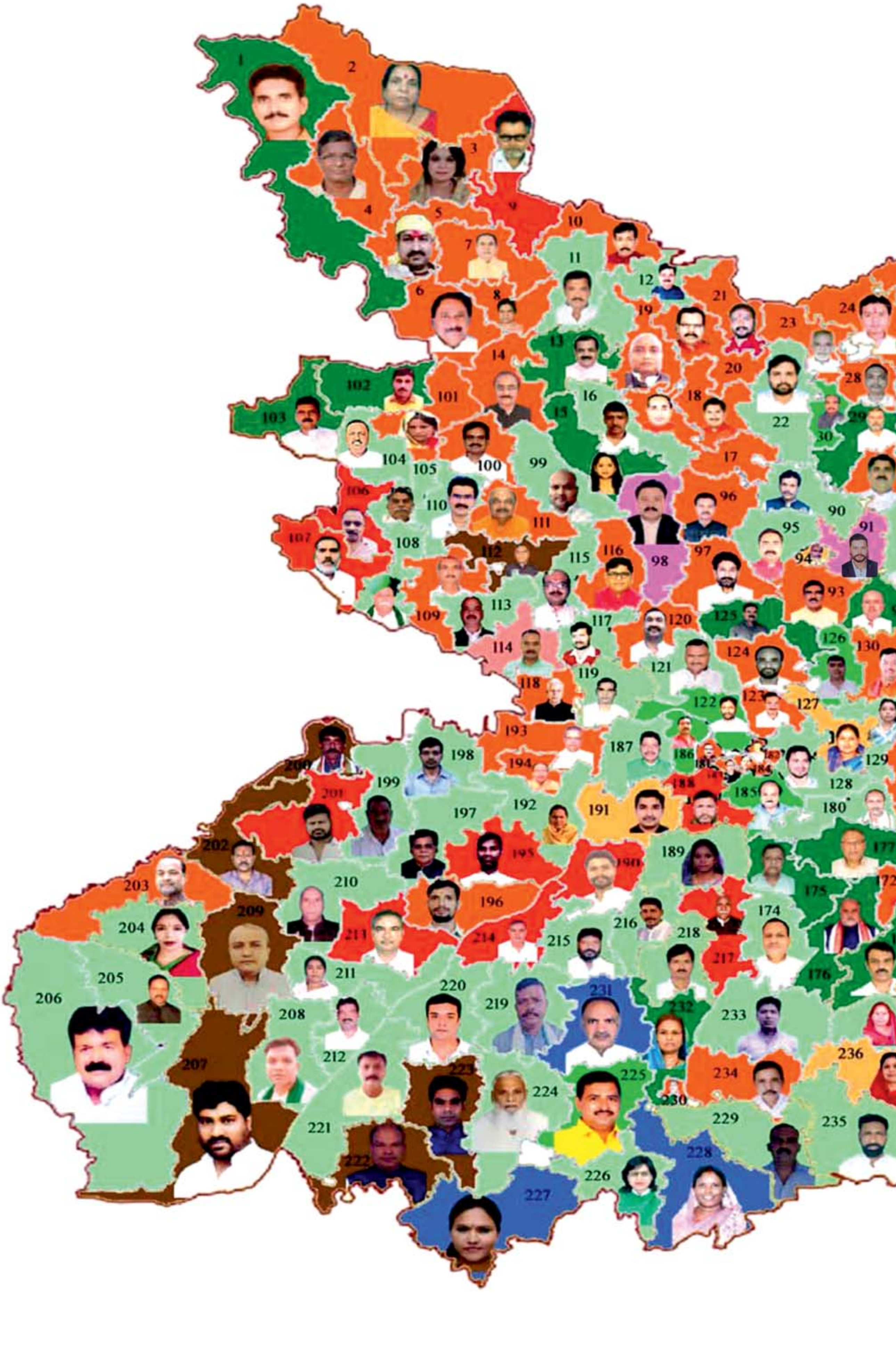

(दिनांक 04.12.2024 की क्षेत्रवार स्थिति)

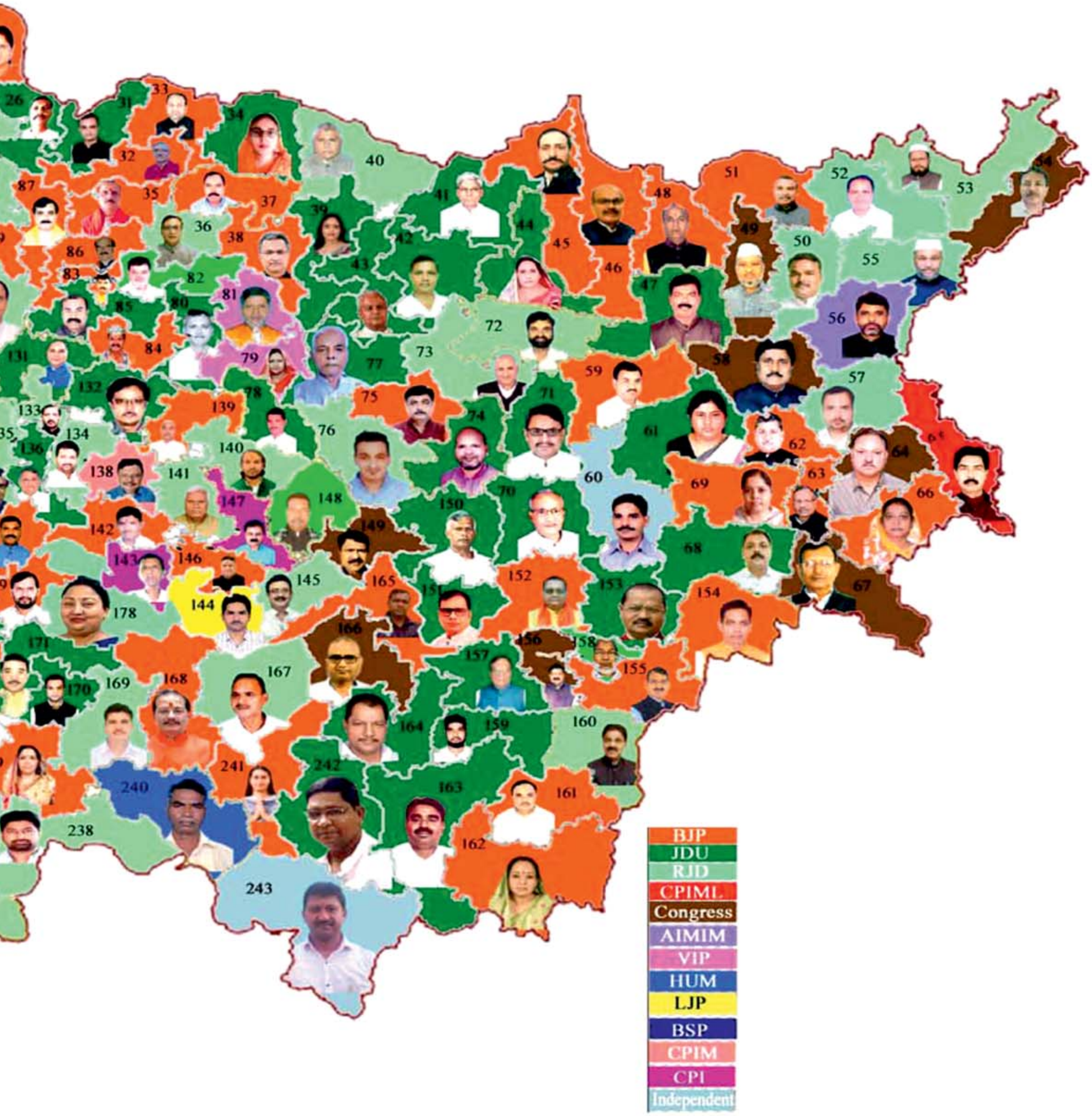

17वीं बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों के क्षेत्रवार नाम (04.12.2024 की स्थिति)

क्षेत्र का नाम	माननीय सदस्य का नाम
121. परसा	– छोटे लाल राय
122. सोनपुर	– डॉ० रामानुज प्रसाद
123. हाजीपुर	– अवधेश सिंह
124. लालगंज	– संजय कुमार सिंह
125. वैशाली	– सिद्धार्थ पटेल
126. महुआ	– मुकेश कुमार रौशन
127. राजापाकर (अ०जा०)	– प्रतिमा कुमारी
128. राघोपुर	– तेजस्वी प्रसाद यादव
129 महनार	– वीणा सिंह
130. पातेपुर (अ०जा०)	– लखेंद्र कुमार रौशन
131. कल्याणपुर (अ०जा०)	– महेश्वर हजारी
132. वारिसनगर	– अशोक कुमार
133. समस्तीपुर	– अख्तरूल इस्लाम् शाहीन
134. उजियारपुर	– आलोक कुमार मेहता
135. मोरवा	– रणविजय साहू
136. सरायरंजन	– विजय कुमार चौधरी
137. मोहिउद्दीन नगर	– राजेश कुमार सिंह
138. विभूतिपुर	– अजय कुमार
139. रोसड़ा (अ०जा०)	– बीरेन्द्र कुमार
140. हसनपुर	– तेज प्रताप यादव
141. चेरिया बरियारपुर	– राजवंशी महतो
142. बछवाड़ा	– सुरेन्द्र मेहता
143. तेघड़ा	– राम रतन सिंह
144. मटिहानी	– राज कुमार सिंह
145. साहेबपुर कमाल	– सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन
146. बेगूसराय	– कुंदन कुमार
147. बखरी (अ०जा०)	– सुर्यकान्त पासवान
148. अलौली (अ०जा०)	– रामवृक्ष सदा
149. खगड़िया	– छत्रपति यादव
150. बेलदौर	– पन्ना लाल सिंह "पटेल"
151. परबत्ता	– डॉ. संजीव कुमार
152. बिहपुर	– कुमार शैलेन्द्र
153. गोपालपुर	– नरेन्द्र कुमार नीरज
154. पिरपैंती (अ०जा०)	– ललन कुमार
155. कहलगांव	– पवन कुमार यादव
156. भागलपुर	– अजीत शर्मा
157. सुलतानगंज	– ललित नारायण मंडल
158. नाथनगर	– अली अशरफ सिद्दिकी
159. अमरपुर	– जयन्त राज
160. धोरैया (अ०जा०)	– भूदेव चौधरी
161. बाँका	– राम नारायण मंडल
162. कटोरिया (अ०ज०जा०)	– डॉ० निक्की हेम्ब्रम
163. बेलहर	– मनोज यादव
164. तारापुर	– राजीव कुमार सिंह
165. मुंगेर	– प्रणव कुमार
166. जमालपुर	– अजय कुमार सिंह
167. सूर्यगढ़ा	– प्रहलाद यादव
168. लखीसराय	– विजय कुमार सिन्हा
169. शेखपुरा	– विजय कुमार
170. बरबीघा	– सुदर्शन कुमार
171. अस्थावा	– जितेंद्र कुमार
172. बिहारशरीफ	– डॉ० सुनील कुमार
173. राजगीर (अ०जा०)	– कौशल किशोर
174. इस्लामपुर	– राकेश कुमार रौशन
175. हिलसा	– कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया
176. नालन्दा	– श्रवण कुमार
177. हरनौत	– हरिनारायण सिंह
178. मोकामा	– नीलम देवी
179. बाढ़	– ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह
180. बख्तियारपुर	– अनिरूद्ध कुमार
181. दीघा	– संजीव चौरसिया
182. बाँकीपुर	– नितिन नवीन
183. कुम्हरार	– अरूण कुमार सिन्हा
184. पटना साहिब	– नन्द किशोर यादव
185. फतुहा	– डॉ० रामानन्द यादव
186. दानापुर	– रित लाल राय
187. मनेर	– भाई वीरेन्द्र
188. फुलवारी (अ०जा०)	– गोपाल रविदास
189. मसौढ़ी (अ०जा०)	– रेखा देवी
190. पालीगंज	– संदीप सौरभ
191. बिक्रम	– सिद्धार्थ सौरव
192. संदेश	– किरण देवी
193. बड़हरा	– राघवेन्द्र प्रताप सिंह
194. आरा	– अमरेन्द्र प्रताप सिंह
195. अगिआँव (अ०जा०)	– शिव प्रकाश रंजन
196. तरारी	– विशाल प्रशांत
197. जगदीशपुर	– राम विशुन सिंह
198. शाहपुर	– राहुल तिवारी
199. ब्रह्मपुर	– शम्भू नाथ यादव
200. बक्सर	– संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी
201. डुमराँव	– अजीत कुमार सिंह
202. राजपुर (अ०जा०)	– विश्व नाथ राम
203. रामगढ़	– अशोक कुमार सिंह
204. मोहनिया (अ०जा०)	– संगीता कुमारी
205 भभुआ	– भरत बिन्द
206. चैनपुर	– मो० जमा खान
207. चेनारी (अ०जा०)	– मुरारी प्रसाद गौतम
208. सासाराम	– राजेश कुमार गुप्ता
209. करगहर	– संतोष कुमार मिश्र
210. दिनारा	– विजय कुमार मण्डल
211. नोखा	– अनिता देवी
212. डिहरी	– फते बहादुर सिंह
213. काराकाट	– अरूण सिंह
214. अरवल	– महानंद सिंह
215. कुर्था	– बागी कुमार वर्मा
216. जहानाबाद	– कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव
217. घोसी	– रामबली सिंह यादव
218. मखदुमपुर (अ०जा०)	– सतीश कुमार
219. गोह	– भीम कुमार सिंह
220. ओबरा	– ऋषि कुमार
221. नवीनगर	– विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह
222. कुटुम्बा (अ०जा०)	– राजेश कुमार
223. औरंगाबाद	– आनन्द शंकर सिंह
224. रफीगंज	– मोहम्मद नेहालउद्दीन
225. गुरूआ	– विनय कुमार
226. शेरघाटी	– मंजु अग्रवाल
227. इमामगंज (अ०जा०)	– दीपा कुमारी
228. बाराचटट्टी (अ०जा०)	– ज्योति देवी
229. बोधगया (अ०जा०)	– कुमार सर्वजीत
230. गया टाऊन	– प्रेम कुमार
231. टिकारी	– अनिल कुमार
232. बेलागंज	– मनोरमा देवी
233. अतरी	– अजय यादव
234. वजीरगंज	– बीरेन्द्र सिंह
235. रजौली (अ०जा०)	– प्रकाश वीर
236. हिसुआ	– नीतु कुमारी
237. नवादा	– विभा देवी
238. गोविन्दपुर	– मोहम्मद कामरान
239. वारसलीगंज	– अरूणा देवी
240. सिकन्दरा (अ०जा०)	– प्रफुल्ल कुमार मांझी
241. जमुई	– श्रेयसी सिंह
242. झाझा	– दामोदर रावत
243. चकाई	– सुमित कुमार सिंह

युवाओं का सशक्तीकरण : India's International Movement to Unite Nations

इंडिया'ज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशन्स (IIMUN) मुंबई आधारित एक विश्वव्यापी संगठन है जो 220 से अधिक शहरों और 35 देशों में छात्रों के लिए सम्मेलन आयोजित करता है। इसका उद्देश्य युवाओं को वैश्विक मंच पर भारतीय विचार को समझने और बातचीत करने के लिए सशक्त बनाना है। यह संगठन विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा का आयोजन करवाता है, जिससे युवाओं को वर्तमान मामलों को समझने में मदद मिलती है। यह युवाओं द्वारा संचालित संगठन है, और इस मामले में दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक है।

IIMUN के पटना चैप्टर का उद्घाटन करते हुए श्री नन्द किशोर यादव

IIMUN के पटना चैप्टर का उद्घाटन दिनांक 27 जुलाई, 2024 को पटना के खगौल स्थित रेडियेंट इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बिहार विधान सभा अध्यक्ष श्री नन्द किशोर यादव द्वारा किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों और छात्र–छात्राओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश की विकास की बड़ी जिम्मेदारी युग के वाहक युवाओं के कंधों पर है। अपनी संस्कृति से जुड़े सशक्त युवा ही भारत को विश्व गुरू बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। IIMUN का विश्व के देशों को जोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम की दार्शनिक अवधारणा के रूप में दृष्टिगोचर होता है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा भी विश्व पटल पर जोर दिया जा रहा है।

रेडियेंट स्कूल में छात्र-छात्राओं एवं गणमान्य लोगों को संबोधित करते विधान सभा अध्यक्ष

श्री नन्द किशोर यादव ने आगे कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के समाधान भी एक सीमा रहित दुनिया की मांग करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह के आयोजन वैश्विक नागरिकतावाद को बढ़ाने में एक सकारात्मक योगदान देंगे।

कार्यक्रम के अंत में श्री यादव ने विद्यालय परिसर में अशोक के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सकारात्मक संदेश दिया। इस अवसर पर मेजर जनरल वी.पी.एस. भकुनी एवं IIMUN के वरीय अधिकारीगण सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

– **धनंजय कुमार,** शोध/संदर्भ सहायक **एवं भावना कुमारी,** पुस्तकालय सहायक

* * *

सदन में शून्यकाल की महत्ता

डॉ संतोष कुमार सुमन
मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार सरकार

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत की संसदीय शासन प्रणाली व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से उत्तम एवं लोकप्रिय व्यवस्था है। केन्द्रीय (संघीय) स्तर पर संसद एवं राज्यों में विधानमंडल जनप्रतिनिधियों एवं सरकार के मध्य सार्थक संवाद एवं विमर्श हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है। संसद एवं विधानमंडल की कार्यवाही के सुव्यवस्थित संचालन हेतु अनेक नियमों एवं व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें शून्यकाल की व्यवस्था उल्लेखनीय है। भारत के संविधान के मूल प्रावधानों के अनुरूप विधायिका एवं कार्यपालिका संसदीय नियमों के तहत संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हैं।

शून्यकाल एक विशिष्ट भारतीय संसदीय नवाचार (Innovation) है अर्थात् शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था भारत देश की देन है। शून्यकाल की शुरूआत 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में की गयी थी। साठ के दशक में लोकहित में अति आवश्यक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को संसद में बिना किसी पूर्व सूचना के तुरंत प्रस्तुत करने की आवश्यकता के आलोक में शून्यकाल की प्रथा विकसित हुई। भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्व० रवि रे द्वारा 'शून्यकाल' की कार्यवाही को सुसंगत एवं वैधानिक रूप प्रदान करने हेतु रूपरेखा प्रतिपादित किया गया ताकि सदन के सदस्यों को तत्काल लोकहित के मुद्दों को प्रस्तुत करने का अधिक अवसर प्राप्त हो सके। यहां यह कहना प्रासंगिक होगा कि शून्यकाल सदन के सदस्यों के प्रश्नों को दाखिल करने की पूर्व निर्धारित समय सीमा से पृथक लोकहित के विषयों को सदन में तत्काल प्रस्तुत करने की अनौपचारिक व्यवस्था है।

शून्यकाल के संबंध में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 286 के अन्तर्गत माननीय सभापति द्वारा दिये गये निर्देश :

- 'शून्यकाल' में उठाया जाने वाला विषय उन तथ्यों एवं समस्याओं से संबंधित होना चाहिये जो रात भर में यथा किसी दिन का कार्य समाप्त होने के बाद तथा सदन की बैठक पुनः समवेत होने के पहले घटित हुई हो।
- ऐसा विषय सदस्यों की निजी जानकारी पर अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित होना चाहिए।
- यह सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों से सीधा संबंध अवश्य रखता हो अथवा उनसे जुड़ा हुआ हो।
- 'शून्यकाल' में दो से अधिक विषय नहीं उठाया जाना चाहिये ।
- ऐसा विषय उठाने वाले सदस्य को अपना वक्तव्य ढाई मिनट के भीतर समाप्त कर देना चाहिये।
- उपर्युक्त मामलों में सभापति मंत्री मंच (ट्रेजरी बेंच) को उत्तर देने के लिये कह सकेंगे। यदि उत्तर संक्षिप्त हो तो यह मंत्री मंच द्वारा उसी समय दिया जायेगा अथवा आगे किसी अन्य तिथि को दिया जायेगा।
- 'शून्यकाल' प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने के ठीक बाद तथा कार्य सूची के अनुसार कार्य प्रारम्भ होने के पहले तक होना चाहिये ।
- 'शून्यकाल' में प्रश्न उठाने के लिये, इच्छुक सदस्य को विषय का संक्षिप्त विवरण तथा उसे सदन में उठाने की अपनी इच्छा लिखकर, बैठक प्रारम्भ होने के कम–से–कम एक घंटा पहले सभापति को उनके वेश्म में दे देना चाहिये ।

- सभापति बिना कारण बताये किसी सूचना को अस्वीकार या स्वीकार कर सकेंगे।
- सभापति शून्यकाल के लिये किसी सूचना को अल्प सूचित प्रश्न या तारांकित प्रश्न या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में परिवर्तित करने का आदेश दे सकेंगे और यदि वे ऐसा निर्णय देते हैं तो सूचना देने वाले सदस्य को इस संबंध में अलग नियमित ढंग से कार्रवाई करने के लिये कह सकेंगे।
- प्रश्नों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की ग्राह्यता (एडमिसिबिलिटी) से संबंधित नियम, यथासंभव 'शून्यकाल' में उठाये जाने वाले विषयों पर भी लागू होंगे।
- जो विषय 'शून्यकाल' में उठाये गये हों तथा मंत्री मंच (ट्रेजरी बेंच) द्वारा उत्तरित हो गये हों, वे प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं स्थगन प्रस्तावों की विषय–वस्तु नहीं होंगे। विलोमतः (कनवर्सली) इन प्रस्तावों के अन्तर्गत आये हुए विषयों को शून्यकाल में उठाये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- शून्यकाल में कोई विषय उठाने वाले सदस्य को ढाई मिनट की निर्धारित अवधि में केवल तथ्यों का वर्णन करना चाहिये और उसे मंत्री मंच (ट्रेजरी बेंच) की जानकारी में लाना चाहिये। ऐसे विषय पर कोई वाद–विवाद नहीं होगा।
- फिर भी असाधारण मामलों में सभापति शून्यकाल में उठाये गए बिन्दुओं पर उस दिन का कार्य समाप्त हो जाने के बाद आधे घंटे के वाद–विवाद की अनुमति दे सकेंगे।
- किसी ऐसे सदस्य को जिन्होंने कोई विषय उठाने की अपनी इच्छा लिखित रूप से प्रकट नहीं की है, शून्यकाल में अकस्मात् प्रस्ताव के रूप में ऐसा करने की अनुमति उन्हें नहीं दी जायेगी।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 23 (क) में निर्देशित है कि ''सदस्य शून्यकाल की सूचना सभा की बैठक प्रारम्भ होने के दो घंटे पूर्व से एक घंटे के अन्दर सचिव को दे सकेंगे। प्रश्नोत्तर काल के बाद 20 मिनट की अवधि शून्यकाल की मानी जायेगी जिसमें सदस्य तात्कालिक और अत्यन्त लोक महत्व के विषय को उठा सकेंगे, जो अधिक से अधिक 50 शब्दों में होगा। शून्यकाल के लिये सभी स्वीकृत सूचनाओं की संख्या पन्द्रह से अधिक की नहीं होगी। समय की अवधि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।''

कालक्रम में संसद एवं विधानमंडलों में शून्यकाल का प्रयोग परंपरा एवं व्यवहार में उपयोगी तथा महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ है। एक उदाहरण से शून्यकाल के व्यवहार के विकास को अभिव्यक्त किया जा सकता है कि "शून्यकाल एक देहाती रास्ता के समान है जो रास्ता कभी नहीं रहा परन्तु आमजनों के आवागमन से अस्तित्व में प्रकट हुआ"। जहां शून्यकाल सदन के सदस्यों, मीडिया तथा जनमानस में लोकप्रिय एवं स्वीकार्य होता गया वहीं अनेक विधायी पदधारकों द्वारा इस अवधारणा की आलोचना की गयी है। शून्यकाल को लोकधन का अपव्यय तथा वैयक्तिक शिकायतों को सदन में प्रस्तुत करने की विधि बतायी गयी है, लेकिन विपक्ष एवं मीडिया द्वारा शून्यकाल को लोकहित में आवश्यक एवं प्रजातांत्रिक महत्व हेतु इंगित किया गया है।

समय–समय पर अनेक संसदीय समितियों तथा विधायी पदधारकों के स्तर से शून्यकाल को अधिक सार्थक बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं जिन पर अमल किये जाने से शून्यकाल महत्वपूर्ण संसदीय युक्ति के रूप में स्थापित हो सकेगा। सारांशतः कहना है कि शून्यकाल का प्रयोग इसके मूल अवधारणा के अनुरूप किये जाने में ही इसकी सार्थकता एवं प्रासंगिकता है।

* * *

दल-बदल विरोधी कानून की चुनौतियां एवं अध्यक्ष की भूमिका

बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
सदस्य, बिहार विधान सभा
09 सिकटा, प० चम्पारण

देश में जब भी कोई विधायिका का सदस्य अपने निजी स्वार्थ, स्वाभिमान या आन्तरिक मानसिक कलह या सत्ताधारी दलों के दबाव के कारण दूसरे दल की तरफ रुख करता है, तो दल–बदल सम्बन्धी कानून और अध्यक्ष की तरफ सबका ध्यान अपने आप खींचा चला जाता है। हाल के कुछ वर्षों में हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर बिहार और अब झारखंड तक देश के कई राज्यों में बड़े स्तर पर दल बदल की घटनायें सामने आते रही हैं, जिसने राज्य सरकारों में कई उलट–फेर किये हैं। कुछ मामलों में तो अध्यक्ष की भूमिका भी संदेह के दायरे में रही हैं। वर्तमान समय में सत्ताधारी दलों से कॉर्पोरेट जगत के सम्बन्धों ने सरकारों को बनाने और गिराने में पूंजी के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया है। एक–दो खास राजनीतिक दलों ने तो कॉर्पोरेट जगत से अपने सीधे सम्बन्धों के चलते इसमें महारत हासिल कर ली है। इस स्थिति में दल–बदल विरोधी कानून और अध्यक्ष की सीमा को उजागर कर दिया है। इस पर नये सिरे से विचार करने के पहले वर्तमान दल–बदल विरोधी कानून के सम्बन्ध में कुछ बातों को जान लेना जरूरी है।

दल–बदल विरोधी कानून क्या है ?

1960–70 के दशक में एक कहावत 'आया राम, गया राम' देश की राजनीति में काफी प्रचलित हुआ। इस कहावत ने कहीं न कहीं दल–बदल विरोधी कानून की आधारशीला रखी। 1967 में हरियाणा के एक विधायक 'गया लाल' ने 15 दिन के अन्दर तीन बार पार्टी बदल कर इस मुद्दे को राजनैतिक मुख्य धारा में ला खड़ा किया। ऐसे ही राजनेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने –जाने को रोकने और सरकार की स्थिरता को बरकरार रखने के लिए 52 वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में दल–बदल विरोधी कानून पारित हुआ। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची जिसमें दल–बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। इसे ही दल–बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है।

कानून का मुख्य उद्देश्य

दल बदल की घटनाएं लोकतंत्र की परम्पराओं पर काला धब्बा थी। ऐसी दल–बदल की कुप्रथा को समाप्त करना, विधायकों एवं सांसदों की खरीद फरोख्त (हॉर्स ट्रेडिंग) पर रोक लगाना एवं सरकार एवं राजनैतिक दलों में स्थिरता लाना ही इस कानून का मुख्य उद्देश्य है। दल–बदल की परंपरा ने हमेशा जनादेश के सम्मान को आघात पहुंचाया है। दल–बदल की परंपरा का इतिहास काफी पुराना रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व देखा जाय तो केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्य श्याम लाल नेहरू कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन मोंटफोर्ट सुधार के दौरान ब्रिटिश पार्टी में शामिल हो गये,

जिन्हें मोतीलाल नेहरू द्वारा निष्कासित कर दिया गया, जो विधान दल के नेता थे। स्वतंत्रता के बाद 1953 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) पार्टी नेता 'प्रकाश' (PSP) से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस की सरकार बना दी। ऐसे ही स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में नेताओं के निजी स्वार्थ में सरकार बार–बार गिरती और दल–बदल कर देश के विभिन्न राज्यों में अलग–अलग पार्टियों की सरकार बनती रही। राजनैतिक अस्थिरता और बार–बार चुनाव से क्षति को देखते हुए 24 जनवरी, 1985 को दल–बदल विरोधी कानून लोक सभा में पेश किया गया। 30 जनवरी को लोक सभा, 31 जनवरी को राज्य सभा और 15 फरवरी को राष्ट्रपति के सहमति के बाद यह कानून बना। यह अधिनियम सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के साथ ही 18 मार्च 1985 से प्रभावी हुआ। दल–बदल कानून विधायिका के सदस्यों को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने पर दंडित करता है।

कानून का उल्लंघन करने पर विधायिका के अध्यक्ष द्वारा उन्हें सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है। सदस्य को अयोग्य करार देने संबंधित निर्णय की शक्ति सदन के अध्यक्ष के पास होती है।

दल–बदल कानून का मुख्य प्रावधान : –

दल बदल पार्टी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि

1. निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
2. कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है।
3. किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता हो ।
4. कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है ।
5. छः महीने के समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनैतिक दल में शामिल हो जाता है। बिना इस्तीफा दिये भी एक विधायक को उसके आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है । 4 दिसम्बर, 2017 के आचरण के आधार पर अयोग्यता का उदाहरण :

श्री राम प्रसाद सिंह द्वारा श्री शरद यादव के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सभा के सभापित ने याचिका को अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वयं विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण सदस्यता छोड़ दी। विरोधी गतिविधियां जैसे :–

1. विपक्षी दलों द्वारा आयोजित रैली में भाग लेना ।
2. पार्टी नेतृत्व के दिशा–निर्देश के खिलाफ वोट करना
3. सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आलोचना करना।

दल–बदल कानून के अपवाद– कानून में कुछ ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें दल–बदल को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा । 1985 के अधिनियम के अनुसार एक राजनैतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के एक तिहाई (1/3) सदस्यों द्वारा दल–बदल को विलय माना जाता था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह लागू किया गया कि जब किसी विधायक दल के कुल विधायकों के दो–तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हो तो उसे वैध माना जायेगा। ऐसी स्थिति में न तो दल–बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा, और न ही राजनैतिक दल पर। यदि कोई सदस्य सदन का अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी बन जाता है, और स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसे पार्टी में वापस शामिल होने पर अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है। यानि सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। कोई भी कानून बने, मौजूदा समय में कानून की प्रासंगिकता की चर्चा स्वाभाविक होती है। कानून के पक्ष एवं विपक्ष में लोगों के तर्क एवं कानून के लाभ हानि की चर्चा समीक्षा लोगों में बनी रहती है।

दल–बदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क–

1. दल–बदल विरोधी कानून ने राजनैतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोक कर सरकार को स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1985 के पूर्व कई बार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे। जिससे सरकार जल्द गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था।
2. दल–बदल के कारण अनियमित चुनाव में होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में मदद मिली।
3. कानून से धन एवं पद के लालच के कारण अवसरवादी राजनीति पर रोक लगी।
4. इस कानून ने राजनैतिक दल के प्रभाव को बढ़ाया है जिसमें व्यक्ति से ज्यादा महत्व पार्टी की हो गई।

दल–बदल कानून के विपक्ष में तर्क–

1. दल–बदल के आधार पर अयोग्यता सदस्यों की भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है।
2. पार्टी के रुख एवं नीतियों से असहमति के मामले में अपनी पार्टी छोड़ने की स्वतंत्रता रखने से रोकता है।
3. इस तरह के प्रतिबंध से निर्वाचित सदस्यों को पार्टी में निर्णय लेने वाले के लिए "येसमैन" बने रहना पड़ सकता है।
4. यह कानून जनता का नहीं, बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात "पार्टी राज" को बढ़ावा देती है।
5. दल–बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाईन से अलग किन्तु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि दुनिया में कई पारंपरिक लोकतंत्रों में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है–जैसे इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, अमेरिका। यहां प्रतिनिधि अपने दल के विपरीत मत रखते हैं, पार्टी लाईन से अलग जाकर वोट करते है, तो भी वे पार्टी में बने रहते हैं।

अध्यक्ष की भूमिका

अध्यक्ष/पीठासीन (प्रिज़ाइडिंग) अधिकारी संसद और राज्य विधान सभाओं में लोकतांत्रिक नियमों की प्रकिया का संरक्षक माना जाता है। अध्यक्ष विधायिका का प्रमुख होता है। 10वीं अनुसूची के आधार पर दल–बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यों के अयोग्यता के मामले में अंतिम मूल्यांकनकर्त्ता सदन के अध्यक्ष होते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधित प्रश्नों के निर्णय के लिए सदन के सभापति/अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। कानून समय सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर अध्यक्ष फैसला करे। अध्यक्ष किसी सदस्य को केवल तभी अयोग्य घोषित कर सकता है जब उसके समक्ष 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद (पैरा)–2 के तहत अयोग्यता का दावा किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 एवं 10वीं अनुसूची के आलोक में अध्यक्ष का कार्य न्यायिक प्रकृति का है, क्योंकि वह एक सदस्य द्वारा अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद ही निर्णय ले सकता है।

किसी भी याचिका में अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

अध्यक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 और 212 की कार्रवाई और आचरण से मुक्त है। अनुच्छेद 212 एवं 122 में कहा गया है कि अदालत को संसद/विधान मंडलों की कार्यवाही की जांच नहीं करनी है। विधायिका और कार्यपालिका अपने–अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। सदन के अध्यक्ष जरूर किसी दल से आते हैं। लेकिन उनकी शान्ति एवं कार्य न्यायिक प्रकृति का होता है, और वे एक न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं।

अतः आज के दौर में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अध्यक्ष को दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए ।

* * *

संसदीय व्यवस्था में विशेषाधिकार एवं प्रोटोकाल में अंतर

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद और विधान मंडल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्थाएं हैं और वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप और व्यवधान के अपने कार्य प्रभावी ढंग से कर सके इस हेतु उन्हें संविधान, नियमों, विधियों एवं परंपराओं के आधार पर विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 तथा 194 में क्रमशः संसद और विधानमंडलों के प्रत्येक सदन, सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उल्लेख है। विशेषाधिकार प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से, उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से तथा समितियों को प्राप्त हैं जिनका उद्देश्य सदन की स्वतंत्रता, अधिकारों तथा मर्यादा की रक्षा करना होता है। विशेषाधिकार सदस्यों को इसलिए प्रदान किये गये हैं कि वे सदन में बिना किसी बाधा और रोक के अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें। ये विशेषाधिकार सदस्य को उसी सीमा तक प्राप्त हैं जिस सीमा तक उनको सदन अथवा सदन की समितियों की कार्यवाहियों का स्वतंत्र रूप से निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझा जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी सदस्य कानून से ऊपर नहीं है। सदन और उसकी कार्यवाहियों को छोड़कर अन्य सभी बातों के लिए निर्मित कानून प्रत्येक सदस्य पर उसी प्रकार से लागू होते हैं जिस प्रकार से वे आम जनता पर लागू होते हैं।

संसद और विधान मण्डलों के सदस्यों को दो प्रकार से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार कहा जा सकता है।

व्यक्तिगत विशेषाधिकार– जब संसद का सत्र चल रहा हो उस समय सदस्य किसी न्यायालय में लंबित मामले में उपस्थित होने या कोई प्रमाण प्रस्तुत करने से मना कर सकता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 135 (क) के अंतर्गत दीवानी मामलों में सदस्य को सदन की कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और कार्यवाही पूर्ण होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यहां यह स्पष्ट है कि यह अधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध है ना कि आपराधिक मामलों में। सदन में उन्हें वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अतः सदस्य को सदन या समिति में किसी बात को कहने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसके लिए उसके ऊपर किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

सदन के विशेषाधिकार– पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सभा परिसर में सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और न ही न्यायिक आदेशों की तामीली की जा सकती है। किसी न्यायालय को सदन या इसकी किसी समिति की कार्यवाही की जांच करने का अधिकार नहीं है।

भारत में विधायिका के किसी भी सदन के विशेषाधिकार भंग को सदन की अवमानना माना गया है और उसके लिए उसे विशेषाधिकार भंग के दोषी को दंड देने का अधिकार प्राप्त है। सदन विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने, सदन की अवमानना या अनादर करने आदि के मामलों में बाहरी व्यक्तियों को चेतावनी और दंड दे सकती है। यदि व्यक्ति सदन का सदस्य है तो सभा उसे निष्कासित अथवा शेष सत्रावधि हेतु निलंबित भी कर सकती है।

प्रायः यह प्रश्न उठता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है फिर सदस्यों को विशेषाधिकार क्यों प्रदान किये गये हैं? इसकी अवधारणा यह है कि सदस्य सदन के अंदर जनकल्याण और जनता की भलाई से संबंधित विषय और मुद्दे उठाते हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का भय न हो और वे बिना किसी बाधा या दबाव के स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कह सकें। इसलिये सदन में उनके द्वारा कही गई किसी बात या उठाये गये किसी मुद्दे के संबंध में विशेषाधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। सदस्य को सदन के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। सदन में उसके द्वारा कही गई किसी बात को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता और न ही उसके विरुद्ध मानहानि का प्रकरण बनाया जा सकता है। अगर सदस्य द्वारा सदन के बाहर कोई ऐसा कथन या कृत्य किया जाता है जो विधि विपरीत हो तो उसे विशेषाधिकारों का कवच प्राप्त नहीं होगा। उस पर प्रचलित कानून के अंतर्गत ही कार्यवाही की जाएगी।

विशेषाधिकार सदन, समिति एवं सदस्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। यदि ये विशेषाधिकार प्रदान नहीं किये जाएंगे तो विधायिका अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ हो जाएगी। तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असुविधा महसूस करेगी। सदन में की गई अभिव्यक्ति को यदि न्यायिक जांच के अंतर्गत रखा जाएगा तो सदन के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न होगी इससे सदन की मर्यादा और गरिमा कम होगी। अतः स्पष्ट है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य विधायिका की स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा करना है। साथ ही संविधान के अंतर्गत विधायिका के सदस्यों को जो कार्य सौंपे गये हैं उनके निर्वहन के लिये भी ये विशेषाधिकार आवश्यक है।

भारतीय समाज में प्राचीनकाल से ही शिष्टाचार की परंपरा रही है परंतु शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के समक्ष सामान्य शिष्टाचार का भी पालन नहीं करने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। शिष्टाचार से तात्पर्य है—विभिन्न शासकीय विभाग के अधिकारियों—कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्यालय में माननीय सदस्यों के साथ उनकी गरिमा के अनुरूप, सौजन्ययुक्त व्यवहार किया जाना, न कि माननीय सदस्य के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार करते हुए शासन के निर्देशों का अपालन करना। उनको विभाग से संबंधित जानकारी का प्रदाय न करना तथा स्थानीय कार्यक्रमों में न बुलाना शिष्टाचार उल्लंघन माना जाता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते सदस्यों को दोहरी भूमिका का निर्वहन करना होता है। एक ओर जहां विधायक के नाते अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करना, वहीं विधायिका का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों के माध्यम से जनहित के कार्य करना। विधायी कार्यों को करते समय यदि किसी के द्वारा विधायक के कार्यों में कोई अड़चन या बाधा उत्पन्न की जाती है तो विधायक को विशेषाधिकार का संरक्षण प्राप्त है। जनहित से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों के निराकरण बाबत विधायक द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यालयों और अधिकारियों से मिलकर निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है। यदि उन अधिकारियों द्वारा विधायक की गरिमा के अनुकूल सम्मानजनक व्यवहार अथवा शासकीय जानकारियों का प्रदाय नहीं किया जाता है तो इसे शिष्टाचार (प्रोटोकाल) का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरह माननीय सदस्यों के पत्रों का जवाब अधिकारियों द्वारा नियत समय सीमा में नहीं देना भी शिष्टाचार के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

विशेषाधिकार सामान्यतः माननीय सदस्यों को सभा/सदन से संबंधित कार्यों के संपादन हेतु प्राप्त होते हैं जबकि शिष्टाचार (प्रोटोकाल) सामान्यतः शासन के दिशा—निर्देशों/नियमों/आदेशों से संचालित होता है। प्रायः देखा गया है कि शिष्टाचार का उल्लंघन करने के मामले विशेषाधिकार भंग के मामले समझ लिए जाते। जैसे कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किसी का भूमिपूजन अथवा किसी निर्माण कार्य शिलन्यास किया जाता है और विधायक का नाम आमंत्रण पत्र में नहीं होता अथवा उन्हें नहीं बुलाया जाता तो ये मामले शिष्टाचार (प्रोटोकाल) से संबंधित हैं न कि विशेषाधिकार भंग से संबंधित। इसी प्रकार यदि विधायक द्वारा क्षेत्र में कोई बैठक ली जाती है और उनके नाम की नाम पट्टिका नहीं रखी जाती

है या विधायक के नाम की नामपट्टिका रखे स्थान पर कोई अन्य/बाहरी व्यक्ति बैठता है या विधायकों को वरिष्ठता के क्रम में नहीं बैठया जाता तो यह सभी प्रकरण शिष्टाचार के उल्लंघन माने जाते हैं न कि विशेषाधिकार भंग के। यह भी देखने में आया है कि विधायक शासकीय अधिकारियों से मिलने उनके कार्यालय जाते हैं तो संबंधित अधिकारी द्वारा सम्मान न देना, बैठने हेतु उचित स्थान न देना, भेंट हेतु अनावश्यक विलंब कराना तथा उनके द्वारा दिये गये पत्र पर कार्यवाही न करना/जानकारी का प्रदाय न करना इत्यादि समस्त मामले शिष्टाचार उल्लंघन के अंतर्गत आते हैं।

मध्यप्रदेश विधान सभा में ऐसे मामले जो विशेषाधिकार भंग के न होकर शिष्टाचार उल्लंघन के होते हैं, उनके परीक्षण के लिए सदस्य सुविधा समिति के कार्यक्षेत्र में इस तरह के प्रावधान किए गए थे। किंतु यह अनुभव किया गया कि यह समिति अपने बहुआयामी कार्यों के कारण शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों पर समग्र रूप से विचार–विमन नहीं कर पाती। इस परिप्रेक्ष्य में और सदस्यों के अनुरोध तथा नियम समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश विधान सभा में सदस्यों के शिष्टाचार एवं सम्मान अनुरक्षण समिति का गठन किया गया है जो मूल एवं स्वतंत्र रूप से शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों पर विचार करती है। पूर्व में सदस्य सुविधा समिति को शिष्टाचार उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच हेतु जो प्रावधान किए गए थे वही इस नई गठित समिति को सौंपे गए हैं। अब यही समिति शासकीय अधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ किये जाने वाले असम्माजनक व्यवहार से संबंधित समस्त विषयों पर विचार करती है एवं शिकायतों की जांच कर सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। इस समिति के कार्यक्षेत्र में मुख्य प्रावधान इस प्रकार है :– शासन के निर्देशों, आदेशों के विपरीत अथवा ऐसे आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शासकीय कार्यालयों, शासकीय अधिकारियों द्वारा सदस्यों के साथ किये गये असम्मानजनक व्यवहार की शिकायत जो हाल ही में घटित हुई हो, क्षेत्रीय विकास निधि से उनके विधानसभा क्षेत्रों में स्वीकृत किये गये कार्यों के प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने, प्रस्तावित कार्यों को आरंभ न करने तथा अनावश्यक रूप से विलंब करने संबंधी शिकायतें।

माननीय सदस्यों के गृह जिलों में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार का उल्लंघन करने संबंधी घटनाएं आम हो रही है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं किंतु अपेक्षा अनुसार सुधार नहीं हो रहा है। माननीय सदस्यों से प्राप्त पत्रों की अभिस्वीकृति अधिकतम तीन दिनों में भेजने, उनके द्वारा प्रेषित पत्रों के लिए पृथक पंजी संधारित करना, प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही कर आदेश की प्रति माननीय सदस्यों को भेजना, प्रकरणों के निराकरण में अधिक समय लगने पर उसकी सूचना दिया जाना, प्रत्येक कार्यालय प्रमुख द्वारा प्राप्त पत्रों की मासिक समीक्षा करना, शासन के किसी विभाग/कार्यालय/संस्था तथा शासकीय महाविद्यालयों में गठित जनभागीदारी समितियों द्वारा आयोजित शासकीय/सार्वजनिक किसी कार्यक्रम/समारोह में संबंधित क्षेत्र के माननीय सदस्यों को आमंत्रित करना, आर्डर ऑफ प्रेसीडेंस के आधार पर बैठने के लिए गरिमा अनुकूल स्थान दिये जाने संबंधी निर्देश शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) के अंतर्गत जारी किये गये हैं। किंतु कई बार इनका अनुपालन नहीं किया जाता।

विशेषाधिकार के अंतर्गत माननीय सदस्यों के कर्तव्य पालन में बाधा डालने संबंधी प्रकरण, सदस्यों की अवमानना संबंधी प्रकरण, सदन को गलत जानकारी देने संबंधी प्रकरण, समितियों से संबंधित विशेषाधिकार भंग के प्रकरण एवं पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाने संबंधी प्रकरण सदन के बेल में नारे लगाना, कागज फेंकना, कार्यवाही में बाधा डालना, समाचार पत्रों में असत्य जानकारी प्रकाशित करना, पुलिस द्वारा माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करना, सदस्यों के सभा में आचरण को लेकर उनकी निंदा करना, सभासदन की कार्यवाहियों को विकृत रूप में छापना, अध्यक्ष के कार्यपालन के दौरान उनके चरित्र अथवा निष्पक्षता पर लगाये गये आक्षेप इत्यादि आते हैं जबकि शिष्टाचार (प्रोटोकाल) में सदस्यों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के प्रकरण जैसे स्थानीय विधायक को शिलान्यास कार्यक्रम में न बुलाना, जिले में होने वाली बैठकों में वरिष्ठताक्रम निर्धारित न होना, नाम पट्टिका न लगाना, जनप्रतिनिधियों को अपने

क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को रखने हेतु अधिकारियों द्वारा समय न दिया जाना, जनसमस्या से संबंधित ज्ञापन नहीं लेना, शासन के द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करना इत्यादि आते हैं।

लेकिन यह देखने में आता है कि सदस्य विशेषाधिकार एवं शिष्टाचार संबंधी मामलों में अंतर नहीं कर शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों को विशेषाधिकार भंग मान लेते हैं और सूचनाएं देकर कार्यवाही करने का अनुरोध करते हैं। जबकि यह स्पष्ट है कि उनके विशेषाधिकार क्या हैं और ये उन्हें कब तथा कहां तक प्राप्त हैं। कई बार सदस्य भी तुच्छ मामलों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं दे देते हैं। इसी प्रकार शिष्टाचार उल्लंघन की कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जो वास्तव में किसी गलतफहमी से उत्पन्न हुई होती है और उनमें जानबूझकर वैसा करने का कोई आशय निहित नहीं होता। इस स्थिति में सदस्यों से भी सहिष्णुता एवं सौजन्यता बरतने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि शासकीय सेवक भी सेवा नियमों की सीमाओं से बंधे होते हैं और उन्हें नियमानुसार ही अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करना होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों से शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की अपेक्षा जनप्रतिनिधियों के मामले में आवश्यक तो है ही क्योंकि वे जनता प्रतिनिधि होते हैं और जनसमस्याओं के निराकरण हेतु ही ये शासकीय अधिकारियों से संपर्क करते हैं। वहीं सदस्यों का कार्य व्यवहार भी गरिमा अनुरूप होना चाहिए। यदि शासकीय सेवक जनप्रतिनिधियों से सहयोग व समन्वय से कार्य करेंगे तो सदस्यों का विशेषाधिकार भंग नहीं होगा और न ही शिष्टाचार (प्रोटोकाल) का उल्लंघन होगा अपितु दोनों जनसेवा के जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यरत हैं वह शीघ्र एवं श्रेष्ठ रूप में फलीभूत हो सकेगा।

राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित तदनुरूपी उपबंध संविधान के अनुच्छेद 194 में दिए गए हैं जो कि सांसद से संबंधित अनुच्छेद 105 के समान ही हैं।

(1) इस संविधान के उपबंधों के और विधान–मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान–मंडल में वाक्–स्वातंत्र्य होगा।

(2) राज्य के विधान–मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान–मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे विधान–मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में राज्य के विधान–मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान–मंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जो वह विधान–मंडल, समय–समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करें और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चत नहीं की जाती हैं, तब तक वही होंगी, जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान–मंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उस विधान–मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

***

जागो, उठो, बढ़े चलो

ख्याति सिंह
(बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना

सूरज की लालिमा से
नवशक्ति का सृजन करो,
जागो, उठो, बढ़े चलो
सत्कीर्ति का वरण करो।

ये ज़िन्दगी हमेशा
वीरों के साथ है,
वो क्या जियेंगे इसको
जो ख़ुद निराश है,
ख़ुद को अभी संभालो
आगे का रुख करो।

जागो, उठो, बढ़े चलो
सत्कीर्ति का वरण करो।

राहों में मुश्किलें हैं
पथ में बिछे हैं कांटे,
तो क्या हुआ ये तो
जीवन की हैं सौगातें,
इनको गले लगाकर
सोल्लास चल पड़ो।

जागो, उठो, बढ़े चलो
सत्कीर्ति का वरण करो।

* * *

राजनीति का अपराधीकरण : समस्या व समाधान

प्रो. (डॉ.) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
उप नेता (सत्तारूढ़ दल)
बिहार विधान परिषद्

लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रहित में कार्य करना है। इसी उम्मीद से जनता मतदान के द्वारा सांसद, विधायक एवं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों से देश को अपेक्षा रहती है कि ये जनसरोकार के मुद्दों पर विचार–विमर्श कर नीति–निर्धारण का कार्य करेंगे। लेकिन जब इन माननीयों का रिश्ता अपराध जगत से जुड़ने लगता है तो जनमानस का विश्वास टूटता है और आक्रोश भी फूटता है। जनप्रतिनिधियों की जीवनशैली, बोल–चाल, रहन–सहन एवं व्यवहार को आदर्श मानकर समाज उसका अनुसरण करता है। डॉ अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लालबहादुर शास्त्री, डॉ. लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, मधु लिमये जैसे नेताओं के अनेक उदाहरण हैं जिनके तथ्य एवं तर्कपूर्ण बातों को लोग सुनने के लिए इच्छुक रहते थे। सदन की कार्यवाही को घरों में सुनने और देखने का प्रचलन था। पूर्व के राजनेताओं को आदर्श मानकर मरणोपरांत चौक चौराहे पर उनकी प्रतिमा लगाकर, रोड व संस्थाओं का नामकरण कर समाज उन्हें स्थापित करता था ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल सके। दुर्भाग्यवश आज कई नेता संवैधानिक पद पर रहते हुए जनता के पैसे से स्वयं की मूर्ति स्थापित करवाने की होड़ में लगे रहते हैं।

भारत में 1980 के दशक से राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के कई कारण है। चुनाव में धनबल एवं बाहुबल का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव जीतने के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को धनबल एवं बाहुबल के कारण टिकट दिया जाता है। सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे अपराधियों को इनाम के तौर पर राजनीति में लाया जाता है और फिर उन्हें जनता का सेवक बताकर उनके घृणित कार्य को छुपाने का प्रयास भी किया जाता है। कई बार तो आपराधिक तत्वों को राजनीति में उनकी जाति, धर्म एवं समुदाय के आधार पर प्रवेश कराया जाता है। भारत में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जहां एक परिवार ही पार्टी है। कहने को तो उस पार्टी का संविधान है, लेकिन वास्तविकता में पार्टी में कोई भी निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से न होकर एक परिवार की इच्छा अनुसार ही होता है। आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट मिल जाता है। जब जनता की आवाज बनने वाले प्रतिनिधि ही अपराध से घिरे होंगे तो वह अपनी जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? अब राजनीति में सेवा भाव से आने वाले लोगों की संख्या कम देखने को मिलती है। इस दौर में अधिकांश लोग राजनीति का मार्ग अपनाकर अपने व्यावसायिक कार्यों को मजबूती प्रदान करने में लगे रहते हैं। समय के साथ–साथ राजनीति के तौर तरीकों में बदलाव हुआ है। पूर्व में अपराधी जनप्रतिनिधि को जिताने का प्रयास करते थे जो जितने के बाद उसके कुकर्मों में मददगार बन संरक्षण प्रदान करेगा, परंतु ये अपराधी अपनी ताकत को पहचान कर अब स्वयं जनप्रतिनिधि बनने लगे हैं।

भारतीय राजनीति में कई ऐसे दौर आए हैं, जब अपराधियों को राजनीतिक दलों द्वारा संरक्षण देकर माननीय बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर 20 दिसंबर 1978 को भोला नाथ पांडे एवं देवेंद्र पांडे द्वारा लखनऊ से दिल्ली की उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइन्स की विमान बोइंग 737 को 132 यात्री समेत हाईजैक कर बंधक बनाया गया था जिसे बाद में प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा उनपर कठोर कारवाई करने की बजाए मुकदमें वापस लिए गए तथा दोनों को पाक–साफ बताते हुए चुनाव भी लड़वाया गया। अपराधी का बोलबाला इतना कि कई बार तो वह जेल से चुनाव लड़ते

और जीतते रहे हैं। वहीं देश में माननीय लालकृष्ण आडवाणी जैसे जनप्रतिनिधि थे जब उनपर प्रायोजित आर्थिक अपराध की श्रेणी का आरोप लगा तो स्वयं इस्तीफा दे दिए एवं अपराध मुक्ति के पश्चात पुनः सांसद बने।

राजनीति के अपराधीकरण होने का नकारात्मक एवं दूरगामी प्रभाव हमारे समक्ष है। पूर्व में जब सदन की कार्यवाही चलती थी तब सदन में गरिमामयी ढंग से विभित्र मुद्दों पर सार्थक बहस होता था। आज उसकी गुणवता में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप सदन के भीतर की घटनाएं हिंसात्मक तक हो जाती है। इसका प्रमुख कारण आपराधिक तत्वों का सदन में पहुंचना भी है। अपनी राजनीतिक शरण लेकर अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। सत्ता के सहारे वह कानूनी कारवाई में धन–बल के माध्यम से बाधा उत्पन्न कर प्रभावित करने का प्रयास करते है। मुख्य दो प्रकार के अपराधी राजनीति में देखने को मिलते हैं। एक हिंसक अपराधी तो दूसरे आर्थिक अपराधी। हिंसक अपराधी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपने क्षेत्र में लोगों को डरा–धमका कर स्वयं की मर्जी से वोट डलवाते हैं। चुनाव में ऐसे असामाजिक तत्वों के बलबूते ही बूथ कैप्चर करने की कई घटनाएं पूर्व में देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ आर्थिक अपराधी पैसों के बल पर नेताओं के प्रिय बने रहते हैं। दोनों श्रेणी के अपराध में सामान्य बात यह है कि जब वह स्वयं के पैर जमा लेते हैं तो उसी अपराधी प्रवृति के अपने अन्य साथियों को इस कड़ी में जोड़ते हैं, फिर इनका कारवां बढ़ता जाता है। अपराधियों को राजनीति में बढ़ावा मिलने से समाज की शांति, सौहार्द भी बिगड़ता है। विगत कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में इस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है। इसलिए राजनीति का अपराधीकरण हो या अपराधी का राजनीतिकरण, दोनों ही राष्ट्र एवं लोकतंत्र के लिए घातक है।

राजनीति का अपराधीकरण की समस्या लोकसभा एवं विधानसभा तक ही सीमित नहीं है। इसकी गहरी जड़ें नगर निकाय और पंचायत चुनाव तक फैली हुई है। इसके परिणाम के रूप में अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव लड़ते हैं तथा धन और बाहुबल के दम पर जीतते भी हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य एवं संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध है। राजनीति का अपराधीकरण विषय पर पूर्व में कई बार न्यायालय द्वारा भी चिंता जताते हुए कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह आंकड़ा प्रस्तुत हुआ कि गत चार लोकसभा चुनाव में सांसदों के विरूद्ध आपराधिक मामले में निरंतर बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप स्वाभाविक है। सन् 2004 के दौरान लोकसभा में 24 प्रतिशत सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले थे। 2009 में यह बढ़कर 30 प्रतिशत हुआ, फिर 2014 में यह आंकड़ा 34 प्रतिशत पहुंच गया और 2019 में छलांग लगाकर यह संख्या 43 प्रतिशत हो गई है। इनमें से कई माननीयों पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं।

सन् 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मई, 2002 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय एवं स्थानीय चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन भरने के दौरान अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक जानकारी को विस्तृत ढंग से सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। बाद में कोर्ट के आदेश को विधेयक के माध्यम से दिसंबर, 2002 को पलट दिया गया था। इसे पुनः न्यायालय में चुनौती दी गई जिसपर सर्वोच्च अदालत ने मार्च, 2003 के अपने फैसले में विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए पूर्व के आदेश को लागू कर दिया था। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के चर्चित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (4) को असंवैधानिक घोषित करते हुए फैसला सुनाया था कि किसी भी सदन का कोई भी सदस्य यदि अपराध में दोषी पाया जाता है तथा 2 वर्ष और उससे अधिक समय के लिए कारावास की सजा मिलती है तो तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सन् 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपराधियों को मदद पर रोक लगाने की दिशा में निर्देश दिए गए थे। फिर पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में सितंबर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव लडने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग के साथ–साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देकर सार्वजनिक करना होगा। इस पर कोई पहल नहीं होने के कारण पुनः 14 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए

अपने फैसले में कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। प्रत्याशी चयन करने के 72 घंटों के भीतर इस संबंध में चुनाव आयोग को भी सूचित करना होगा। कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने वाले राजनीतिक दलों पर न्यायालय की अवमानना के अन्तर्गत चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की रोकने हेतु लगभग आधा दर्जन से अधिक समिति एवं आयोग का गठन किया गया था, जो समय–समय पर अपने सुझाव दिए हैं।

एक प्रश्न यह उठता है कि जब जनता द्वारा ही माननीय को चुना जाता है तो फिर उस पर सवाल क्यों उठाना ? यह सही है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वेच्छा से करती है, लेकिन यह भी सत्य है कि राजनीतिक दलों की पसंद दागी उम्मीदवार रहते हैं। इसलिए जनता के चुनने से पूर्व ही राजनीतिक दल उम्मीदवार के रूप में ऐसे लोगों को चुन कर टिकट दे देते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 में प्रमुख तीन दलों को मिलाकर लगभग 81 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। जब राजनीतिक दलों के द्वारा ही अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा तो जनता उनके द्वारा भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त समाज के वायदों को कितनी गंभीरता से लेगी, यह भी विचारणीय है। अपराध के रास्ते राजनीति में आए हुए नेता राष्ट्र की बात तो दूर अपने पार्टी के प्रति भी समर्पित नहीं होते हैं। ऐसे लोग अवसरवाद से घिरे होते हैं। इन्हे सिद्धांत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पद और पैसा का भूत उनपर इतना सवार होता है कि यह कभी भी किसी दल में जा सकते हैं। यूपी, बिहार समेत कई अन्य राज्यों में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों की सूची देखने से पता चलता है कि यह जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि, अपराधियों के प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है। कई बार तो जनता ने ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव में हराकर प्रतिशोध भी लिया है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2022 को देखा जा सकता है, जहां पार्टियों द्वारा टिकट पाने में प्रत्याशी सफल तो रहें लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के कारण कई बार चुनाव में जनता के समक्ष कोई विकल्प नहीं होता है। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिलने से जनता में नाराजगी देखने को मिलती है। सन् 2013 के पूर्व भारत में प्रत्याशियों को नकारने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मजबूरन जनता उन अपराधियों में से कम अपराध वाले प्रत्याशी को वोट देती थी या फिर स्वयं को चुनाव से अलग रखती थी । लेकिन वर्ष 2013 से नोटा का विकल्प उपलब्ध होने के बाद अंतर देखने को मिला है। जैसे 2013 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 77.12 प्रतिशत वोट पोल हुआ था जिसमें 3.06 प्रतिशत वोट नोटा था। सन् 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में 56.66 प्रतिशत कुल मतदान पोल हुआ था जिसमें नोटा में पड़े कुल मत का प्रतिशत 2.50 था। वहीं 2013 राजस्थान विधान सभा चुनाव में 75.04 प्रतिशत वोट पोल हुआ था और नोटा में 1.91 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 65 लाख से अधिक मत नोटा को मिला था।

इस समस्या के समाधान हेतु प्राथमिक स्तर पर राजनीतिक दलों को आगे आना होगा। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार का चयन करते समय बस जीत की जिद नहीं होनी चाहिए। उन्हें पार्टी हित से ऊपर उठकर भारतीय लोकतंत्र को संपन्न करने पर विचार करना चाहिए। जनतंत्र में लोगों की आस्था कैसे बढ़े और चुनाव पारदर्शी कैसे हो, पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जनता को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर निर्णय करना होगा। इसके अलावा समिति, आयोग द्वारा दिए गए सुझावों तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को चुनाव आयोग द्वारा गंभीरता पूर्वक लागू किए जाने चाहिए। इसमें राज्य एवं केंद्र सरकार की पहल और भागीदारी भी अति आवश्यक है। ऐसा करने से ही राजनीति में अपराधीकरण रूकेगा और आदर्श स्थिति उत्पन्न होगी। चुनाव में नैतिकता को बल मिलेगा और मूल्य आधारित राजनीतिक वातावरण बन सकेगा।

* * *

जिला विशेष : नालंदा जिला

नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष

नालंदा मात्र बिहार के एक जिले का नाम नहीं है, बल्कि नालंदा का ऐतिहासिक महत्व इस बात में निहित है कि यह शिक्षा, धर्म, संस्कृति और कला के एक अद्वितीय संगम का प्रतीक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आंचल में समेटे नालन्दा जिला बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहां पर्यटक नालंदा विश्व विद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार तथा ह्वेन त्सांग मेमोरियल हॉल देखने आते हैं। नालंदा जिला बिहार राज्य के अड़तीस जिलों में से एक है, जो दक्षिणी बिहार के मगध क्षेत्र में स्थित है। बिहारशरीफ इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है।

इतिहास

नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिये विश्व प्रसिद्ध है। यहां विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहां पहले देश – विदेश से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। भगवान बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा की धरती पर उपदेश दिये। माना जाता है कि भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में ही स्थित है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 7 वीं शताब्दी में यहां जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। नालंदा के राजगीर में गर्म पानी के कई प्राकृतिक झरने हैं।

वर्त्तमान समय के नालंदा की बात करें तो 1957 ई० में ही नालंदा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के नाम से देश के संसदीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया लेकिन जिले के रूप में नालंदा का अस्तित्व 1972 ई० में आया जब पटना जिले से अलग कर नालंदा को जिला बनाया गया।

नालंदा जिला
(जनगणना, 2011)

स्थापना	9 नवम्बर, 1972
जिला मुख्यालय	बिहारशरीफ
क्षेत्रफल	2355 वर्ग कि० मी०
जनसंख्या	28,77,653
साक्षरता	64.43%
जनसंख्या घनत्व	1222 प्रति वर्ग किमी
लिंगानुपात	922
प्रमंडल	पटना
अनुमंडल	बिहारशरीफ, राजगीर, हिलसा
प्रखंड	20
राजस्व ग्राम	1055
ग्राम पंचायत	249
जी आई टैग	सिलाव खाजा
वर्ल्ड हेरिटेज साईट	नालंदा खंडहर
पिन कोड	803101

(*Source :* District Census Handbook, Nalanda)

भूगोल

कुल 2,367 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल में फैले नालंदा जिले के पूर्व में शेखपुरा जिला, पश्चिम में अरवल और पटना जिला, दक्षिण में गया और नवादा जिला तथा उत्तर में पटना जिला स्थित है। यहां से होकर फल्गु, मोहाने,

जिरायन और कुंभरी नदियां बहती हैं। जिले की अधिकांश भूमि इंडो गैंगेटिक प्लेन की उपजाऊ भूमि है। यह जिला पटना प्रमंडल का एक हिस्सा है। जिले के दक्षिण में राजगीर की पहाड़ियां हैं ।

जनसांख्यिकी

सन 2011 ई० की जनगणना के अनुसार, नालंदा जिले की कुल जनसंख्या 28,77,653 है । नालंदा में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 922 महिलाओं का है और साक्षरता दर 64.43% है। जिले की 15.91% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 21.12% और 0.05% है।

अर्थव्यवस्था

कृषि नालंदा जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यहां की अधिकांश आबादी कृषि कार्य से जुडी हुई है। यहां की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, दालें, आलू, फल और सब्जियां हैं। जिले के कुछ लोग हथकरघा उद्योग से भी जुड़े हैं। चूंकि यह जिला एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसलिए पर्यटन नालंदा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडीस द्वारा तोपखाने के गोले (आर्टिलरी शेल) बनाने के लिए भारत में कुल 41 भारतीय आयुध कारखानों में से एक आयुध फैक्टरी की स्थापना की गई है। साथ ही नालंदा के हरनौत ब्लॉक में ही एक रेलवे कोच मेंटेनेंस प्लांट भी स्थित है।

प्रमुख आकर्षण

नालंदा विश्वविद्यालय

19 जून, 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया । यह कैंपस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे आक्रमणकारियों ने करीब 800 साल पहले जला दिया था लेकिन एक बार फिर यह पुराने स्वरूप में जीवन्त हुआ है।

राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी

29 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घघाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, जो देश का पहला ऐसा खेल स्थल है जहां एक ही स्थान पर खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय है। इसके अन्दर देश की दूसरी सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी बनाई गई है। इसी खेल अकादमी में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 11 से 20 नवंबर, 2024 तक किया गया, जिसमें भारत की महिला हॉकी टीम इस बार विजेता रही। 14 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना से ट्रॉफी गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टूर्नामेंट को 'हॉकी का पर्व बिहार का गर्व' टैग लाइन दिया गया। इस टैगलाइन के साथ ट्रॉफी गौरव यात्रा पहले हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और झारखंड घूमने के बाद 19 अक्टूबर से 10 नवंबर, 2024 तक बिहार के सभी 38 जिलों से गुजरी।

घोड़ा कटोरा

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने घोड़ा कटोरा को एक पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। इस झील के बीच में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर के पास स्थित एक प्राकृतिक स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भारतीय महाकाव्य महाभारत से राजा जरासंध का घुड़शाल हुआ करता था, इसलिए इस जगह का नाम घोड़ा कटोरा पड़ा। इस झील की प्राचीन प्राकृतिक शैली और इसके बीचों बीच स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा आज के दौर में पर्यटकों को अपने अतिविशिष्ट रूप के कारण काफी आकर्षित करती है।

जल मंदिर, पावापुरी

पावापुरी में स्थित जल मंदिर भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के लिए विख्यात है। यह मंदिर जैन धर्म के अनुयायिओं के लिए अति पवित्र माना जाता है। जल मंदिर उस स्थान को चिह्नित करता है जहां भगवान महावीर का अंतिम संस्कार किया गया था। कहा जाता है कि उनके अंतिम संस्कार की चिता से राख की बड़ी मांग थी । जल मंदिर जैसा कि नाम से पता चलता है कि कमल के साथ खिलने वाली झील के बीच में एक मंदिर है । यह उस स्थान का प्रतीक है जहां भगवान महावीर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। वर्तमान संरचना संगमरमर से बनी है और कमल के फूल से भरे तालाब के बीचों बीच है। मंदिर के अंदर भगवान महावीर और उनके शिष्यों के पैरों के निशान हैं। इस मंदिर के शांत एवं मनोरम वातावरण मन को भाव विभोर कर देते हैं।

विश्व शांति स्तूप

1965 में निर्मित उजले संगमरमर के पथरों से बना, 40 मीटर ऊंचा स्तूप रत्नागिरि के पहाड़ियों पर स्थित है। इस स्तूप का मुख्य केंद्र इसके चारों ओर भगवान बुद्ध की चार स्वर्ण प्रतिमाएं हैं जो उनके जीवन के चार चरणों (जन्म, ज्ञान, उपदेश और मृत्यु) को दर्शाती है। स्तूप तक 2200 फीट लंबा रोपवे से पहुंचा जा सकता है, जो सफर को और भी रोमांचक बनाता है। यह शांति स्तूप जापान पर एटम बम के हमले के बाद शांति और सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में नव–बौद्ध संगठन निप्पोनजन मायोहोजी द्वारा बनवाए गए शांति पैगोडों में से एक है।

जैन मंदिर, कुंडलपुर

यह स्थान शान्ति और अहिंसा के विश्व उद्घोषक भगवान महावीर के जन्म स्थली के रूप में विश्व विख्यात है।

जैनियों के दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि यहां 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। नालंदा के खंडहर से महज 1.6 किमी की दूरी पर यह जगह कुंडलपुर कहा जाता है। इस गांव में कई जैन मंदिर हैं। वर्तमान मंदिर की संरचना काफी भव्य एवं अलौकिक है। मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा है एवं उस पर स्वर्ण ध्वज स्थापित है। यह स्थान जैन धर्मावलम्बियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर परिसर के अलग ईमारत में जैन धर्म के 72 तीर्थंकरों की छवियों को भी प्रदर्शित करते हैं जिसे त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर के भी नाम से जाना जाता है।

ह्वेन त्सांग मेमोरियल हॉल

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के पास स्थित यह हॉल चीनी विद्वान और यात्री ह्वेन त्सांग की स्मृति में है। इस स्मारक का निर्माण और नाम चीनी यात्री और विद्वान भिक्षु, जुआनजांग के नाम पर रखा गया है, जो नालंदा में छात्र थे और बाद में प्राचीन नालंदा महाविहार में शिक्षक बन गए। शानदार हॉल नालंदा के खंडहर से बमुश्किल 1.3 किमी दूर स्थित है। जनवरी 1957 में भारत सरकार की ओर से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के मकसद से इसका निर्माण कराया ।

समवशरण

समवशरण वह स्थान है जहां भगवान महावीर ने अपना पहला और अंतिम प्रवचन दिया था। समवशरण शब्द का अर्थ होता है "एक ऐसा स्थान जहां सभी को ज्ञान प्राप्त करने का एक समान अवसर मिले" ।

गर्म पानी का कुंड

राजगीर प्रमुख रुप से अपने गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। ये कुंड न केवल प्रकृति के चमत्कार हैं, बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहां के गर्म कुंड का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और धर्मग्रंथों में भी मिलता है। इन कुंडों की कहानियां और उनकी पवित्रता राजगीर को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं। इन कुंडों का जल न केवल शारीरिक रोगों का निवारण करता है, बल्कि आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है।

ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, राजगीर

राजगीर में जंगल सफारी के मुख्य प्रवेश द्वार के पास ग्लास स्काई–वॉक ब्रिज बनाया गया है और यह पूरी तरह से कांच और स्टील से बना है। इस स्काई–वॉक की कुल लंबाई 130 फीट और चौड़ाई करीब 6 फीट है। घाटी से इसकी ऊंचाई करीब 250 फीट है और एक बार में कुल 10–15 पर्यटक इस पर चल सकते हैं। यह राजगीर के वैभार गिरि और स्वर्ण गिरि पहाड़ियों की तलहटी में बना है। पूरा कांच पूरी तरह से पारदर्शी है, जिसकी वजह से इस पर चलना काफी रोमांचकारी है।

बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

बिहार पुलिस अकादमी का उद्घाटन 3 दिसंबर, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह बिहार का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। बिहार पुलिस अकादमी को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है। यह एक सौ तैंतीस एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ भविष्य की तकनीक और पुरानी आजमाई हुई और परखी हुई पद्धतियों के संयोजन के साथ विकसित किया गया है। बिहार पुलिस अकादमी का लक्ष्य बिहार पुलिस के लिए ऐसे भावी नेतृत्वकर्ता को तैयार करना है, जो साहस, ईमानदारी, समर्पण और लोगों की सेवा की मजबूत भावना के साथ पुलिस सेवा का नेतृत्व/कमांड कर सकें।

सिलाव खाजा

बिहार की यह पारंपरिक मिठाई नालंदा जिले की विशिष्टता को दर्शाने में अहम भूमिका निभाती हैं। सिलाव खाजा अपने स्वाद और कुरकुरापन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। इस हल्के पीले रंग की मिठाई में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री गेंहू का आटा, चीनी, मैदा, घी, इलायची और सौंफ है। वर्ष 2015 में सीएम नीतीश कुमार द्वारा खाजा निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया गया, जिससे खाजा उद्योग से जुड़े कारोबारियों को काफी मदद मिल रही है। वर्तमान में यह व्यंजन बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि में काफी लोकप्रिय है। सिलाव का खाजा बिहार की पहली मिठाई है,जिसे भारत सरकार से जीआई टैग मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, राजगीर

राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 1300 लोगों की क्षमता वाला एक कन्वेंशन हॉल और 900 लोगों की क्षमता वाला एक बहुद्देशीय एम्फीथियेटर बनाया गया है। इसके अलावा यहां एक हेरिटेज म्यूजियम और एक प्रशिक्षण काम्प्लेक्स भी बनाया गया है। इस कॉन्वेंशन सेंटर का स्वरुप 'स्तूप' से प्रेरित है। इस कन्वेंशन सेंटर के गुम्बद की ऊंचाई 43.26 मीटर है।

नालंदा : सांसद

नाम – कौशलेन्द्र कुमार	जन्म स्थान – हैदरचक, नालंदा
लोकसभा क्षेत्र – नालंदा	पत्नी – श्रीमती रवीना कुमारी
पार्टी – जदयू	पुत्र – 2
उम्र – 65 वर्ष	पुत्री – 1

ई–मेल – kaushalendra.k@sansad.nic.in

श्री कौशलेंद्र कुमार लोकसभा के नालंदा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं। वह जनता दल (यूनाइटेड) पार्टी के प्रतिनिधि हैं। ये पहली बार 2009 के भारतीय आम चुनाव में नालंदा सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 2024 के भारतीय आम चुनाव में चौथी बार नालंदा सीट से जीत दर्ज की है। ये कृषि और सामाजिक सुधार के समर्थक रहे हैं।

सप्तदश बिहार विधान सभा में नालंदा जिले से निर्वाचित माननीय सदस्य :–

क्रमांक	नाम व पता	फोटो	
1.	नाम – जितेन्द्र कुमार निर्वाचन क्षेत्र – अस्थावां क्षेत्र सं० – 171 पार्टी – जदयू मो० – 9431815846 ई–मेल – mla-asthawa-bih@nic-in		पांचवां टर्म शैक्षणिक योग्यता – Ph.D. फेम इंडिया श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित देश भर के 50 विधायकों में स्थान प्राप्त
2.	नाम – डॉ सुनील कुमार निर्वाचन क्षेत्र – बिहार शरीफ क्षेत्र सं० – 172 पार्टी – बीजेपी मो० – 9431815596 ई–मेल – mla-biharsharif-bih@nic.in		पांचवां टर्म शैक्षणिक योग्यता – MBBS वर्तमान में सभापति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति
3.	नाम – कौशल किशोर निर्वाचन क्षेत्र – राजगीर (अनु.जा.) क्षेत्र सं० – 173 पार्टी – जदयू मो० – 9304408081 ई–मेल – mla-rajgir-bih@nic.in		पहला टर्म अधिवक्ता
4.	नाम – राकेश कुमार रौशन निर्वाचन क्षेत्र – इस्लामपुर क्षेत्र सं० – 174 पार्टी – जदयू मो० – 9431495089 ई–मेल – mla-islampur-bih@nic.in		पहला टर्म अधिवक्ता
5.	नाम – कृष्णमुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया निर्वाचन क्षेत्र – हिलसा क्षेत्र सं० – 175 पार्टी – जदयू मो० – 9431487040 ई–मेल – mla-hilsa-bih@nic.in		पहला टर्म शैक्षणिक योग्यता – B.Sc.
6.	नाम – श्रवण कुमार (माननीय मंत्री) निर्वाचन क्षेत्र – नालंदा क्षेत्र सं० – 176 पार्टी – जदयू मो० – 9471006315 ई–मेल – mla-nalanda-bih@nic.in		छठा टर्म 2005 से अब तक लगातार मंत्री वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री
7.	नाम – हरि नारायण सिंह निर्वाचन क्षेत्र – हरनौत क्षेत्र सं० – 177 पार्टी – जदयू, मो० – 9431821883 ई–मेल – mla-harnaut-bih@nic.in		नौवां टर्म राज्य सरकार में मंत्री रहे। वर्तमान में सभापति, सरकारी उपक्रम समिति

– **राजीव रंजन, सीमा कुमारी,** शोध/संदर्भ सहायक

* * *

विधान सभा सत्र के दौरान स्कूली छात्रों की शैक्षिक यात्रा

बिहार विधान सभा की अध्ययन यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो छात्रों के जीवन में गहरे प्रभाव छोड़ता है। मानसून सत्र 2024 के दौरान विभिन्न स्कूल के छात्र–छात्राओं को विधान सभा के सत्र के दौरान सदन को जीवंत देखने का अवसर मिला। इसमें सेंट केरेन्स सेकेंडरी स्कूल पटना, कार्मेल हाई स्कूल बेली रोड पटना एवं +2 आर्य कन्या उच्च विद्यालय खगड़िया के छात्र–छात्रायें व शिक्षक शामिल थे। इस शैक्षिक यात्रा का उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संसदीय कार्यप्रणाली की प्रत्यक्ष जानकारी देना था।

यात्रा की शुरुआत विधान सभा भवन के बाहर से हुई, जहां छात्रों को पहले इस ऐतिहासिक भवन के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि यह भवन इस प्रांत की विधायिका का सर्वोच्च स्थल है, देश के लोकतंत्र का प्रतीक है और यहां पर राज्य के महत्वपूर्ण कानून बनाये जाते हैं। इतावली पुनर्जागरण शैली या इंडो ग्रीक शैली में बना यह भवन अंग्रेजों द्वारा बनाये गए वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है ।

जब छात्र सदन के अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो उनकी उत्सुकता और रोमांच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दर्शक दीर्घा गैलरी पहुंचते ही उन्होंने देखा कि विधान सभा सत्र चल रहा है, जिसमें विधायक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। छात्रों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विधायक को बहस करते हुए और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए देखा। इस दौरान छात्रों ने विधायकों की भूमिका, उनके कार्यों, और संसदीय नियमों के पालन को नजदीक से देखा। उन्हें यह भी समझ में आया कि किस प्रकार एक बिल पेश किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है और अंत में उसे पास किया जाता है। छात्रों ने प्रश्नकाल, शून्यकाल, और विधायी प्रक्रियाओं को समझा, जो उनके लिए नया और रोचक अनुभव था।

+2 आर्य कन्या उच्च विद्यालय, खगड़िया के छात्र छात्राओं के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय

सेंट केरेन्स सेकेंडरी स्कूल पटना के छात्र छात्राओं के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय

इसके अलावा, छात्रों को विधान सभा के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण भी कराया गया, जिसमें अध्यक्ष का कक्ष, समिति कक्ष, सेंट्रल हॉल और पुस्तकालय शामिल थे। पुस्तकालय में छात्रों को विभिन्न प्रकार की कानूनी पुस्तकों और संसदीय दस्तावेजों के बारे में जानकारी मिली। पुस्तकालय कर्मियों के द्वारा बाल मन की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया गया । विधान सभा में विशेष रूप से छात्रों के लिए लंच की व्यवस्था की गई। छात्रों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसा गया। लंच के दौरान छात्रों ने विधान सभा के अनुभवों पर चर्चा की। इस अवसर पर छात्रों को विधानसभा के सदस्यों से मिलने का मौका मिला।

इस यात्रा ने छात्रों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना को और भी प्रबल किया। उन्होंने यह महसूस किया कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए संसद और विधान सभा की कार्यप्रणाली को समझना अत्यंत आवश्यक है। विधान सभा का यह यात्रा न केवल एक शैक्षिक यात्रा थी, बल्कि छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव भी साबित हुआ। इसने उन्हें लोकतंत्र की जड़ों को समझने का अवसर दिया और एक सक्रिय नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया।

विधान सभा में छात्रों के समूह की फोटोग्राफी का अनुभव अद्वितीय और उत्साहजनक था। ऐतिहासिक भवन की भव्यता के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाना सभी के लिए गर्व का क्षण था। छात्रों ने विधान सभा अध्यक्ष, विधान सभा सदस्यों, पदाधिकारियों, अपने शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ इस यादगार पल को साझा किया। फोटो खिंचवाते समय, सभी के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह अवसर सभी के दिलों में एक विशेष स्थान बना गया, जिसे वे लंबे समय तक संजोकर रखेंगे।

– **गार्गी मिश्रा,** पुस्त. सहायक **एवं कुमारी चंचला,** शोध/संदर्भ सहायक

* * *

श्रद्धांजलि

'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः'।।

स्व० सुशील कुमार मोदी

व्यक्ति विशेष : स्व० सुशील कुमार मोदी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का निधन 72 वर्ष की आयु में दिनांक 13 मई, 2024 को हो गया। उनका जन्म 5 जनवरी, 1952 को हुआ था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई की और 1973 में बीएससी (ऑनर्स) वनस्पति विज्ञान की डिग्री के साथ स्नातक किया। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में एमएससी वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम में पढाई के दौरान जय प्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन में शामिल होने के लिए पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया ।

माननीय मुख्यमंत्री के साथ श्री सुशील कुमार मोदी

सुशील मोदी का राजनैतिक जीवन पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ। वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव बने। लालू प्रसाद यादव जो बाद में उनके सबसे बड़े राजनैतिक प्रतिद्वंदी बने, उस समय संघ के अध्यक्ष थे। 1974 में, वे बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के सदस्य बने, जिसने 1974 के प्रसिद्ध बिहार छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हें बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मीसा अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जिसके परिणामस्वरूप मीसा अधिनियम की धारा 9 को असंवैधानिक करार दिया गया। उन पर 1973 से 1977 तक मीसा और कई अन्य अधिनियमों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आपातकाल के बाद मोदी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का राज्य सचिव नियुक्त किया गया । 1977 से 1986 तक उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में विभिन्न पदों पर कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा के रूप में उर्दू को घोषित किए जाने के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेश से अवैध प्रवास के मुद्दे को उन्होंने उठाया और असम आंदोलन के बाद उनके नेतृत्व में बिहार में अवैध प्रवास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया।

स्व० मोदी पटना केंद्रीय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (वर्तमान में कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र) से वर्ष 1990, 1995 एवं 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य, वर्ष 2004 में भागलपुर संसदीय क्षेत्र से लोक सभा सदस्य, वर्ष 2006, 2012 एवं 2018 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य तथा वर्ष 2020 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे देश के चारों सदनों (विधान सभा, विधान परिषद्, लोक सभा एवं राज्य सभा) के सदस्य चुने जाने वाले विरले राजनेताओं में से एक थे। वे बिहार सरकार के कई विभागों में मंत्री रहे। उन्होंने नेता विरोधी दल के रूप में सशक्त विपक्ष की भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। 1990 में, उन्हें भाजपा बिहार विधायक दल का मुख्य सचेतक बनाया गया तथा 1996 से 2004 तक वे राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। जीएसटी कानून पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। उन्हें जुलाई 2011 में माल और सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सुशील मोदी उन चंद नेताओं में से एक थे जो किसी घटना के तुरंत बाद उस घटनास्थल पर जाने में विश्वास रखते थे। चर्चित चारा घोटाला एवं अलकतरा घोटाला को उजागर करने में स्व० मोदी की अहम भूमिका रही थी। एक लंबे वक्त तक स्व० मोदी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सशक्त भूमिका निभाते रहे। 2017 में महागठबंधन सरकार के पतन और

प्रदेश में फिर से एनडीए सरकार बनने का मुख्य सूत्रधार उन्हें ही माना जाता है। उन्होंने 2005 में एनडीए सरकार में उपमुख्यमंत्री बनने के उपरांत वित्त मंत्री के रूप में रिकार्ड 11 बार बिहार सरकार का बजट पेश किया। श्री मोदी का निधन बिहार की एक बड़ी सामाजिक–राजनीतिक यात्रा का अवसान है । यह पांच दशकों का संघर्ष, सत्ता, सादगी और संजीदा यात्रा का अंत है । अपने कठोर संघर्ष, संगठन के प्रति अपार निष्ठा, जीतने की जिद और मिलनसारिता के लिए वे हमेशा याद रखे जायेंगे।

स्व० मोदी को जेपी आंदोलन और आपातकाल के दौरान पांच बार गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उन्होंने 19 महीने जेल में गुजारे। उन्होंने जेल डायरी सहित कई किताबें लिखीं। इन्हीं किताबों में एक है–'बीच समर में' । इस किताब में उन्होंने विनोवा भावे से अपनी मुलाकात का विस्तृत जिक्र करते हुए लिखा कि उनसे मिलने के बाद कैसे उन्हें मौन उर्जा मिली।

मोदी भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के प्रयासों के विरोधी थे। इसके समर्थकों को 'वामपंथी–उदारवादी' बताया जो 'पश्चिम की नकल करना चाहते हैं और भारतीय जनता पर ऐसे कानून थोपना चाहते हैं' । मोदी ने तर्क दिया कि भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से 'देश में व्यक्तिगत कानूनों के नाजुक संतुलन में पूरी तरह से तबाही मच जाएगी' ।

स्व० मोदी किसी विषय पर तार्किकता के साथ बात करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने विधान सभा सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायिकी को समृद्ध करने हेतु पांच सूत्रों पर प्रकाश डाला था। प्रथम, आर्डर पेपर को गंभीरता पूर्वक पढ़ना; दूसरा, कार्य संचालन नियमावली एवं संविधान की प्रति को अपने साथ रखना; तीसरा, विधान सभा की पूरी कार्यवाही में भाग लेना; चौथा, कोर्सबुक की तरह प्रतिदिन चार–पांच अखबार, जिसमें एक–दो राष्ट्रीय संस्करण के अखबार भी हों, को पढ़ना एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं को पेपर कटिंग कर विभागवार वर्गीकृत कर रखना और पांचवां, विधान सभा में विषयों को उठाने के सभी माध्यमों का प्रयोग करना यथा प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, याचिका, निवेदन, बहस में भाग लेना इत्यादि। इसके अतिरिक्त उन्होंने विधायकों से अध्यक्ष, विधान सभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विधान सभा की कार्यवाही को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों से भी बराबर मिलते रहने की सलाह दी। इससे उनलोगों की नजर में उस विधायक की पहचान बढती है एवं समय आने पर इसका उन्हें लाभ भी मिलता है।

बिहार के विकास के स्वर्णिम अध्याय में वित्त मंत्री के रूप में स्व० मोदी के काफी अहम् योगदान रहे जिसमें वर्ष 2006 से बजट के पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, प्री–बजट कन्सल्टेसन की परिपाटी शुरू करना, बजट के साथ वित्त विधेयक लाने की परिपाटी शुरू करना, वर्ष 2008 से जेंडर बजट (विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं पर किये जाने वाले खर्च का विवरण), वर्ष 2011–12 से स्थानीय निकायों का बजट आदि प्रमुख हैं ।

* * *

यादों में ...

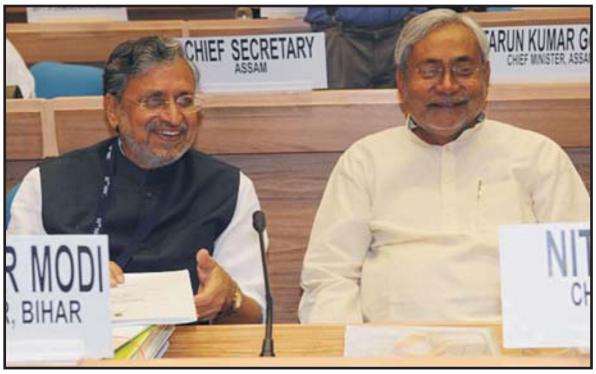

यादों में ...

यादों में ...

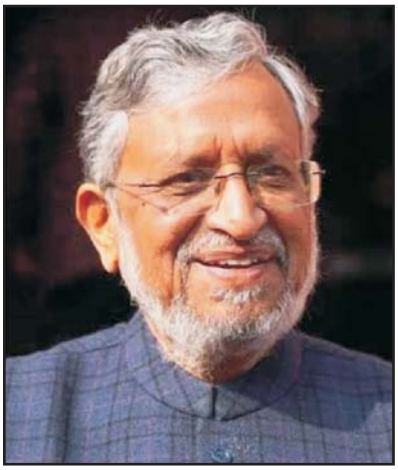

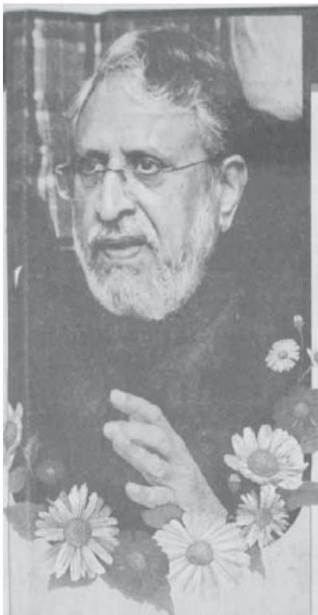

पटना, मंगलवार
14.05.2024

सुशील कुमार मोदी का आकस्मिक निधन अपूरणीय क्षति है. सौम्य स्वभाव, कुशल प्रशासक के रूप में योगदान तथा सार्वजनिक जीवन में शुचिता उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में परिलक्षित होते थे. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दें.

- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

बड़े पद पर रहते हुए कभी इसका अहसास नहीं कराया, शोक का तांता

पटना. बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने दुख प्रकट किया. उन्होंने कहा कि सुशील मोदी से उनका संबंध 1971 से था. एक दूसरे को लगभग 53 वर्षों से जानते थे. इतने बड़े पदों पर रहते हुए कभी इसका अहसास नहीं कराया.

सुशील मोदी एबीवीपी में मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे: तावड़े

बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने सुशील मोदी के निधन पर शोक जताया है. कहा है कि वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरे वरिष्ठ सहयोगी थे. लंबे वक्त तक उनके साथ जनसेवा करने का मौका मिला.

बड़े पद का अहंकार नहीं था: शाहनवाज

वरिष्ठ भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सुशील मोदी का निधन अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है. कहा कि उन्हें बड़े पद पर भी अहंकार ने कभी नहीं छुआ.

बिहार और देश की राजनीति को अपूरणीय क्षति : मंगल

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से बिहार और देश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है.

भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति : विवेक ठाकुर

भाजपा नेता व सांसद विवेक ठाकुर ने शोक जताते हुए कहा यह बिहार भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है

अभिभावक थे सुशील मोदी : संजीव चौरसिया

भाजपा विधायक डॉ संजीव चौरसिया ने कहा कि आज हमने अपना अभिभावक और मार्गदर्शक खो दिया.

पापा के नहीं रहने जैसी कमी महसूस हो रही: चिराग

मेरे पिता के सबसे करीबी मित्रों में थे. कहा कि पापा दुनिया में नहीं रहने जैसी कमी एक बार फिर महसूस हो रही है. कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर राजनीति में आगे काम करेंगे.

विधान परिषद के सभापति ने जतायी संवेदना

बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी गहरा दुख व्यक्त किया.

सुशील मोदी के निधन हर दल के नेताओं में शोक

सुशील मोदी के निधन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एमएलसी देवेश कुमार, भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह, समग्र गंगा अभियान के अजय यादव, भाजपा के नेता उदय कुमार प्रजापति, समाजवादी युवा मंच के अध्यक्ष प्रत्यूष नंदन व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी गहरा शोक प्रकट किया है.

बिहार की राजनीति से एक ध्रुवतारा टूट गया: मांझी

पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि बिहार की राजनीति का एक ध्रुवतारा आज टूट गया.

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने जताया शोक

राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि हमने सन 74 छात्र आंदोलन के एक साथी को खो दिया है. इनकी कमी हमेशा महसूस करूंगा. उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, उदय नारायण चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रो मनोज कुमार झा, संजय यादव, भोला यादव, श्याम रजक, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद, चितरंजन गगन आदि राजद नेताओं ने शोक जताया है.

सुशील कुमार मोदी का निधन भाजपा और बिहार के लिए बड़ी क्षति है. मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है. यह समाचार व्यक्तिगत तौर पर मुझे अंदर तक हिला गया. वे मेरे मार्गदर्शक थे. जीवनभर उन्होंने लोगों की सेवा की. उनका कौशल और प्रशासनिक क्षमता अभूतपूर्व थी. भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें, यही प्रार्थना है.

सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री

पूरे भाजपा संगठन परिवार के साथ-साथ मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है. अपने संगठन कौशल, प्रशासनिक समझ और सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अपनी गहरी जानकारी के लिए वे हमेशा याद किये जायेंगे. ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिरशांति और परिजनों को इस शोक की घड़ी में संबल प्रदान करें.

विजय कुमार, उपमुख्यमंत्री

सुशील मोदी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है. कहा कि भाजपा को उन्होंने खड़ा किया. लालू के शासन से लड़ाई में कार्यकर्ता और नेता के रूप में संघर्ष किया. उपमुख्यमंत्री बनने के बाद कुशल प्रशासक की भूमिका भी बेहतर ढंग से निभायी. कहा कि राजनीति में उन्होंने जगह अपनी मेहनत से बनायी.

नितिन नवीन, मंत्री

बिहार की समस्याओं की उनको गहराई से समझ थी. यह बिहार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निजी क्षति है. कहा कि दोनों ने 1975 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभायी. 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खस्ताहाल बिहार मिला था, मुख्यमंत्री के साथ सुशील मोदी ने बिहार को संवारने में बड़ी भूमिका निभायी.

संजय झा, राज्यसभा सांसद, जदयू

बिहार और भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व उपमुख्यमंत्री और मेरे स्नेहिल बड़े भाई सुशील मोदी का निधन बहुत ही दुःखद है. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और भाजपा के विस्तार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी. उनके असमय निधन से वे बहुत मर्माहत हैं. यह उनके जाने का समय नहीं था. मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि.

रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री

...जब विनोबा भावे से मिलकर मौन ऊर्जा मिली थी

बिहार में हुए छात्र आंदोलन (1974) से उभरे नेताओं की जो फौज नब्बे के दशक की शुरुआत में राज्य की राजनीति में धीरे-धीरे जगह बनाने लगी थी, उनमें सुशील कुमार मोदी भी प्रमुख थे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले सुशील मोदी ने जेपी के नेतृत्व में हुए छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभायी थी. आपातकाल के दौरान उन्होंने 19 महीने जेल में गुजारे. सुशील मोदी ने 'जेल डायरी' सहित कई किताबें लिखीं. इन्हीं किताबों में एक है 'बीच समर में.' इस किताब में उन्होंने विनोबा भावे से अपनी मुलाकात का विस्तृत जिक्र करते हुए लिखा है कि उनसे मिलने के बाद कैसे उन्हें मौन ऊर्जा मिली. वे लिखते हैं कि 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान सर्वोदय समाज में आंदोलन और इंदिरा गांधी के प्रति सोच को लेकर काफी मतभेद हो गये थे. विनोबा जी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने एक वर्ष का मौन धारण कर लिया. 1975 की सर्दियों में हम 10 लोग अभाविप के रामबहादुर राय और महेश शर्मा के नेतृत्व में पवनार (वर्धा) के लिए निकल पड़े. ट्रेन में लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार के कुछ नौजवान कल विनोबा जी आश्रम में अनशन करने वाले हैं. लगता है कुछ हंगामा होगा. महाराष्ट्र के समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर खबरें छपीं कि बिहार के छात्रों का जत्था आंदोलन के लिए विनोबा का आशीर्वाद लेने के लिए 12 घंटे का उपवास करने वाला है. सुबह पांच बजे हम आश्रम के गेट पर पहुंचे. वहां गोगुल भाई हमारा इंतजार कर रहे थे. वे हमें कोठरी के पास ले गये जहां दरी बिछा कर हम महान संत का इंतजार करने लगे.

पहले सत्याग्रही का पहला दर्शन

कुछ ही क्षणों में देखा कि ऊंची धोती, सिर पर टोपी और हरा चश्मा पहने 80 वर्षीय एक वृद्ध कमरे के बाहर तेजी से घूम रहा है. यही वही व्यक्ति थे, जिन्हें गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में नियुक्त किया था. गांधीवाद की धरोहर के दो प्रहरी- एक आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक विनोबा भावे और दूसरे राष्ट्रीय समस्याओं से सतत संघर्ष के प्रतीक जयप्रकाश. दोनों गांधी आज दो छोर पर खड़े हैं.

सुशील जी ने अपनी परेशानियों को हमेशा 'निज' बनाये रखा

अजय कुमार

सुशील कुमार मोदी जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से निकले थे. बीते मार्च में हमने मोदी जी को फोन किया था. उनसे अनुरोध किया कि 18 मार्च को संपूर्ण क्रांति के 50 साल पूरे होने वाले हैं, उस पर उनकी एक टिप्पणी चाहिए. उस दिन हुई बातचीत के बाद लगा कि बोलने में उन्हें परेशानी हो रही है. हमने पूछा भी. पर केवल इतना बताया कि गले में थोड़ी तकलीफ है. उसके दो दिनों के बाद उनका फोन आया कि मेरे घर पर किसी साथी को भेज दीजिए. बात करने के लिए.

उस दिन भी हमने उन्हें टोका. पूछा कि आपकी आवाज बैठी हुई लग रही है. उन्होंने कहा कि थोड़ी परेशानी है. गले के ग्लैंड का इलाज चल रहा है. उनके निजी सहायक शैलेंद्र ओझा से बात की. उन्होंने बताया कि एम्स में इलाज चल रहा है. बीच-बीच में हालचाल के लिए फोन करता रहा.

कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद ही खुलासा कर दिया कि उन्हें कैंसर है. पर यह उन्होंने तब किया, जब उन्हें लगा कि अब वह सामाजिक जीवन नहीं जी पायेंगे. उसके ठीक कुछ दिन पहले उन्हें भाजपा घोषणा पत्र समिति में भी शामिल किया गया था. अपनी तमाम परेशानियों को 'निज' बनाकर रखने वाले सुशील कुमार मोदी के साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं.

नब्बे के दशक में सुशील कुमार मोदी से एक पत्रकार के तौर पर परिचय हुआ. विधानसभा में वह प्रतिपक्ष के नेता थे. हम सदन की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए जाते थे. दोपहर या तीसरे पहर जरूर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी. सदन में जिन मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख पाये, उसे पत्रकारों से साझा करते थे. उनकी तैयारी गजब की होती थी. जिस मुद्दे पर बात रखनी होती थी, उसकी वह खूब तैयारी भी करते थे. डेटा के साथ अपनी बात रखने वाले कुछेक नेताओं में उनकी गिनती होती है.

तब चीनी मिल की हालत खराब होती जा रही थी. सरकारी क्षेत्र के मिल एक-एक बंद हो रहे थे. सदन में वह इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया करते थे. अखबार से मुझे असाइन किया गया कि बिहार में सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों पर एक पेज की स्टोरी करनी है. हमने मोदी जी से संपर्क किया. उन्होंने राजेंद्र नगर वाले कार्यालय में बुलाया. वहां यह देखकर हैरानी हुई कि राज्य से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर उन्होंने फाइलें रखी थीं. पर्याप्त कागजात के साथ. उनका कार्यालय बेहद व्यवस्थित रहा करता था. वर्मा जी और झा जी (दिवंगत) मोदी जी के कार्यालय को संभालने वाले प्रमुख लोगों में से थे. उसी कार्यालय में पटना से छपने वाले अखबारों के लगभग सभी संस्करण करीने से सजा कर रखे गये थे. सुदूर इलाकों की खबरों की कतरन उनके कार्यालय में होती थी. कानून-व्यवस्था से लेकर राज्य की वित्तीय स्थितियों पर आंकड़ों में वह बात करते थे.

राजनीतिक कर्म 24 घंटे का काम है और इतनी भाग-दौड़ के बावजूद एक-एक चीजों की जानकारी रखना आसान नहीं होता. हमने देखा कि मोदी जी का बैक ऑफिस इतना मजबूत था कि उससे उन्हें बोलने या अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी. मोदी जी अपने व्यवहार में सहृदय रहा करते थे. यह उनकी खासियत थी. जब भी मुझे मिलने का अवसर मिला, मुस्कुराते हुए मिले. यह उनका अंदाज था.

खलेगी सुशील की कमी : लालू

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : जेपी आंदोलन के सहयोगी, अपने पुराने मित्र व भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शोक व्यक्त किया है। राजद के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया है।

उनके निधन की सूचना मिलने के बाद लालू प्रसाद ने कहा कि सुशील मोदी 1974 के छात्र आंदोलन के उनके सहयोगी थे। हमने संघर्ष और आंदोलन का अपना एक साथी खो दिया है। उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। उन्होंने कहा कि '74 के आंदोलन में हम दोनों ने साथ में संघर्ष और आंदोलन किया और अपनी पहचान बनाई। वे हमारे साथ छात्र आंदोलन में थे। उनका यूं चले जाना बिहार और देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील

राबड़ी-तेजस्वी समेत राजद के कई नेताओं ने जताया शोक

काजल की कोठरी से सुशील बेदाग निकले : शिवानंद

सुशील मोदी के छात्र आंदोलन के मित्र शिवानंद तिवारी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। लंबे राजनीतिक जीवन में सुशील पर कोई दाग नहीं लगा। कह सकते हैं कि काजल की कोठरी से वह बेदाग निकले।

मोदी हमारे अभिभावक थे। उनके असामयिक निधन की खबर सुनकर अत्यंत व्यथित हूं! राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज कुमार झा, संजय यादव, भोला यादव, श्याम रजक, शक्ति सिंह यादव, एजाज अहमद, चितरंजन गगन सहित अन्य ने भी सुशील कुमार मोदी के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की।

जन्म- 05/01/1952 निधन-13/05/2024

सुशील मोदी का निधन

स्मृति शेष... जो दायित्व मिले उस पर 100 प्रतिशत खरा उतरना मोदी की खूबी

गजब की राजनीतिक-आर्थिक समझ वाला चला गया

पत्रकारों के निजी दोस्त थे सुशील कुमार मोदी

मिथिलेश

सुशील कुमार मोदी का नाम लेते ही जेहन में एक ऐसे व्यक्तित्व का चेहरा सामने आता है, जिनके चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा और कोहनी तक उपर समेटे हुए कुर्ता, यही उनकी पहचान थी. मुझे याद आता है 2000 साल की बातें, मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाया था. थोड़ी देर बाद पता चला कि वो विधानसभा स्थित अपने कक्ष में बैठे हैं. नये पत्रकार बने थे, सो डर भी था मन में था कि वो क्या सोचेंगे. मैंने आर ब्लॉक स्थित एक टेलीफोन बूथ से उनको कॉल किया. उन दिनों पे फोन जैसे कई बूथ बाजार में उपलब्ध थे. उधर, से बड़े ही विनम्र आवाज में मोदी जी सामने आये. उन्होंने पूछा कि आप नहीं आ पाये थे, हमने हां कहा, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआब बता दिया. इसके बाद उनसे दोस्ती आगे बढ़ी. न सिर्फ मुझसे, बल्कि हमारे जैसे नये पत्रकारों के मित्र तो बने ही और अनुभवी लोगों के साथ भी उनका उतना ही प्यारा संबंध रहा. मेरे रिसेप्शन समारोह में वो आये, तो घंटो बैठे रहे और मेरे पिता से बातचीत करते रहे. जब वे उपमुख्यमंत्री बने तो लगा ही नहीं कि कोई इतने बड़े पद पर बैठा हो. बस सहजता से मिलना, बातों को सुनना और सवालों का जवाब देना, उनकी पहचान बनती गयी. बजट पेश करने के बाद एक-एक तथ्य को खुद पत्रकारों को बताना, उनकी फितरत थी. वे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी बने. जब वे पहली बार राज्य के वित्त मंत्री बने, तो हमने उनसे उनके मुख्य सचिवालय स्थित कक्ष में बात की. उन्होंने एक बड़े ही पते की बात बतायी. खुल कर कहा कि बजट जैसी गंभीर विषय से ज्यादा रू-ब-रू नहीं रहे हैं. पूर्व वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्र को याद करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि वो कहा करते थे कि जो चीज समझ में नहीं आये उसे खूब पढ़ना चाहिए. हम इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके टेबल पर वित्त और बजट से जुड़ी मोटी-मोटी फाइलें थीं. वे उसे गंभीरता से पढ़ रहे थे. अगले कुछ दिनों के बाद बजट पेश किया जाना था. जब एनडीए सरकार में राज्य का बजट पेश हुआ, तो सुशील कुमार मोदी एक बेहतर वित्त मंत्री साबित हुए. जब भी मोदी जी से मिलना हुआ, तरोताजा होकर उनके आवास से निकला. सुशील मोदी को बिहार की सामाजिक और जातीय राजनीति की बड़ी परख थी. किस क्षेत्र में किनकी आबादी प्रभावी है और कौन कमतर है, उन्हें मुंह जुबानी याद होता था. जब बिहार में राजद की सरकार थी, उन दिनों लालू प्रसाद से उनका राजनीतिक विरोध रहा था. विधानसभा के भीतर भी उन्हें कई बार विरोध झेलना पड़ा था. खुद लालू प्रसाद ने कई बार निजी बातचीत में बताया था कि सुशील कुमार मोदी दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. लालू प्रसाद हों या शिवानंद तिवारी निजी राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद उनके शुभचिंतक रहे. सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में संघर्ष केबल पर अपनी पहचान बनाने वाले राजनेता थे. इमरजेंसी के दौरान मीसा में जेल में बंद होना, कई यातनाओं को झेलना, रिहा होने के बाद भाजपा की सक्रिय राजनीति में उतरना उनको राजनीतिक रूप से ताकत देता गया. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले सुशील कुमार मोदी को बिहार भाजपा का भीष्म पितामह भी कहा गया.

— **राजीव कुमार,** निदेशक
पंकज कुमार, शोध/संदर्भ सहायक **एवं रागिनी सिंह,** पुस्त. सहायक

परिशिष्ट

बिहार राज्य से वर्त्तमान लोक सभा एवं राज्य सभा में चुने गए सदस्य

लोकसभा सदस्य

1. श्रीमती लवली आनंद, शिवहर
2. श्री तारिक अनवर, कटिहार
3. श्री अरूण भारती, जमुई (सुरक्षित)
4. श्रीमती मीसा भारती, पाटलिपुत्र
5. श्री राज भूषण चौधरी, मुजफ्फरपुर
6. श्रीमती वीणा देवी, वैशाली
7. डॉ० संजय जायसवाल, पश्चिम चम्पारण
8. डॉ० मोहम्मद जावेद, किशनगंज
9. श्री दिलेश्वर कामत, सुपौल
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार, नालंदा (सुरक्षित)
11. श्री मनोज कुमार, सासाराम (सुरक्षित)
12. श्री सुनील कुमार, बाल्मिकीनगर
13. श्री अजय कुमार मंडल, भागलपुर
14. श्री रामप्रीत मंडल, झंझारपुर
15. श्री जीतन राम मांझी, गया (सुरक्षित)
16. श्री चिराग पासवान, हाजीपुर (सुरक्षित)
17. श्री रवि शंकर प्रसाद, पटना साहिब
18. श्री सुदामा प्रसाद, आरा
19. श्री नित्यानन्द राय, उजियारपुर
20. श्री राजेश रंजन उफ पप्पू यादव, पूर्णियां
21. श्री राजीव प्रताप रूडी, सारण
22. श्री जनार्दन सिंह 'सिग्रीवाल', महाराजगंज
23. श्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय
24. श्री प्रदीप कुमार सिंह, अररिया
25. श्री राधामोहन सिंह, पूर्वी चम्पारण
26. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मुंगेर
27. श्री सुधाकर सिंह, बक्सर
28. श्री अभय कुमार सिन्हा, औरंगाबाद
29. श्रीमती शाम्भवी, समस्तीपुर (सुरक्षित)
30. डॉ० आलोक कुमार सुमन, गोपालगंज
31. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, सीतामढ़ी
32. श्री गोपालजी ठाकुर, दरभंगा
33. श्री विवेक ठाकुर, नवादा
34. श्री राजेश वर्मा, खगड़िया
35. श्री अशोक कुमार यादव, मधुबनी
36. श्री दिनेश चन्द्र यादव, मधेपुरा
37. श्री गिरिधारी यादव, बांका
38. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव, जहानाबाद
39. श्री राजा राम सिंह, काराकाट
40. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी, सिवान

राज्य सभा सदस्य

1. डॉ० फैयाज अहमद
2. श्री सतीश चंद्र दूबे
3. श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता
4. श्रीमती धर्मशीला गुप्ता
5. श्री हरिवंश नारायण सिंह
6. श्री मनोज झा
7. श्री संजय कुमार झा
8. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
9. श्री खीरू महतो
10. श्री मनन कुमार मिश्रा
11. श्री शंभू शरण पटेल
12. श्री भीम सिंह
13. श्री अमरेन्द्र धारी सिंह
14. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह
15. श्री राम नाथ ठाकुर
16. श्री संजय यादव

— **विनोद कुमार प्रभाकर,** सहायक प्रशाखा पदा.

* * *

फोटो गैलरी

बिहार विधान सभा शताब्दी समारोह के अवसर पर विधान सभा प्रांगण में बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण करते हुए महामहिम राष्ट्रपति

आजादी का अमृत महोत्सव एवं बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष समापन समारोह का शुभारंभ करते माननीय प्रधानमंत्री

बिहार विधान सभा भवन के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान माननीय अध्यक्ष, लोकसभा एवं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

बिहार विधान सभा शताब्दी समारोह के अवसर पर
माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वादश सत्र के समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का
दीप प्रज्जवलित कर उद्‌घाटन करते माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष, बिहार विधान सभा

पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा श्री विजय कुमार चौधरी को पुष्पगुच्छ
भेंट करते माननीय मुख्यमंत्री, बिहार

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके अध्यक्ष निर्वाचित होने के अवसर पर बधाई देते मा० पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी एवं अन्य सदस्यगण

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को उनके अध्यक्ष निर्वाचित होने के अवसर पर बधाई देते संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी

अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात सदन की प्रथम बैठक से पहले माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय एवं मंत्री परिषद् के अन्य सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करते हुए माननीय अध्यक्ष

बजट सत्र के दौरान संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित माननीय मंत्रीगण एवं विधायकगण

नवनिर्मित ऑडिटोरियम में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए माननीय अध्यक्ष

माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा द्वारा विधान सभा परिसर में वृक्षारोपण

– **मनीष कुमार** एवं **रौशन कुमार,** पुस्त. सहायक

* * *

दिनांक 11 नवंबर, 2024 को राजगीर में नवनिर्मित खेल परिसर में एशिया महिला हॉकी चैंपियंस 2024 ट्रॉफी के उद्‌घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री

राजगीर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी खेल परिसर

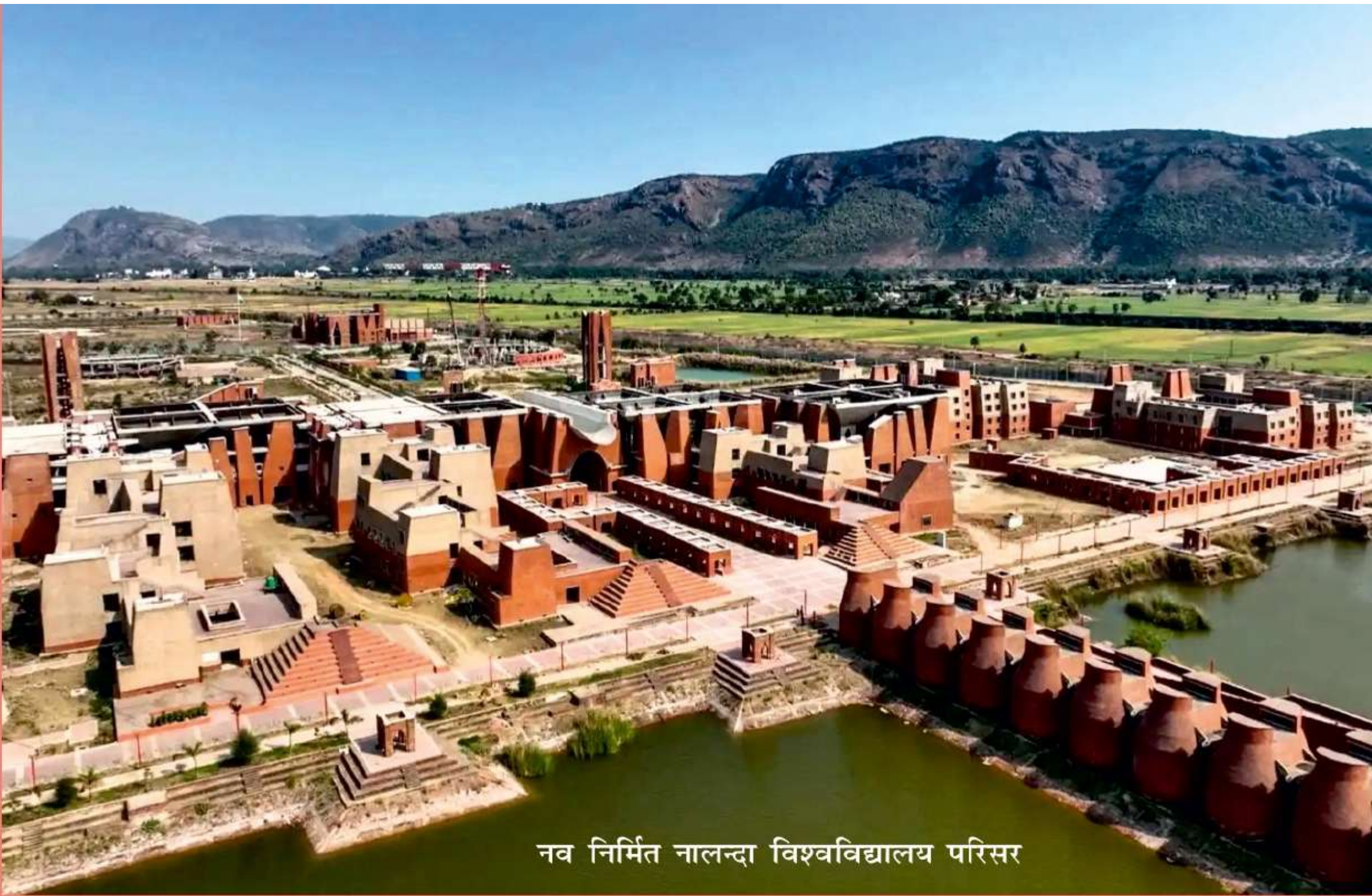

नव निर्मित नालन्दा विश्वविद्यालय परिसर

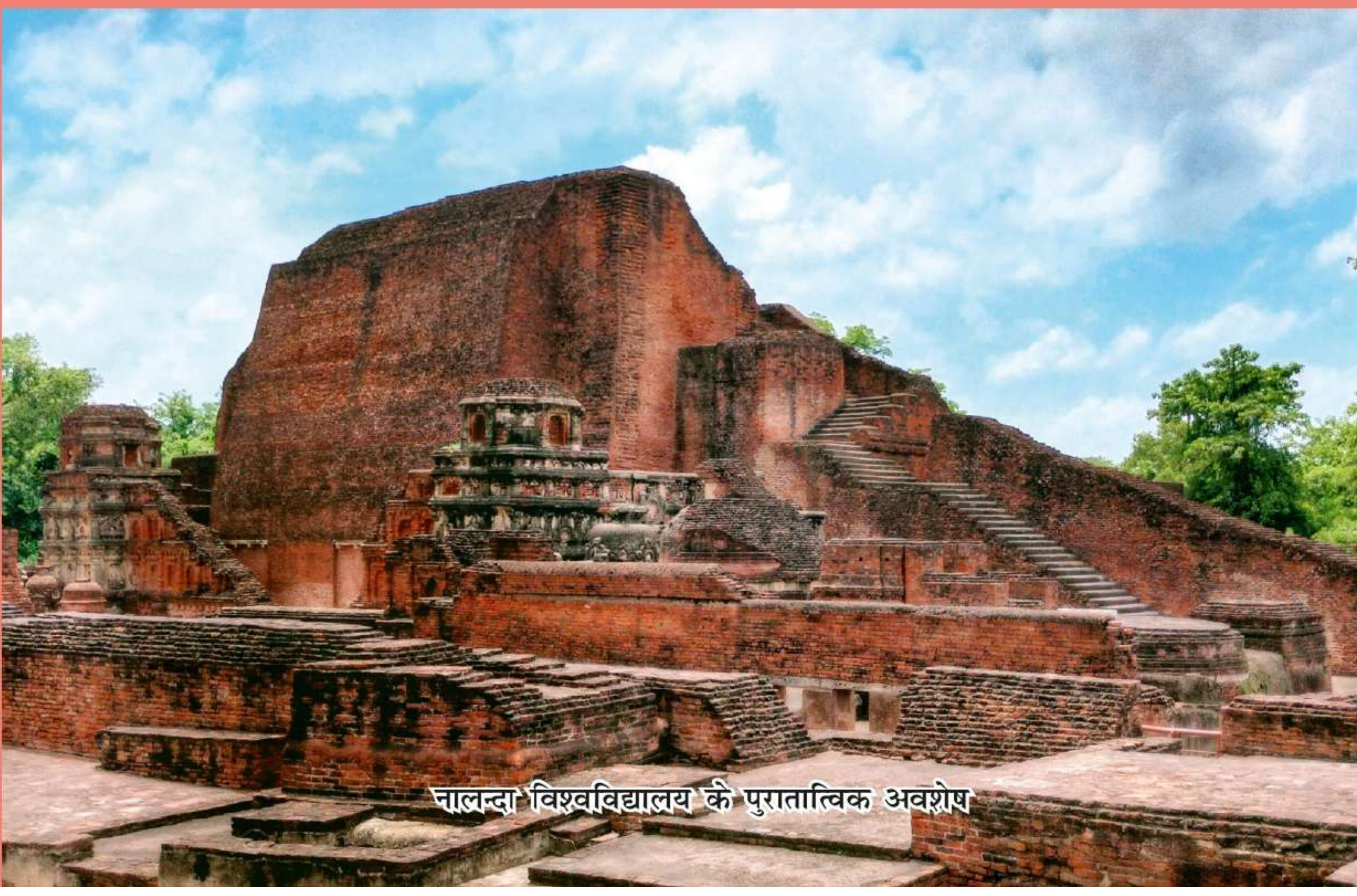

नालन्दा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक अवशेष

बिहार विधान सभा का विस्तारित भवन

Printed at: **Sanjay Printing Works**, Gurhatta, Patna-8, M.-9334148945